



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए



हरियाणा सरकार
2025 की प्रतिवेदन संख्या 3
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल, राजस्व और वाणिज्यिक)

**भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए**

**हरियाणा सरकार
2025 की प्रतिवेदन संख्या 3
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल, राजस्व और वाणिज्यिक)**

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
संक्षिप्त अवलोकन		ix-xiv
अध्याय-1		
प्रस्तावना		
प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
बजट प्रोफाइल	1.2	1-2
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.4	2-3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर	1.5	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.6	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	4-6
अध्याय-2		
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)		
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)		
परिहार्य वित्तीय भार	2.1	7-9
विस्थापितों के लिए नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन	2.2	9-11
वन विभाग		
निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग	2.3	11-12
मानव संसाधन विभाग और वित्त विभाग		
राज्य के खजाने पर परिहार्य वित्तीय भार	2.4	13-16
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)		
अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय	2.5	16-21
महिला एवं बाल विकास विभाग		
निष्फल व्यय	2.6	22-23
बीमा प्रीमियम का अधिक भुगतान	2.7	24-26
अध्याय-3		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.1	27-32
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	3.2	33-34
कर-निर्धारणों में बकाया	3.3	34
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	3.4	35
रिफंड मामले	3.5	35
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.6	36
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	3.7	36-38
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	3.8	38-39
लेखापरीक्षा योजना	3.9	39

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.10	39
इस प्रतिवेदन की कवरेज	3.11	39
अध्याय-4		
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंधन	4.1	41
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	41-42
अमान्य फॉर्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर कर की अनुमति प्रदान करने के कारण कर का अवनिर्धारण, जिसके परिणामस्वरूप डीलरों को अनुचित लाभ हुआ	4.3	42-43
सकल टर्नओवर में उत्पाद शुल्क को शामिल न करने के कारण कर का अवनिर्धारण	4.4	43-44
इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ	4.5	44
अंतिम स्टॉक पर कर का अनुद्ग्रहण	4.6	45
मूवमेंट के दौरान ई-1 अनुवर्ती बिक्री का लाभ अनुमत करने के कारण कर का अवनिर्धारण	4.7	45-46
अध्याय-5		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंधन	5.1	47
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	47-48
संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	5.3	48-49
अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	5.4	49-50
संयुक्त/विकास करारों का पंजीकरण न होने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के राजस्व की हानि	5.5	51-52
मुआवजे की राशि से खरीदी गई अचल संपत्तियों के मामले में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट	5.6	52-53
स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण	5.7	53-54
प्राइम खसरा भूमि पर नॉन-प्राइम खसरा भूमि की दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	5.8	54-55
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	5.9	55-56
बिक्री विलेखों को रिलीज विलेखों के रूप में गलत वर्गीकृत करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	5.10	56-57
पट्टा विलेखों पर वार्षिक औसत किराये की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	5.11	57
सरकारी अधिसूचना को समय पर लागू न करने के कारण दो प्रतिशत अतिरिक्त ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद शुल्क का कम उद्ग्रहण	5.12	58
कृषि भूमि के विनिमय पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	5.13	59

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-6		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन		
प्रस्तावना	6.1	61-63
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेश और बजटीय सहायता	6.2	63-65
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न	6.3	65-69
ऋण सेवा	6.4	69-70
हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	6.5	70-72
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न	6.6	73-75
निष्कर्ष	6.7	75
सिफारिशें	6.8	75
अध्याय-7		
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका		
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	7.1	77
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	7.2	77-78
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	7.3	78-79
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम	7.4	80-81
प्रबंधन-पत्र	7.5	81
निष्कर्ष	7.6	82
सिफारिशें	7.7	82
अध्याय-8		
कॉरपोरेट गवर्नेंस		
प्रस्तावना	8.1	83-84
निदेशक मंडल का गठन एवं बैठकें	8.2	84-86
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली	8.3	86-88
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरना	8.4	88-89
लेखापरीक्षा समिति	8.5	89-90
अन्य समितियां	8.6	91
व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म	8.7	91
वार्षिक आम बैठक	8.8	92
संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति	8.9	92
निष्कर्ष	8.10	92
सिफारिशें	8.11	93
अध्याय-9		
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व		
प्रस्तावना	9.1	95
लेखापरीक्षा उद्देश्य	9.2	96
लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कवरेज	9.3	96

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा मानदंड	9.4	96
लेखापरीक्षा परिणाम	9.5	96
योजना	9.6	96-98
वित्तीय घटक	9.7	98-101
परियोजना कार्यान्वयन	9.8	101-102
निगरानी तंत्र	9.9	102
सूचना एवं प्रकटन	9.10	102-103
निष्कर्ष	9.11	103
सिफारिश	9.12	103
अध्याय-10		
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन		
प्रस्तावना	10.1	105-106
विशेष प्रयोजन माध्यम	10.2	106-107
संगठनात्मक संरचना	10.3	107
लेखापरीक्षा उद्देश्य	10.4	107
लेखापरीक्षा मानदंड	10.5	107
लेखापरीक्षा का दायरा और पद्धति	10.6	108
योजना	10.7	108-109
स्मार्ट सिटी का वित्त	10.8	109-111
स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं का कार्यान्वयन	10.9	112-121
निगरानी	10.10	121-123
निष्कर्ष	10.11	123-124
सिफारिशें	10.12	124
अध्याय-11		
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
परिहार्य ब्याज का भुगतान	11.1	125-126
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	11.2	127-129

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के विवरण	1.1	131-132
1.2	बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.6	133
1.3	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2025 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है	1.7.2	134-135
1.4	31 मार्च 2025 तक लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की रिपोर्टों की सूची और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लंबित सिफारिशों की संख्या	1.7.3	136
1.5	31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार लंबित सिफारिशें	1.7.3	137-138
2.1	उन मांगकर्ता सरकारी संस्थाओं की सूची जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने में देरी के कारण जुर्माना भरा था	2.4	139-142
3.1	31 मार्च 2025 तक राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए लोक लेखा समिति की रिपोर्ट/बकाया अनुच्छेदों के विवरण	3.7.4	143
3.2	31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	3.7.4	144
3.3	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	3.8.1	145
3.4	स्वीकृत मामलों की वसूली	3.8.2	146
6.1	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची	6.1.3	147
6.2	30 सितंबर 2023 तक सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम	6.1.3	148-149
6.3	नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संक्षिप्त संचित हानि जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया	6.5.2	150
7.1	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया लेखों के संबंध में जानकारी	7.2.2	151
8.1	वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु शामिल राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची	8.1.4	152
8.2	वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत शामिल न किए गए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची	8.1.4	153

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
8.3	अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति रखने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची	8.2.2	154
8.4	अपने बोर्ड में महिला निदेशकों को रखने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची	8.2.3	155
9.1	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मानदंड की प्रयोज्यता दर्शाने वाली विवरणी	9.3	156
9.2	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का पिछले वर्ष के शेष सहित आबंटन और वास्तविक व्यय	9.7.1 एवं 9.7.2	157
9.3	कर-पूर्व लाभ की गणना दर्शाने वाली विवरणी	9.7.1	158
10.1	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट	10.3	159
10.2	परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब को दर्शाने वाली विवरणी	10.9.1	160-162
10.3	परियोजनाओं के निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को अंतरित स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	10.9.3	163-165
10.4	30 जून 2024 तक करनाल में क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर निष्पादित/निष्पादनाधीन परियोजनाओं और पैन-सिटी में गैर-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (नॉन-आईसीटी) परियोजना को दर्शाने वाली विवरणी	10.9.4	166-169

प्राक्कथन

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियां और व्यय तथा हरियाणा सरकार के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2022-23 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2022-23 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। प्रतिवेदन में 11 अध्याय शामिल हैं जिनमें 'हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 25 अनुच्छेद शामिल हैं।

सिविल

अध्याय 2: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण एक विस्थापित दावेदार को बहुत कम दर पर प्लॉट आबंटित करने पर ₹ 1.97 करोड़ की हानि हुई, जिसका अनुचित लाभ अंततः एक गैर-विस्थापित व्यक्ति को प्लॉट के आबंटन के चार महीने के भीतर उसके हस्तांतरण/पुनःहस्तांतरण की अनुमति देकर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.2)

वन विभाग द्वारा विद्यमान दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग और परिवर्तित वन भूमि के स्वामित्व मूल्य की कोई मांग न करने के कारण राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में निधियों की वसूली में ₹ 22.63 करोड़ की महत्वपूर्ण कमी आई।

(अनुच्छेद 2.3)

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को समय पर भुगतान करने में संबंधित 191 मांगकर्ता संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की अक्षमता के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के भुगतान में विलंब हुआ और जुर्माना लगाया गया, जिससे अंततः राज्य के खजाने पर ₹ 8.29 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।

(अनुच्छेद 2.4)

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत में चार कार्य चार से पांच वर्षों के बाद भी अपूर्ण रहे, जिससे ₹ 25.86 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

(अनुच्छेद 2.5)

महिला एवं बाल विकास विभाग ने "सुरक्षित भविष्य योजना" के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का अनुरक्षण करने और समय-समय पर इसे अद्यतन करने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया, जिसके कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 12.66 करोड़ के प्रीमियम का अधिक भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

राजस्व सेक्टर

अध्याय 3: सामान्य

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 78,091.69 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 89,194.69 करोड़ थी। इसमें से, 80.39 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 62,960.80 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 8,742.63 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 19.61 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 10,378 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 7,113.26 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था।

(अनुच्छेद 3.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित 117 यूनियों के अभिलेखों की वर्ष 2022-23 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,516 मामलों में कुल ₹ 260.24 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,980 मामलों में आवेष्टित ₹ 79.04 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(अनुच्छेद 3.10)

अध्याय 4: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

(अनुच्छेद 4.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सकल टर्नओवर/करयोग्य टर्नओवर के आधार पर मामलों का निर्धारण ₹ 33.04 करोड़ के स्थान पर ₹ 25.34 करोड़ किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.87 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

अध्याय 5: स्टाम्प शुल्क

73 मामलों में संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 23.37 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3)

218 विलेखों में, कृषि भूमि की दरों का उपयोग करते हुए ₹ 28.69 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। तथापि, भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) से पता चला कि वे आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक प्लॉट/भूमि थे। इस प्रकार, ₹ 46.51 करोड़ उद्ग्रह्य थे। इससे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस संग्रह में ₹ 17.82 करोड़ की कमी आई।

(अनुच्छेद 5.4)

सात डेवलपर्स ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संयुक्त करारों के पंजीकरण का अपवंचन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.99 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.5)

114 किसानों ने जनवरी 2014 के बाद प्राप्त मुआवजे/अवार्ड से कृषि भूमि खरीदी और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में छूट का लाभ उठाया। चूंकि ऐसे मामलों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में किसी छूट की अनुमति नहीं थी, परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 5.6)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को गलती से सरकारी इकाई मानते हुए ₹ 1.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से छूट की अनुमति दी।

(अनुच्छेद 5.7)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 5.8)

वाणिज्यिक

अध्याय 6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2023 तक, राज्य में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दो सांविधिक निगम और तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित 35 सरकारी कंपनियों) थे। 2022-23 में 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ की सूचना दी, जबकि 2021-22 में 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने लाभ की सूचना दी थी। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1049.20 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने अंतिमकृत नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹ 51.05 करोड़ की हानि सूचित की। 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

(अनुच्छेद 6.1.3, 6.3.1, 6.5.1 और 6.5.2)

अध्याय 7: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

30 सितंबर 2023 तक, 34 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण देय थे। तथापि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा

लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए। 25 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरण एक से छः वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे।

(अनुच्छेद 7.2.2)

अध्याय 8: कॉरपोरेट गवर्नेंस

चयनित 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई थी; छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने में छः महीने से अधिक की देरी देखी गई; दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने में 12 महीने की देरी देखी गई; तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किसी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था; एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में कोई व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म स्थापित नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 8.2.2, 8.4, 8.5.1, 8.6.1 और 8.7.1)

अध्याय 9: कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

हरियाणा में 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, जिन्हें अधिनियम के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी, केवल नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने ही इसका अनुपालन किया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के केंद्र बिंदु क्षेत्र शिक्षा और ग्रामीण विकास थे। सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं का चयन बिना किसी आवश्यकता मूल्यांकन के किया गया था। 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से सात, जो मानदंडों को पूरा करते थे, द्वारा रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 9.6.1, 9.8.1, 9.8.3 और 9.10)

अध्याय 10: विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन

हरियाणा में, स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा दो शहरों अर्थात् फरीदाबाद और करनाल का चयन किया गया था। तदनुसार, दो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) अर्थात् फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एफएससीएल) और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड (केएससीएल) का गठन किया गया था।

राज्य के दोनों शहरों के लिए स्मार्ट सिटी प्रस्तावों की तैयारी में नागरिक परामर्श और पिछली योजनाओं की समीक्षा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

दो शहरों के लिए मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 3,896.82 करोड़ की निधियां उपलब्ध कराने की योजना के विरुद्ध विशेष प्रयोजन माध्यम मुख्य रूप से सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से केवल ₹ 1,825.86 करोड़ (46.86 प्रतिशत) ही उपलब्ध करा सके। विशेष प्रयोजन माध्यम सरकार से प्राप्त अनुदान का लाभ उठाने में विफल रहे तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों (अर्थात् सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऋण और भूमि मुद्रीकरण आदि) से अपेक्षित निधियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के अभिसरण हेतु वित्त पोषण पैटर्न के संबंध में दिशानिर्देश जारी न किए जाने के कारण विशेष प्रयोजन माध्यम केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण के अंतर्गत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में विफल रहे। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम, करनाल के साथ अभिसरण के अंतर्गत ₹ 12.86 करोड़ की केवल चार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया।

विशेष प्रयोजन माध्यमों ने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को संशोधित किया और ₹ 1,881.75 करोड़ की 167 परियोजनाओं की योजना बनाई, जिनमें से 152 परियोजनाएं प्रदान की गईं और 112 परियोजनाएं जून 2024 तक पूरी हो गईं। तथापि, केवल 45 परियोजनाएं ही अपनी निर्धारित समय-सीमा में पूरी हो पाईं, जबकि 67 परियोजनाओं को विशुद्ध साइट की कमी, साइट की स्वीकृति में विलंब और ड्राइंग संशोधन जैसे मामलों के कारण तीन से 1506 दिनों तक की देरी का सामना करना पड़ा। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मिशन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चयनित क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 356.87 करोड़ का व्यय किया।

मिशन के कार्यान्वयन के लिए नगर स्तर पर निगरानी तंत्र अपर्याप्त था क्योंकि दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा नगर स्तरीय निगरानी समिति की 10 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 133 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रयोजन माध्यमों ने मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं की तृतीय-पक्ष समीक्षा/प्रभाव का आकलन के लिए कोई एजेंसी नियुक्त नहीं की थी। परिणामस्वरूप, विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार:

- (i) राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मिशन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कदम उठाए;
- (ii) मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार चल रही परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करे; और
- (iii) मापदंडों की पहचान करे तथा मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के प्रभावों के आकलन के लिए तृतीय पक्ष द्वारा समीक्षा करवाए।

(अध्याय 10)

अध्याय 11: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्धारित समय से अधिक समय तक शेयर आवेदन राशि को अपने पास रखने के हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप शेयर आवेदकों को ₹ 1.20 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

(अनुच्छेद 11.1)

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड ने ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर का कब्जा हस्तांतरित करने के साथ-साथ लाइसेंस करार के निष्पादन में देरी की। नवीनीकरण और उन्नयन अवधि (लाइसेंस फीस के बिना) का विस्तार आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए दिया गया, जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ और कंपनी को ₹ 0.68 करोड़ की लाइसेंस फीस आय से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 11.2)

सिविल
(विभाग)

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 प्रतिवेदन के बारे में

हरियाणा सरकार के अधीन 41 विभाग, 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा 42 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं, जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में वर्णित है। इस प्रतिवेदन में राज्य के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों को सम्मिलित किया गया है। अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या लागू कानूनों के प्रावधानों, नियमों और उनके अधीन बनाए गए विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग के लिए भौतिकता का स्तर लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, तथा इस प्रकार, बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही की व्याख्या करता है। अध्याय 2 में सरकारी विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां शामिल हैं, अध्याय 3 सामान्य (राजस्व सेक्टर) पर, अध्याय 4 बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट पर, अध्याय 5 स्टाम्प शुल्क पर, अध्याय 6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन पर, अध्याय 7 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका पर, अध्याय 8 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, अध्याय 9 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर, अध्याय 10 में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां शामिल हैं और अध्याय 11 में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां शामिल हैं।

1.2 बजट प्रोफाइल

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: 2018-23 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	बजट अनुमान	वास्तविक								
सामान्य सेवाएं	29,788	28,169	35,358	31,884	37,228	34,734	39,680	37,948	44,001	42,069
सामाजिक सेवाएं	34,176	29,743	36,114	33,726	43,090	36,164	43,293	40,928	47,255	43,680
आर्थिक सेवाएं	20,916	19,022	22,770	19,238	25,020	19,048	33,954	19,549	24,943	20,657
सहायता अनुदान एवं अंशदान	306	222	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (1)	85,186	77,156	94,242	84,848	1,05,338	89,946	1,16,927	98,425	1,16,199	1,06,406
पूँजीगत परिव्यय	15,780	15,306	16,260	17,666	13,201	5,870	9,318	11,046	22,344	11,665
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,766	756	1,407	1,309	1,213	926	1,239	966	3,662	2,462
लोक ऋण का भुगतान	12,466	17,184	20,257	15,776	22,592	29,498	28,161	25,473	35,052	53,021
आकस्मिक निधि	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
आकस्मिक निधि का विनियोग	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	2,32,569	37,386	1,41,707	42,171	51,356	50,245	59,394	51,728	55,066	67,825
अंतिम नकद शेष	-	2,985	-	3,999	-	3,148	-	4,946	-	3,834
कुल (2)	2,62,581	73,630	1,79,631	80,921	88,362	90,487	98,112	94,159	1,16,124	1,38,807
कुल योग (1+2)	3,47,767	1,50,786	2,73,873	1,65,769	1,93,700	1,80,433	2,15,039	1,92,584	2,32,323	2,45,213

स्रोत: राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2022-23 के दौरान ₹ 2,32,323 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरुद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 2,45,213 करोड़ था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय¹ 29 प्रतिशत बढ़कर ₹ 93,218 करोड़² से ₹ 1,20,533 करोड़³ हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 38 प्रतिशत बढ़कर ₹ 77,156 करोड़ से ₹ 1,06,406 करोड़ और पूँजीगत व्यय 24 प्रतिशत कम होकर ₹ 15,306 करोड़ से ₹ 11,665 करोड़ हो गया। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82 से 93 प्रतिशत रहा जबकि पूँजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत था।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम मूल्यांकन के साथ शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता, प्रत्यायोजित

¹ राजस्व परिव्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

² ₹ 93,218 करोड़ = राजस्व व्यय: ₹ 77,156 करोड़ + पूँजीगत परिव्यय: ₹ 15,306 करोड़ + ऋण एवं अग्रिम: ₹ 756 करोड़।

³ ₹ 1,20,533 करोड़ = राजस्व व्यय: ₹ 1,06,406 करोड़ + पूँजीगत परिव्यय: ₹ 11,665 करोड़ + ऋण एवं अग्रिम: ₹ 2,462 करोड़।

वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा तय की जाती है, तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट एक निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय के अध्यक्ष को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगामी कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2022-23 के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत विभागों की 449 लेखापरीक्षित इकाइयों, धारा 19(1), धारा 19(2) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सात लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 14, 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की 25 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जो विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों की सफलता तथा कार्यविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, के साथ-साथ चयनित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर रिपोर्ट दी। सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 10 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद⁴ शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) के संबंध में प्रशासनिक सचिव के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का उत्तर एक अनुच्छेद के संबंध प्राप्त हुआ। आठ अनुच्छेदों के उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2025)।

⁴ 10 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद = विभागों के 7 अनुच्छेद + सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 3 अनुच्छेद (एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित)।

1.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा किए गए कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं, जिनकी प्रतियां उनके अगले उच्च प्राधिकारी/प्रबंधन को प्रेषित की जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से अपेक्षा की जाती है कि वे बताई गई त्रुटियों तथा चूकों को शीघ्रता से ठीक करें और चार सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालन रिपोर्ट दें। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की मानीटरिंग तथा अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं।

31 मार्च 2023 तक राज्य में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों के विरुद्ध 8,049 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 24,242 अनुच्छेद लंबित थे, जैसा कि **तालिका 1.2** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2016-17 से पहले	5,624	13,239
2017-18	583	1,804
2018-19	592	2,272
2019-20	465	1,927
2020-21	300	1,445
2021-22	239	1,465
2022-23	246	2,090
कुल	8,049	24,242

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्ट्रारों से ली गई सूचना।

मार्च 2023 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं का श्रेणी-वार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में चर्चा

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्टूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर स्व प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए भले ही उन मामलों को लोक लेखा समिति /लोक उपक्रम समिति द्वारा जांच हेतु लिया गया है या नहीं। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अंदर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक

कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी।

2020-25 के दौरान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: 2020-25 के दौरान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

क्र. सं.	अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	समिति जिसमें अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी है	मार्च 2025 तक चर्चा की स्थिति
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - 2019 (वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 2)	5 मार्च 2021	लोक उपक्रम समिति	2022-23 और 2023-24 के दौरान चर्चा की गई
2.	अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) - 2019 (वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3)	16 मार्च 2021	लोक लेखा समिति	2021-22 के दौरान चर्चा की गई
3.	सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - 2020 (वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 4)	22 दिसंबर 2021	लोक लेखा समिति/ लोक उपक्रम समिति	2022-23 और 2023-24 के दौरान चर्चा की गई
4.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2)	8 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
5.	परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 4)	8 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
6.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 6)	10 अगस्त 2022	लोक उपक्रम समिति	चर्चा के अधीन
7.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास क्लस्टरों की अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 7)	10 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति ⁵ तथा लोक उपक्रम समिति ⁶	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
8.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2 (वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1)	22 मार्च 2023	लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति ⁷	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
9.	ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 3)	25 अगस्त 2023	लोक लेखा समिति	2024-25 के दौरान चर्चा की गई
10.	जन स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 2)	13 नवंबर 2024	लोक लेखा समिति	कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रतीक्षित

मार्च 2025 तक, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 6) पर लोक उपक्रम समिति के साथ चर्चा चल रही थी, जिसके लिए कृत कार्रवाई टिप्पणियां अक्टूबर 2023 में प्राप्त हुई थी।

⁵ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तीन अनुच्छेद (4.1, 4.2 और 4.3)।

⁶ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के छः अनुच्छेद (2.1 से 2.3 और 3.1 से 3.3)।

⁷ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का एक अनुच्छेद (5.17)।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित वसूली के लिए कार्रवाई प्रतीक्षित

वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 33 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के माध्यम से इंगित ₹ 1,961.17 करोड़ की वसूली के लिए कार्रवाई मार्च 2025 तक प्रतीक्षित थी। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित बकाया वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है। लोक लेखा समिति ने संबंधित विभागों को यह राशि वसूल करने की भी सिफारिश की है।

1.7.3 लोक उपक्रम समिति तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों का अनुपालन

वर्ष 1979-80 से 2024-25 के लिए लोक लेखा समिति की 16वीं से 91वीं रिपोर्ट में शामिल 649 सिफारिशों और वर्ष 1983-84 से 2024-25 के लिए लोक उपक्रम समिति की 16वीं से 71वीं रिपोर्ट में शामिल 265 सिफारिशों पर अंतिम कार्रवाई **परिशिष्ट 1.4** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रतीक्षित थी। लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति की लंबित सिफारिशों का विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दिया गया है।

अध्याय 2

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

अध्याय-2

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

2.1 परिहार्य वित्तीय भार

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकार और भूमि अधिग्रहण/भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एल.ए./एल.ए.आर.आर.) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक सड़क परियोजना में गैर-अधिगृहीत भूमि का उपयोग करने और माननीय न्यायालय के निर्देशों के बाद ही इसके अधिग्रहण ने भू-स्वामियों को लंबी अवधि के लिए बिना किसी मुआवजे के उनकी भूमि से वंचित रखा और इसके कारण ₹ 3.66 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार भी पड़ा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानूनी प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 8 के अनुसार, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि को चिह्नित किया जाना और मापा जाना अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत, ऐसी भूमि का उपयोग हकदार व्यक्तियों को भूमि के सभी हितों के मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

शहरी संपदा विभाग, हरियाणा सरकार ने ग्राम खेड़की दौला के पास द्वारका टाउनशिप (दिल्ली) को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से जोड़ने वाली 150 मीटर चौड़ी परिधि सड़क (सड़क परियोजना) विकसित करने के लिए गुरुग्राम में 64.62 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की (जनवरी 2008)। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा की गई थी (मार्च 2008) और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत 63.84 एकड़¹ भूमि के लिए ₹ 52.90 करोड़² का अवार्ड घोषित किया गया (सितंबर 2008)।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम के जोनल प्रशासक की लेखापरीक्षा से पता चला (नवंबर 2022) कि उपर्युक्त सड़क परियोजना के लिए 63.84 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करते समय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम³ के धनवापुर गांव में सड़क निर्माण के लिए तीन कनाल⁴ (0.375 एकड़) भूमि का उपयोग अधिग्रहण के बिना और भू-स्वामियों को मुआवजा दिए बिना किया था। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम में सेक्टर 99 से 115 में सेक्टर सड़कों के लिए वर्ष 2009-10 में की गई भूमि अधिग्रहण की अनुवर्ती प्रक्रिया के दौरान भी इस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

¹ भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत फील्ड स्टाफ द्वारा मौके पर मापी गई।

² ₹ 60 लाख प्रति एकड़ और अन्य प्रभार जैसे संरचना का मुआवजा, अनिवार्य अधिग्रहण आदि।

³ खसरा संख्या 40//13/2मिन (0-13) और 14मिन (2-7)

⁴ एक कनाल = 605 वर्ग गज; एक एकड़ = 8 कनाल

पीड़ित भू-स्वामियों ने मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एलएआरआर अधिनियम) के अंतर्गत मुआवजे के लिए अनुरोध किया (दिसंबर 2018)। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामियों के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा गैर-अधिगृहीत भूमि का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया था। इस निष्क्रियता के कारण भू-स्वामियों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की (अप्रैल 2019)। माननीय न्यायालय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम के अंतर्गत उपर्युक्त गैर-अधिगृहीत भूमि के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2021)। इसके बाद, एक समिति⁵ ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संशोधित नीति (8 मार्च 2019)⁶ की क्लॉज ए (ii) के अनुसार 3-कनाल (0.375 एकड़) भूमि ₹ 3.97 करोड़⁷ में खरीदने की सिफारिश की (अक्टूबर 2021)। भू-स्वामियों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पक्ष में ₹ 3.97 करोड़ के भुगतान पर निष्पादित बिक्री विलेख (अगस्त 2023) के माध्यम से भूमि औपचारिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई।

इस प्रकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा एक सड़क परियोजना में गैर-अधिगृहीत भूमि का उपयोग भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकार और भूमि अधिग्रहण/भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया और माननीय न्यायालय के निर्देशों के बाद ही इसका अधिग्रहण किया गया, जिससे न केवल भू-स्वामियों को बिना किसी मुआवजे के उनकी भूमि से वंचित रखा गया, बल्कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर ₹ 3.66 करोड़ (₹ 3.97 करोड़ - ₹ 0.31 करोड़⁸) का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ा।

प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (नवंबर 2024) कि साइट पर विकास कार्यों के निष्पादन के दौरान, यह पता चला कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की परियोजना को पूरा करने के लिए आस-पास की गैर-अधिगृहीत भूमि के कुछ हिस्से का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक था। नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार लंबी अधिग्रहण प्रक्रिया से बचने के लिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अवसंरचना परियोजनाओं के लिए गैर-अधिगृहीत भूमि की खरीद के संबंध में एक नीति बनाई और तदनुसार ₹ 3.97 करोड़ का भुगतान किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को साइट पर विकास कार्य के दौरान ही इस तथ्य की जानकारी थी कि गैर-अधिगृहीत भूमि का उपयोग सड़क परियोजना में किया जाना था। तथापि, उसने अधिग्रहण के बिना ही इस भूमि का उपयोग सड़क परियोजना

⁵ गैर-अधिगृहीत भूमि के हिस्से के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम, डीटीपी/एटीपी, गुरुग्राम, एसई-1, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम और संपदा अधिकारी-1, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम शामिल थे।

⁶ भू-स्वामी की भूमि से सटी/संलग्न भूमि के लिए घोषित अभिनिर्णय (अवार्ड) या उस राजस्व संपदा की कलेक्टर दर, जिसमें भूमि स्थित है, में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर भूमि की अद्यतन लागत का भुगतान किया जाएगा।

⁷ प्रति एकड़ ₹ 4.48 करोड़ की दर से गणना की गई, जिसमें 100 प्रतिशत अनुग्रह राशि (सोलेशियम) और 1,094 दिनों के लिए 12 प्रतिशत ब्याज शामिल है।

⁸ आनुपातिक लागत अर्थात् ₹ 52.90 करोड़/63.84 एकड़ * 0.375 एकड़।

में कर लिया तथा ग्यारह वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद और माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही इसे खरीदा।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के पास भेजा गया था (मई 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार, भूमि अधिग्रहण/भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम के प्रावधानों तथा भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए अधिग्रहण के बिना सड़क परियोजना में निजी भूमि के उपयोग के लिए उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

2.2 विस्थापितों के लिए नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण एक विस्थापित दावेदार को बहुत कम दर पर प्लॉट आबंटित करने पर ₹ 1.97 करोड़ की हानि हुई, जिसका अनुचित लाभ अंततः एक गैर-विस्थापित व्यक्ति को प्लॉट के आबंटन के चार महीने के भीतर उसके हस्तांतरण/पुनःहस्तांतरण की अनुमति देकर दिया गया।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उन विस्थापितों⁹ को प्लॉट प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की (सितंबर 1987) जिनकी भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत की गई थी। तदनुसार, विस्थापितों को विस्थापितों के दावों/कोटे के विरुद्ध आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों के उत्तर में संबंधित संपदा अधिकारी को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था, जिसके साथ अवाई, नकल जमाबंदी या रजिस्ट्री की एक प्रति और प्लॉट की लागत के 10 प्रतिशत के बराबर बयाना राशि भी जमा करनी थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नीति दिशानिर्देशों (अगस्त 2016) की क्लॉज 15 में यह निर्धारित किया गया कि किसी विस्थापित व्यक्ति, जिसने पहले विस्थापित नीति के अंतर्गत प्लॉट के लिए आवेदन किया था और जिसका आवेदन या तो निर्णय के लिए लंबित था या उसे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन न्यायालय/प्राधिकरण/फोरम द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया था, को नए विज्ञापन के उत्तर में प्लॉट के लिए आवेदन करने की सलाह दी जानी चाहिए। उपर्युक्त नीति दिशानिर्देशों में मई 2018 में संशोधन किया गया था, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त, क्लॉज 15ए और क्लॉज 19 शामिल थी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- **क्लॉज 15ए** में प्रावधान है कि यदि कोई विस्थापित व्यक्ति नए विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करता है, तो प्लॉट की कीमत नए विज्ञापन में विज्ञापित दरों के अनुसार ही ली जाएगी। तथापि, यदि विस्थापित की पात्रता निर्धारित करने के बावजूद पूर्ववर्ती विज्ञापन के आधार पर प्लॉट आबंटित नहीं किया जा सका, तो उस विज्ञापन के अनुसरण में विस्थापित द्वारा आवेदन के समय प्रचलित मूल्य, आबंटन तिथि तक 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित, लिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया था कि पात्रता पर तभी विचार/निर्धारण किया जाएगा जब विस्थापित व्यक्ति ने लागू नीति के अनुसार सभी औपचारिकताएं/शर्तें पूरी कर ली हों और उनसे संतुष्ट हो।

⁹ वे व्यक्ति जिनकी भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत की गई थी।

- क्लॉज 19 में प्रावधान है कि आबंटित प्लॉट को आबंटन-पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2023) कि एक भू-स्वामी वर्ष 1992 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 11 कनाल¹⁰ 8 मरला¹¹ (गांव रामगढ़, तहसील और जिला पंचकुला) कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध विस्थापित कोटे के अंतर्गत एक कनाल¹² के प्लॉट के आबंटन के लिए पात्र था। भू-स्वामी ने विस्थापित कोटे के अंतर्गत प्लॉट के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि मार्च 2006 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विस्थापितों की योजना के विज्ञापन से पहले फरवरी 2006 में उनकी मृत्यु हो गई थी। भू-स्वामी की विधवा और दो अन्य लोगों सहित तीन व्यक्तियों, जिनमें से प्रत्येक के पास मृतक भू-स्वामी से अलग 'वसीयत' हैं, द्वारा विस्थापित दावे के विरुद्ध प्लॉट के आबंटन के लिए आवेदन करने पर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के शीर्ष अपीलीय निकाय ने निर्णय लिया (फरवरी 2008) कि तीनों आवेदकों को संयुक्त रूप से प्लॉट आबंटित किया जाएगा। तथापि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया (जुलाई 2009), जिसमें भू-स्वामी की विधवा को छोड़कर केवल दो आवेदकों को ही प्लॉट का अधिकार दिया गया। इस आदेश को मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अदालत में चुनौती दी गई (जुलाई 2009)।

अपर जिला न्यायाधीश, पंचकुला की अदालत ने विस्थापित कोटे के अंतर्गत प्लॉट के लिए उपर्युक्त तीनों आवेदकों के अधिकार को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया (मार्च 2019) कि मृतक भू-स्वामी के कानूनी उत्तराधिकारी विस्थापित कोटे के अंतर्गत प्लॉट के हकदार हैं, लेकिन यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की विस्थापितों की नीति के अनुसार ही होगा। इसके बाद, मृतक भू-स्वामी के एक बेटे ने मृतक भू-स्वामी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपने नाम पर प्लॉट के आबंटन के लिए अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत किया (मार्च 2021)। संपदा अधिकारी, पंचकुला ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संशोधित नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 11 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर के साथ वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 66,000 प्रति वर्गमीटर की बजाय 2006 में प्रचलित ₹ 19,190 प्रति वर्गमीटर की दर पर 420 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले एक प्लॉट के आबंटन हेतु मृतक भू-स्वामी के पुत्र के पक्ष में आबंटन-पत्र जारी किया (अप्रैल 2021)। इसके अतिरिक्त, संशोधित नीति दिशानिर्देशों की क्लॉज 19 के उल्लंघन में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उक्त आबंटित प्लॉट को दो बार, पहले जून 2021 में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर और उसके बाद अगस्त 2021 में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, हस्तांतरित करने की अनुमति दी।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने स्वयं के नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, जिसके कारण दावेदार विस्थापित को बहुत कम दर पर प्लॉट आबंटित करने पर ₹ 1.97 करोड़¹³ की हानि हुई, जिसका लाभ अंततः एक गैर-विस्थापित व्यक्ति को विस्थापित कोटे के अंतर्गत आबंटित प्लॉट को आबंटन के चार महीने के भीतर उसके हस्तांतरण/पुनःहस्तांतरण की अनुमति देकर दिया गया।

¹⁰ कृषि भूमि के लिए एक कनाल 605 वर्ग गज के बराबर होता है।

¹¹ एक मरला 30 वर्ग गज के बराबर होता है।

¹² शहरी क्षेत्रों में एक कनाल 500 वर्ग गज के बराबर होता है।

¹³ ₹ 66,000 - ₹ 19,190 (प्रति वर्गमीटर) x 420 वर्गमीटर।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2025) कि अगस्त 2016 और मई 2018 की नीतियों के अनुसार, विस्थापित व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के समय प्रचलित कीमतों को 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ प्रभारित किया जाना था। इसलिए, कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संशोधित नीति दिशानिर्देशों की क्लॉज 15ए के अनुसार, प्लॉट का आबंटन ₹ 66,000/- प्रति वर्गमीटर की प्रचलित दर पर किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, उत्तर में विस्थापितों के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विस्थापित कोटे के अंतर्गत आबंटित प्लॉट के हस्तांतरण/पुनःहस्तांतरण की अनुमति देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

सिफारिश: राज्य सरकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के वित्तीय हित से समझौता करने और एक गैर-विस्थापित व्यक्ति को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए विस्थापितों की नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

वन विभाग

2.3 निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग

विभाग द्वारा विद्यमान दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग और परिवर्तित वन भूमि के स्वामित्व मूल्य की कोई मांग न करने के कारण राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में निधियों की वसूली में ₹ 22.63 करोड़ की महत्वपूर्ण कमी आई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण नियम, 2003 (इसके बाद दिशानिर्देश के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के प्रभावी एवं पारदर्शी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों की पुस्तिका जारी की (मार्च 2019)। ये दिशानिर्देश गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं।

दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 में प्रावधान है कि प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए प्राप्त निधियों के अतिरिक्त, गैर-वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित की जा रही वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) भी वन सुरक्षा, संरक्षण उपायों और संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से वसूल किया जाना है। इसके अतिरिक्त, पैरा 3.4 में प्रावधान है कि यदि परिवर्तित वन भूमि का क्षेत्र किसी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है तो लागू निवल वर्तमान मूल्य सामान्य निवल वर्तमान मूल्य का पांच गुना होगा। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में 'लागत-लाभ विश्लेषण (सीबीए)' करना अनिवार्य है जहां प्रस्तावित परिवर्तित वन भूमि पहाड़ियों पर स्थित है और इसमें पांच हेक्टेयर से अधिक वन भूमि शामिल है। 'लागत-लाभ विश्लेषण' के बाद, परिवर्तित

वन भूमि के स्वामित्व मूल्य के रूप में अतिरिक्त लागत¹⁴ उपयोगकर्ता एजेंसी से वसूल की जानी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 2022)¹⁵ कि वन विभाग, हरियाणा सरकार (विभाग) ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) द्वारा 440 किलोवोल्ट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) सब-स्टेशन नग्गल (बरवाला) से पंचकुला और पिंजौर में 220 किलोवोल्ट लाइनों के स्थापन के लिए वन भूमि के डायवर्जन के संबंध में अनुमोदन के लिए सिफारिश की (जून 2020)। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (सितंबर 2020) और उसके बाद अंतिम अनुमोदन (दिसंबर 2021) प्रदान किया। इस परियोजना में उक्त ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के लिए पंचकुला के खोल ही-रैतान वन्यजीव अभयारण्य में 46.375 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन शामिल था। विभाग ने उपर्युक्त वन भूमि की कुल डायवर्जन लागत (प्रतिपूरक वनरोपण, निवल वर्तमान मूल्य आदि सहित) के रूप में ₹ 21.96 करोड़ की मांग की, और इसे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जमा किया गया (अक्टूबर 2021)। इस राशि में वन्यजीव अभयारण्य भूमि के डायवर्जन के लिए देय ₹ 20.57 करोड़¹⁶ (सामान्य निवल वर्तमान मूल्य का पांच गुना) के बजाय केवल ₹ 4.11 करोड़¹⁷ का निवल वर्तमान मूल्य शामिल था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों में दिए गए अनुसार 'लागत-लाभ विश्लेषण' भी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा वन भूमि के ₹ 6.17 करोड़ (निवल वर्तमान मूल्य का 30 प्रतिशत) के स्वामित्व मूल्य की मांग भी नहीं की गई थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग और परिवर्तित वन भूमि के स्वामित्व मूल्य की कोई मांग न करने के कारण, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में निधियों की वसूली में ₹ 22.63 करोड़¹⁸ की महत्वपूर्ण कमी आई।

मंडलीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) मोरनी-पिंजौर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए निवल वर्तमान मूल्य की मांग उपयोगकर्ता एजेंसी से की गई है, जिसकी वसूली अभी नहीं हुई है। यह भी बताया गया कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से ₹ 22.63 करोड़ जमा करने के लिए पुनः अनुरोध किया गया है (अगस्त 2025)।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन एवं वन्य जीव विभाग के पास भेजा गया था (मार्च और मई 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

¹⁴ सिंचाई, जलविद्युत, रेलवे, सड़कों, पवन ऊर्जा और पारेषण लाइनों तथा खनन आदि जैसी परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई वन भूमि के वापस आने की संभावना नहीं है और यह उपयोगकर्ता एजेंसियों के कब्जे में ही रहती है। इसलिए, विपथित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य या जिले में आसपास के क्षेत्र के बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत वनों की हानि के कारण होने वाली पर्यावरणीय लागतों के अतिरिक्त "वन भूमि का कब्जा मूल्य" के रूप में लागत घटक के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

¹⁵ मंडलीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) मोरनी-पिंजौर के अभिलेखों की जांच के दौरान।

¹⁶ ₹ 4,11,34,625*5= ₹ 20,56,73,125

¹⁷ ₹ 8,87,000 प्रति हेक्टेयर * 46.375 = ₹ 4,11,34,625

¹⁸ ₹ 20.57 करोड़ + ₹ 6.17 करोड़ - ₹ 4.11 करोड़ (पहले से भुगतान किया गया) = ₹ 22.63 करोड़।

मानव संसाधन विभाग और वित्त विभाग

2.4 राज्य के खजाने पर परिहार्य वित्तीय भार

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को समय पर भुगतान करने में संबंधित 191 मांगकर्ता संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की अक्षमता के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के भुगतान में विलंब हुआ और जुर्माना लगाया गया, जिससे अंततः राज्य के खजाने पर ₹ 8.29 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 38 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 3 के अनुसार, किसी भी प्रतिष्ठान के नियोक्ता को प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास भविष्य निधि अंशदान जमा करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (अधिनियम) की धारा 7क्यू में प्रावधान है कि नियोक्ता देरी के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और अधिनियम की धारा 14बी भविष्य निधि आयुक्त को भुगतान में चूक के लिए नियोक्ता पर जुर्माना लगाने का प्राधिकार देती है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) को हरियाणा की सभी सरकारी संस्थाओं को संविदा कर्मचारी प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था (अक्टूबर 2021)। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से संविदा कर्मचारियों की तैनाती के लिए हरियाणा संसाधन विभाग (एचआरडी) अर्थात् हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के प्रशासनिक विभाग, हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों की तैनाती नीति, 2022 (नीति) नामक एक नीति तैयार की, जो 01 अप्रैल 2022¹⁹ से लागू थी। नीति के पैराग्राफ 5.4 और 5.5 के अनुसार, प्रत्येक मांगकर्ता विभाग को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पोर्टल पर जारी किए गए चालानों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपेक्षित है। यदि तैनात कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नहीं किया जाता है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड उस मांग करने वाले संगठन से कर्मचारियों को वापस लेने और/या ₹ 50 प्रतिदिन प्रति कर्मचारी की दर से जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

संविदा कर्मचारियों की मांग हेतु मांग-पत्र जारी करने, उपस्थिति दर्ज करने और तैनात कर्मचारियों के लिए मासिक चालान जारी करने सहित पूरी प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति जमा करने और अपलोड करने के बाद, पोर्टल पर मासिक चालान स्वचालित रूप से तैयार हो जाते हैं। तदनुसार, मांगकर्ता सरकारी संस्थाओं से मासिक चालान का भुगतान प्राप्त करने के बाद, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, तैनात कर्मचारियों को उपस्थिति के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान करता है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मासिक अंशदान करता है।

¹⁹ राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2022 को अधिसूचित।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने सभी प्रशासनिक सचिवों और सभी मांगकर्ता विभागों/सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों से अनुरोध किया (अगस्त 2022 में) कि वे संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर सभी संविदा कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा का सही विवरण प्रस्तुत करें, और कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा भुगतान जमा करने में देरी के कारण हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पर लगाया गया कोई भी जुर्माना संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, पंचकुला के कार्यालय में लेखापरीक्षा (अगस्त-सितंबर 2023) के दौरान, यह पाया गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने 191 मांगकर्ता सरकारी संस्थाओं के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान भेजने में 12 से 530 दिनों तक की देरी के कारण, जुलाई 2022 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ₹ 8.29 करोड़ के जुर्माने का भुगतान किया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में विस्तृत रूप से बताया गया है तथा **तालिका 2.1** में संक्षेप में बताया गया है।

तालिका 2.1: विलंब और जुर्माने के भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

भुगतान किए गए प्रेषण का माह	भुगतान की गई जुर्माने की राशि (₹ लाख में)	विलंबित अवधि (दिनों में)	
		न्यूनतम	अधिकतम
जुलाई 2022	169.08	13	142
अक्टूबर 2022	150.27	13	197
नवंबर 2022	82.80	25	239
दिसंबर 2022	56.73	15	350
जनवरी 2023	47.46	13	289
फरवरी 2023	30.83	14	318
मार्च 2023	39.71	17	352
अप्रैल 2023	46.01	16	381
मई 2023	31.00	15	411
जून 2023	51.22	19	442
जुलाई 2023	63.70	16	473
अगस्त 2023	38.26	15	502
सितंबर 2023	22.22	12	530
कुल	829.29		

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भुगतान किया गया जुर्माना, बाद में संबंधित मांगकर्ता सरकारी संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से आगामी माह के चालान में जुर्माने की राशि जोड़कर वसूल किया गया। कुल जुर्माने में से, ₹ 4.69 करोड़ (56.57 प्रतिशत) केवल नौ प्रमुख चूककर्ता संगठनों/विभागों द्वारा वहन किए गए, जिनकी राशि ₹ 0.20 करोड़ से ₹ 1.52 करोड़ के बीच थी, जैसा कि **तालिका 2.2** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: प्रमुख चूककर्ता संगठनों/विभागों द्वारा वहन किए गए जुर्माने के विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	जुर्माने की राशि (₹ लाख में)
1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	152.33
2	स्वास्थ्य	102.50
3	सिंचाई एवं जल संसाधन	57.58
4	प्राथमिक शिक्षा	31.98
5	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	29.73
6	शहरी स्थानीय निकाय	26.84
7	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	25.41
8	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	21.97

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा तैनात कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा करने में देरी के मुख्य कारण संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर कर्मचारियों के विवरण को गलत ढंग से अद्यतन करना और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को मासिक भुगतान में देरी थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हरियाणा सरकार ने अपने 17 मार्च 2023 के परिपत्र के माध्यम से नीति के पैराग्राफ 5.5 को हटा दिया था, जिसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को चूककर्ता संगठनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था। इसलिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पास चूककर्ता संस्थाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं बचा, सिवाय इसके कि वह समय-समय पर उनसे समय पर भुगतान करने का अनुरोध करता रहे।

इस प्रकार, संबंधित 191 मांगकर्ता संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को समय पर भुगतान न करने में अक्षमता के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान देरी से हुआ और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया गया, जिससे अंततः राज्य के खजाने पर ₹ 8.29 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया (अप्रैल 2025) कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भुगतान में देरी के मुख्य कारण बजट की अनुपलब्धता और संविदा कर्मियों द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने सभी सरकारी संस्थाओं को निर्देश जारी किए (नवंबर 2024) कि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियोजित सभी संविदा कर्मचारियों के संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि डेटा के सही विवरण को अद्यतन करना सुनिश्चित करें और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भुगतान करें; यदि किसी विभाग के पास बजट संबंधी कोई समस्या है तो उसे वित्त विभाग के साथ मामला उठाना चाहिए।

लेखापरीक्षा स्वीकार करती है कि राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की तैनाती नीति, 2022 में पैराग्राफ 5.5 को शामिल करके संशोधन को अधिसूचित किया (मई 2025), जिसके अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को दोषी संगठनों/विभागों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया, जिसे पहले मार्च 2023 में हटा दिया गया था।

सिफारिश: राज्य सरकार, तैनात कर्मचारियों का विवरण अद्यतन न करने और राज्य के खजाने पर परिहार्य वित्तीय भार डालने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित संगठन/विभाग द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि आदि जैसी सांविधिक देय राशियों के भुगतान हेतु बजट मांग समय पर प्रस्तुत की जाती है और उन्हें समय पर जारी भी की जाती है।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

2.5 अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत में चार कार्य चार से पांच वर्षों के बाद भी अपूर्ण रहे, जिससे ₹ 25.86 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित (अक्टूबर 2009) हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) लोक निर्माण से संबंधित विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जैसे कि कार्यों को समय पर पूरा करना, कार्यक्रमों का पारदर्शी और लागत प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन तथा सबसे उपयुक्त सामग्री, डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा प्रबंधन पद्धतियों का उपयोग करना, आदि। संहिता के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

- पैरा 10.1.3 में यह प्रावधान है कि किसी भी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय, भूमि की उपलब्धता सहित, क्षेत्र की स्थिति का पता लगाने के लिए साइट का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुमान इच्छित उद्देश्य के लिए एक लागत-प्रभावी प्रस्ताव होना चाहिए और यथासंभव सटीक होना चाहिए।
- पैरा 9.5.1 में यह प्रावधान है कि किसी विस्तृत अनुमान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति का तात्पर्य यह है कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से सुदृढ़ है, विनिर्देशन इच्छित सेवा के लिए उपयुक्त हैं तथा अनुमान पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर वास्तविक है।
- पैरा 9.3.7 और 9.3.10 में यह प्रावधान है कि जहां व्यय में प्रशासनिक अनुमोदन (एए) से 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना हो, वहां संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक है। संशोधित अनुमान के लिए मामला यथाशीघ्र, अधिमानतः संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता की जानकारी होने के एक महीने के भीतर भेजा जाना चाहिए।

- पैरा 16.37.1 में, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधान है कि समय की अधिकता के परिणामस्वरूप परियोजना लागत और संविदात्मक दावे बढ़ सकते हैं और सुविधा के उपयोग में और देरी हो सकती है। समय की अधिकता की घटनाओं को कम करने के लिए, (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साइट की स्थितियां निविदा दस्तावेज में वर्णित स्थितियों से बहुत भिन्न नहीं हैं, साइट का गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए; (ii) कार्य शुरू होने से पहले साइट ठेकेदार को सौंप दी जानी चाहिए; (iii) परियोजना को समग्र रूप से व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

लोक निर्माण विभाग (विभाग) के चार मंडलों²⁰ के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण चार कार्य अपूर्ण रह गए तथा उन पर ₹ 25.86 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) जलभराव की संभावना वाले स्थल के कारण अपूर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन

राज्य सरकार ने गांव नलवी, बसंतपुर, कुरुक्षेत्र में ₹ 11.10 करोड़ की लागत से एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2019)। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने ₹ 7.78 करोड़ के विस्तृत अनुमान हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2019)। यह कार्य एक ठेकेदार को ₹ 7.57 करोड़ की लागत से 18 महीने (11 जनवरी 2021 तक) की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ सौंपा गया था (जून 2019)।

ठेकेदार ने कार्यकारी अभियंता को सूचित किया (जुलाई 2019) कि यह स्थल एक निचला जलभराव क्षेत्र था जहां बारिश के दौरान जलभराव की संभावना रहती थी और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग से मिट्टी भरने का अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कार्यकारी अभियंता ने मिट्टी भरने के लिए ₹ 25.03 लाख का अनुमान जून 2023 में ही प्रस्तुत किया, जो कि अनुमोदित नहीं हुआ।

ठेकेदार ने जुलाई 2022 तक ₹ 4.02 करोड़ का कार्य पूरा कर लिया था (नवंबर 2022 में भुगतान किया गया), उसके बाद कार्य में कोई प्रगति या भुगतान नहीं हुआ। साइट की बाधाओं को दूर करने के बजाय, प्रमुख अभियंता ने ठेकेदार को मार्च 2023 तक का समय विस्तार प्रदान किया (अगस्त 2022)। ठेकेदार ने दोहराया (सितंबर 2022) कि यदि मिट्टी भरने का कार्य तीन वर्ष पहले किया गया होता तो कार्य मूल समय-सीमा के भीतर पूरा हो सकता था।

इस प्रकार, समय पर साइट की बाधाओं को दूर करने में विभाग की अक्षमता के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिससे ₹ 4.02 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, साथ ही अभी तक इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, जैसा कि नीचे दिए गए फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:

²⁰ प्रांतीय मंडल-2, कुरुक्षेत्र (दिसंबर 2023), प्रांतीय मंडल, रेवाड़ी (दिसंबर 2018 और जनवरी 2024), प्रांतीय मंडल, पानीपत (अक्टूबर 2023) और प्रांतीय मंडल-2, कैथल (अक्टूबर 2023)।



13 अगस्त 2025 तक अपूर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन को दर्शाने वाला फोटोग्राफ
(कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल-2, कुरुक्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया)

प्रमुख अभियंता ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2024) कि अनुमान तैयार करने से पहले साइट का सर्वेक्षण किया गया था। परियोजना स्थल मुख्य रूप से मारकंडा नदी बेसिन के भीतर स्थित था, जिस कारण यह क्षेत्र भारी बारिश के दौरान बाढ़ और लंबे समय तक जलभराव के कारण संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी अभियंता ने सूचित किया (अगस्त 2025) कि मिट्टी भरने का कार्य ₹ 20 लाख की लागत से अप्रैल 2025 में निष्पादित किया गया था और यह कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

यह स्पष्ट है कि मिट्टी भरने के कार्य में पांच वर्ष से अधिक की देरी के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण अपूर्ण रह गया, जिससे अपेक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ा।

(ii) पहुंच मार्ग न बनने के कारण अपूर्ण रेलवे अंडर ब्रिज और अंडरपास

राज्य सरकार ने रेवाड़ी-नारनौल लाइन पर किलोमीटर 13/0-1 (आरडी 65,400) पर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण के लिए ₹ 19.89 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जून 2017) ताकि गोविंदपुरी गांव के निवासियों को अपने खेतों पर आने-जाने के दौरान दुर्घटना के जोखिम से बचाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2020) प्रस्ताव के अनुसार, इस परियोजना में रेलवे द्वारा रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एक अंडरपास का निर्माण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा गोविंदपुरी गांव तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल था। पहुंच मार्ग के लिए 6 कनाल 2 मरला भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित था।

रेलवे ने रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किया, जिसके लिए प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), रेवाड़ी ने रेलवे के पास ₹ 11.84 करोड़ जमा किए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सितंबर 2020 में उसे सौंपे²¹ गए रोड अंडरपास का निर्माण भी कर दिया था। तथापि, लोक निर्माण विभाग ने गोविंदपुरी गांव तक पहुंच मार्ग के लिए भूमि की खरीद हेतु

²¹ राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के निर्माणाधीन होने के कारण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने रियायतग्राही से सड़क अंडरपास का निर्माण कराने पर सहमति व्यक्त की, जिसके लिए राज्य सरकार से किसी निधि की मांग नहीं की गई थी।

ई-भूमि पोर्टल पर सितंबर 2022 में ही मांग-पत्र तैयार कर लिया था। जून 2024 तक, केवल एक कनाल भूमि के लिए ही सहमति प्राप्त हुई थी, जिससे यह संकेत मिला कि पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण पहुंच मार्ग का कार्य निष्पादित नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा पहुंच मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु समय पर कार्रवाई न किए जाने के कारण रेलवे अंडर ब्रिज अनुपयोगी रहा, जिससे इसके निर्माण पर किया गया ₹ 11.84 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (जून 2024) कि शेष 5 कनाल 2 मरला भूमि के अधिग्रहण हेतु भू-स्वामियों की सहमति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे। अपेक्षित भूमि की खरीद के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

तथापि, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (जुलाई 2025) के अनुसार, शेष 5 कनाल 2 मरला भूमि के लिए सहमति अभी भी प्रतीक्षित थी।

(iii) अनुमान में अपर्याप्त प्रावधान के कारण अपूर्ण पुल

ग्रामीणों को अनाज मंडी, चीका (कैथल) तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से, मारकंडा नदी पर एक पुल के निर्माण सहित गांव भागल और गांव मगरान के बीच चार किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य के लिए ₹ 7.48 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया (दिसंबर 2017)। ₹ 8.13 करोड़ के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2019) जिसमें पुल के लिए ₹ 5.74 करोड़ का प्रावधान शामिल था। यह कार्य एक ठेकेदार को ₹ 7.58 करोड़ की करार राशि पर सौंपा गया (जून 2019), जिसके पूरा होने की समय-सीमा जनवरी 2021 थी। ठेकेदार ने जुलाई 2021 तक ₹ 8.14 करोड़ के कार्यों को निष्पादित किया और उसके बाद कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचनात्मक ड्राइंग में अवरोधक दीवारों को शामिल किए जाने के बावजूद, अनुमान में अवरोधक दीवारों का प्रावधान न होने के कारण पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका। कार्यकारी अभियंता ने अवरोधक दीवार की लागत जोड़ने के बाद अप्रैल 2023 में ₹ 13.83 करोड़ का संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 14.90 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था (फरवरी 2024)।

इस प्रकार, अवरोधक दीवारों का प्रावधान शामिल किए बिना अपूर्ण अनुमान तैयार करने के कारण पुल का निर्माण निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सका, जिससे उस पर किया गया ₹ 8.14 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया और ग्रामीणों को इसके अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा, जैसा कि नीचे दिए गए फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:



भागल और मगरान गांवों के बीच सड़क पर मारकंडा नदी पर अपूर्ण पुल को दर्शाता फोटोग्राफ
(19 अगस्त 2025 को कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल-2, कुरुक्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया)

प्रमुख अभियंता ने बताया (जून 2024) कि राज्य सरकार से फरवरी 2024 में ₹ 14.90 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया था तथा शेष कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जुलाई 2021 से कार्य रुका हुआ है और चार वर्ष बीत जाने के बाद भी, तथा नवंबर 2024 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित विस्तृत अनुमान को अनुमोदन मिलने के बाद भी, करार में वृद्धि के अनुमोदन के अभाव में कार्य पुनः आरंभ नहीं हो सका (जुलाई 2025)।

(iv) बाधाएं दूर न होने से अपूर्ण पड़ा खेल स्टेडियम

राज्य सरकार ने गांव वैसर, पानीपत में एक खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु ₹ 2.64 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), पानीपत द्वारा जनवरी 2020 में ₹ 2.60 करोड़ का विस्तृत अनुमान प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को प्रस्तुत किया गया था, तथापि, उस पर अनुमोदन प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)। यह कार्य एक एजेंसी को ₹ 2.93 करोड़ की संविदा राशि पर दिसंबर 2021 तक पूरा करने की समय-सीमा के साथ प्रदान किया गया था (सितंबर 2020)। ठेकेदार ने ₹ 1.45 करोड़ (अगस्त 2021 में भुगतान की गई राशि) का कार्य निष्पादित किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि साइट निरीक्षण समिति (एसआईसी) ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया (जनवरी 2019) कि साइट सभी बाधाओं से मुक्त थी। केवल निचले इलाके की समस्या बताई गई थी और ग्राम पंचायत ने साइट को समतल करने का आश्वासन दिया था। वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज अपलोड करते समय कार्यकारी अभियंता ने भी प्रमाणित किया था (जून 2020 में) कि साइट सभी बाधाओं से मुक्त थी।

तथापि, उक्त स्थल बाधामुक्त नहीं था क्योंकि 33 किलोवोल्ट और 11 किलोवोल्ट की विद्युत लाइनें वहां से गुजर रही थी और कुछ अतिक्रमण भी थे। 33 किलोवोल्ट लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए फरवरी 2023 में ₹ 0.21 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिन्हें नवंबर 2023 में स्थानांतरित किया गया। इन बाधाओं के कारण, केवल चारदीवारी का निर्माण ही हो सका।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार ने पहले ही 33 किलोवोल्ट लाइनों के स्थानांतरण में देरी और निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि का संदर्भ देते हुए, जिससे उद्धृत दरों पर कार्य निष्पादित करना अव्यवहारिक हो गया था, करार को समाप्त करने का अनुरोध किया था। विभाग ने अप्रैल 2024 में करार को समाप्त कर दिया।

इस प्रकार, साइट निरीक्षण समिति द्वारा गलत रिपोर्टिंग, कि साइट सभी बाधाओं से मुक्त थी, के आधार पर खेल स्टेडियम के कार्यों के निष्पादन के कारण और बाधाओं को दूर करने में देरी (33 किलोवोल्ट लाइनों का स्थानांतरण) के कारण विद्यमान करार समाप्त हो गया, खेल स्टेडियम का कार्य अपूर्ण रह गया, जिससे उस पर किया गया ₹ 1.66 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), पानीपत ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 33 किलोवोल्ट लाइनों को यथासमय स्थानांतरित करने की प्रत्याशा में निविदाएं आमंत्रित की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से प्रक्रिया में देरी हुई। आगे बताया गया था कि ग्राहक विभाग की मांग के अनुसार, ड्राईग्स में परिवर्तन से अनुमानित लागत बढ़कर ₹ 4.02 करोड़ हो गई थी और शेष कार्यों के संशोधित विस्तृत अनुमान और दायरे को अंतिम रूप देने के बाद कार्य फिर से शुरू किया जाएगा।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थल निरीक्षण समिति की रिपोर्ट (जनवरी 2019) में 33 किलोवोल्ट लाइनों के अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2023 में इन लाइनों के स्थानांतरण के बाद भी, जुलाई 2025 तक कार्य फिर से शुरू नहीं हो सका।

इस प्रकार, संहिता के उल्लिखित प्रावधानों के साथ विभाग के गैर-अनुपालन के कारण, उपर्युक्त चर्चा किए गए चार कार्य, चार से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रह गए, जिससे ₹ 25.86 करोड़²² का सम्पूर्ण व्यय निष्फल हो गया और अपेक्षित सार्वजनिक लाभ से वंचित होना पड़ा।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के पास भेजा गया था (जुलाई 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों पर (i) ज्ञात साइट बाधाओं, अर्थात् जलभराव की संभावना वाले स्थल पर मिट्टी भरने का कार्य, को दूर करने में पांच वर्ष से अधिक की अत्यधिक देरी, (ii) संबंधित निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पहुंच मार्ग के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता, (iii) प्रतिधारण दीवारों के लिए प्रावधान शामिल किए बिना अपूर्ण अनुमान तैयार करने और इसके लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने, और (iv) साइट निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा साइट स्वीकृति की गलत रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करें।

²²

₹ 4.22 करोड़ (मिट्टी भरान पर ₹ 0.20 करोड़ सहित) + ₹ 11.84 करोड़ + ₹ 8.14 करोड़ + ₹ 1.66 करोड़।

महिला एवं बाल विकास विभाग

2.6 निष्फल व्यय

प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी/बिजली आपूर्ति कनेक्शनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद के कारण 2,511 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की स्थापना नहीं हुई जिससे ₹ 1.22 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में, विद्यमान आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को उन्नत करके राज्य में 4,000 प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान इन आंगनवाड़ी केंद्रों/उन्नत प्ले स्कूलों के लिए इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर सहित विभिन्न वस्तुओं²³ की खरीद और आपूर्ति की।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2023) कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने ओडिशा की एक फर्म से एक वर्ष की प्रतिस्थापन गारंटी के साथ ₹ 4,871 प्रति इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की दर से 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश दिया (अक्तूबर 2021)। फर्म ने जनवरी 2022 तक इन इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की आपूर्ति की, जिसके लिए मार्च 2023 तक कुल ₹ 1.95 करोड़²⁴ का भुगतान किया गया। नवंबर 2024 तक, 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर में से केवल 1,489 को ही चालू किया जा सका। शेष 2,511 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों, पानी/बिजली आपूर्ति कनेक्शन या पानी/बिजली की फिटिंग की अनुपलब्धता के कारण चालू नहीं किए जा सके और गारंटी भी समाप्त हो गई। इसने स्पष्ट रूप से इंगित किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वास्तविकता का पता लगाए बिना ही इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद की गई थी, क्योंकि अधिकांश प्ले स्कूलों में अपेक्षित पानी की टंकियों और पानी/बिजली आपूर्ति कनेक्शनों का अभाव था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्ले स्कूलों में जलापूर्ति के लिए पानी की टंकियां और विद्युत मोटर उपलब्ध कराने की अनुमानित लागत के साथ पानी की टंकियों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध फर्मों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (जनवरी 2024)। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों से भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विधिवत तैयार किए गए इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर स्थापित करने के लिए पानी की टंकियों और मोटरों की फिटिंग के लिए अनुमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (फरवरी 2024)। मई 2024 में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और पंचायती राज विभाग ने भाग लिया और यह निर्णय लिया गया था

²³ स्मार्ट टेबल और कुर्सियाँ, इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर, ऑफिस टेबल, कुर्सियाँ और अलमारी, और नरम सूती हैंड टॉवल (मध्यम और बड़े)।

²⁴ मार्च 2022 में ₹ 170.25 लाख और मार्च 2023 में ₹ 24.36 लाख।

कि पंचायती राज विभाग जल आपूर्ति कनेक्शनों के लिए विद्युत मोटर, पानी की टंकी और आंतरिक फिटिंग की अनुमानित लागत प्रस्तुत करेगा। मुख्य अभियंता, पंचायती राज विभाग ने अनुमान प्रस्तुत किया था, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के पास विचाराधीन (नवंबर 2024) था।

इस प्रकार, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी/बिजली आपूर्ति कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद के परिणामस्वरूप 2,511 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर स्थापित नहीं हो पाए, जिससे ₹ 1.22 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त, प्री-स्कूल बच्चों को पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया (जून 2024) कि प्रारंभ में, वर्ष 2020-21 के दौरान पहले चरण में 1,135 प्ले स्कूलों के लिए मामला संसाधित किया गया था और शेष को वर्ष 2022-23 में दूसरे चरण में संसाधित किया जाना था, यह मानते हुए कि इन दो वर्षों में बिजली और पानी का प्रावधान किया जा सकता है। चूंकि पहले चरण में इन मदों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, इसलिए सभी 4,000 प्ले स्कूलों के लिए मामला संसाधित किया गया था। निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने आगे बताया (दिसंबर 2024) कि वाटर प्यूरीफायर की स्थापना में देरी हुई क्योंकि बिजली कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा प्रदान किए जाने थे। इसके अतिरिक्त, जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से पानी की टंकियों की खरीद प्रक्रियाधीन थी।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह भी बताया (अगस्त 2025) कि क्षेत्रीय कार्यालयों की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 559 प्ले स्कूलों में पानी की टंकियां नहीं थी और 465 प्ले स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं थे। अन्य कमियां, जैसे उचित वाटर कनेक्शनों का अभाव, भी सूचित की गई थी।

उत्तर लेखापरीक्षा के इस तर्क की पुष्टि करता है कि प्रत्येक प्ले स्कूल में आवश्यक सहायक अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद की गई थी। इसके अतिरिक्त, इंगित किए गए 2,511 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर में से शेष 1,487 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है, और अस्थापित इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की स्थिति में गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास भेजा गया था (अगस्त 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार प्रत्येक प्ले स्कूल में वास्तविकता का पता लगाए बिना इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर की खरीद के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे और यह भी सुनिश्चित करे कि शेष इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर समयबद्ध तरीके से स्थापित/कार्यात्मक किए जाएं।

2.7 बीमा प्रीमियम का अधिक भुगतान

महिला एवं बाल विकास विभाग ने "सुरक्षित भविष्य योजना" के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का अनुरक्षण करने और समय-समय पर इसे अद्यतन करने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया, जिसके कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 12.66 करोड़ के प्रीमियम का अधिक भुगतान हुआ।

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा (विभाग) ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के कल्याण हेतु एक सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना "सुरक्षित भविष्य योजना" (योजना) शुरू की (1 जनवरी 2008)। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बचत के साथ-साथ बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक मास्टर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए (02 जून 2008)।

सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिकाएं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक न हो और जिन्होंने 01 जनवरी 2008 (प्रारंभ तिथि) तक कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र थी। शेष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिकाएं, जिन्होंने 01 जनवरी 2008 तक एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी, वे प्रारंभ तिथि, 1 अप्रैल/1 जुलाई/1 अक्टूबर/वार्षिक नवीनीकरण तिथि के बाद योजना में भाग लेने के लिए पात्र थी, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा एक वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि के साथ या उसके तुरंत बाद की तिथि के साथ मेल खाती थी। मास्टर प्रस्ताव के नियम 7(iii) के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय को सदस्यों को जोड़ने/हटाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी।

योजना के अंतर्गत, विभाग को प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका के लिए ₹ 100²⁵ के मासिक प्रीमियम का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में तिमाही आधार पर करना था, जो प्रवेश तिथि से शुरू होकर अंतिम तिथि²⁶ तक देय था। योजना के अनुसार, मृत्यु के अलावा सेवा की अंतिम तिथि या समय से पहले समाप्ति पर, सदस्य के खाते में जमा की गई कुल राशि ब्याज सहित देय थी। इसके अतिरिक्त, अंतिम तिथि से पहले मृत्यु के मामले में, सदस्य के खाते में जमा की गई कुल राशि के साथ-साथ ब्याज सहित ₹ 50,000²⁷ का जीवन बीमा लाभ देय था। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31 अगस्त 2013 को इस शर्त के साथ वापस ले लिया गया था कि 01 जनवरी 2014 के बाद नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को इस योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2023) कि विभाग द्वारा निदेशालय स्तर पर और साथ ही क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों अर्थात् जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) में योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने अधिकारियों/कर्मचारियों

²⁵ ₹ 83 (बचत भाग) + ₹ 17 (जोखिम भाग)

²⁶ वह तिथि जिस दिन सदस्य अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु, जो कि 60 वर्ष है, पूरी कर लेता है।

²⁷ जुलाई 2009 से जीवन बीमा लाभ को संशोधित कर ₹ 51,000 कर दिया गया।

को पात्र सदस्यों की उचित सूची का अनुरक्षण करने का निर्देश दिया था (मार्च और सितंबर 2017), हालांकि, अनुपालन की निगरानी नहीं की गई थी। इसके बाद, विभाग द्वारा मांगी गई पात्र सदस्यों की सूची (दिसंबर 2020, जुलाई 2021 और अगस्त 2021) जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा इसे प्रदान नहीं की गई थी। इसने इंगित किया कि विभाग ने अपने क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों से लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का सत्यापन नहीं किया था। तदनुसार, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का पता लगाए बिना, पिछले वर्षों में किए गए बीमा प्रीमियम के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा था।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने विभाग को सूचित किया (दिसंबर 2021) कि अभिलेख के अनुसार, आरंभ में इस योजना के अंतर्गत 32,449 लाभार्थी शामिल थे, जो अगले वार्षिक नवीनीकरण में बढ़कर 33,634 लाभार्थी हो गए और अगस्त/सितंबर 2021 में समीक्षा के बाद, 1,531 मामलों में परिपक्वता और मृत्यु दावों के पारित होने के कारण अगस्त 2021 तक घटकर 32,103 रह गए। तथापि, अगस्त 2013 के बाद की तिमाहियों (अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा योजना को वापस लेना) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभाग ने अक्टूबर 2013 से जून 2021 के दौरान 46,641 से 48,599 लाभार्थियों के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान जारी रखा था और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों के उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर समीक्षा के बाद जुलाई 2021 से लाभार्थियों की संख्या घटाकर 22,311 (मार्च 2022 में भुगतान किया गया) के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया था। तदनुसार, विभाग ने अक्टूबर 2013 से जून 2021 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 12.66 करोड़²⁸ के बीमा प्रीमियम का अधिक भुगतान किया था, जैसा कि **तालिका 2.3** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.3: अक्टूबर 2013 से जून 2021 के दौरान भुगतान किए गए अधिक जीवन बीमा प्रीमियम का विवरण

(₹ लाख में)

लागू अवधि	लाभार्थियों की संख्या		भारतीय जीवन बीमा निगम को		अधिक भुगतान
	जिनके प्रीमियम का भुगतान किया गया था	भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिलेख के अनुसार	किया गया भुगतान	देय भुगतान	
	(2)	(3)	(4)=माह*(2)*100	(5)=माह*(3)*100	
अक्टूबर 2013 से मार्च 2014	46,641	33,634	279.85	201.80	78.05
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	48,599		583.19	403.61	179.58
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	48,599		583.19	403.61	179.58
अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016	48,599		437.39	302.71	134.68
जनवरी 2017 से मार्च 2017	48,504		145.51	100.90	44.61
अप्रैल 2017 से सितंबर 2017	48,504		291.02	201.80	89.22
अक्टूबर 2017 से मार्च 2018	48,428		290.57	201.80	88.77
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	48,428		581.14	403.61	177.53
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	48,428		581.14	403.61	177.53
अप्रैल 2020 से मार्च 2021 ²⁹	48,428		476.10	403.61	133.14
अप्रैल 2021 से जून 2021	48,428		145.28	100.90	44.38
कुल				4,394.38	3,127.96

²⁸ विभाग द्वारा किए गए भुगतान और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार लाभार्थियों के बीच अंतर पर गणना की गई राशि।

²⁹ जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक 35010 लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया गया।

इस प्रकार, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का अनुरक्षण करने और समय-समय पर इसे अद्यतन करने के लिए एक तंत्र विकसित करने में विभाग की अक्षमता, योजना के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 12.66 करोड़³⁰ के प्रीमियम का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितंबर 2023, मई 2024 और अक्टूबर 2024) कि यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम के समक्ष उठाया गया था तथा उसने अतिरिक्त भुगतान से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के बाद प्रीमियम की अतिरिक्त राशि वापस करने पर सहमति व्यक्त की। विभाग ने आगे बताया (जनवरी 2025) कि सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर वास्तविक लाभार्थियों के आंकड़ों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, डेटा का सत्यापन आज तक पूरा नहीं हुआ है और इसलिए, भारतीय जीवन बीमा निगम से वसूली अभी भी प्रतीक्षित थी (जुलाई 2025)।

मामला आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास भेजा गया था (सितंबर 2024); उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार (क) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का अनुरक्षण करने में उनकी विफलता और वास्तविक लाभार्थियों के सत्यापन के बिना बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे, (ख) संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ डेटा का सत्यापन करने और भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वसूल करने के लिए उचित निर्देश जारी करे।

³⁰ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए मौजूदा लाभार्थियों के आंकड़ों के अनुसार, जो विभाग द्वारा वास्तविक लाभार्थियों के सत्यापन पर भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व सेक्टर

अध्याय 3

सामान्य

अध्याय-3

सामान्य

3.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

3.1.1 वर्ष 2022-23 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व का त्वरित सारांश, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े **तालिका 3.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 ¹
1.	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	कर राजस्व	42,581.34	42,824.95	41,913.80	53,377.16	62,960.80
	कर-भिन्न राजस्व	7,975.64	7,399.74	6,961.49	7,394.13	8,742.63
	योग	50,556.98	50,224.69	48,875.29	60,771.29	71,703.43
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	8,254.60	7,111.53	6,437.59	9,722.16	10,378.00 ²
	सहायता अनुदान	7,073.54	10,521.91	12,248.13	7,598.24	7,113.26 ³
	योग	15,328.14	17,633.44	18,685.72	17,320.40	17,491.26
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	65,885.12	67,858.13	67,561.01	78,091.69	89,194.69
4.	1 की 3 से प्रतिशतता	76.74	74.01	72.34	77.82	80.39


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

¹ राज्य सरकार के वित्त लेखे।

² इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,932.91 करोड़ की राशि शामिल है।

³ इसमें वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,575.89 करोड़ की राशि शामिल है।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **चार्ट 3.1** में दर्शाई गई है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 35.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 47.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 0.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विभाज्य संघीय करों और शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के हिस्से में 25.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 71,703.43 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 80.39 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियों का शेष 19.61 प्रतिशत राज्य का हिस्सा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों तथा सहायता अनुदानों के रूप में भारत सरकार से मिला था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2018-19 में 76.74 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 80.39 प्रतिशत हो गई।

3.1.2 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण **तालिका 3.2** में दिए गए हैं।


तालिका 3.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 के वास्तविकों पर 2022-23 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	8,998.00 (21.13)	8,397.81 (19.61)	8,660.16 (20.66)	11,220.71 (21.02)	11,262.05 (17.89)	0.37
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	18,612.72 (43.71)	18,872.95 (44.07)	18,235.79 (43.50)	22,922.15 (42.94)	28,576.56 (45.39)	24.67
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	6,041.87 (14.19)	6,322.70 (14.76)	6,864.42 (16.38)	7,933.42 (14.86)	9,673.37 (15.36)	21.93
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	5,636.17 (13.23)	6,013.30 (14.04)	5,157.02 (12.30)	7,598.38 (14.24)	8,607.13 (13.67)	13.28
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	20.70 (0.05)	15.85 (0.04)	3.74 (0.01)	5.94 (0.01)	2.76 (0.00)	(-) 53.54
6.	वाहनों पर कर	2,908.29 (6.83)	2,915.76 (6.81)	2,495.08 (5.95)	3,264.61 (6.12)	4,231.20 (6.72)	29.61
7.	बिजली पर कर एवं शुल्क	336.92 (0.79)	262.01 (0.61)	476.07 (1.14)	404.36 (0.76)	578.00 (0.92)	42.94
8.	भू-राजस्व	19.19 (0.05)	20.68 (0.05)	16.60 (0.04)	21.29 (0.04)	22.43 (0.04)	5.35
9.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7.48 (0.02)	3.89 (0.01)	4.92 (0.02)	6.30 (0.01)	7.30 (0.01)	15.87
	योग	42,581.34	42,824.95	41,913.80	53,377.16	62,960.80	17.95
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	3.61	0.57	(-) 2.13	27.35	17.95	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति चार्ट 3.2 में दर्शाई गई है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कर राजस्व में ₹ 20,379.46 करोड़ (47.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, इस अवधि के लिए औसत वृद्धि दर 9.47 प्रतिशत रही।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारण बताए:

- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) राज्य बिक्री कर अधिनियम (डीजल/पेट्रोल दरों में वृद्धि) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण 2021-22 में ₹ 11,220.71 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 11,262.05 करोड़ हो गया।
- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) और विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र से अधिक प्राप्तियों के कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 22,922.15 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 28,576.56 करोड़ हो गई तथा कोविड के बाद के वर्ष में अच्छी वृद्धि प्रदर्शित हुई।
- **राज्य उत्पाद शुल्क:** उत्पाद शुल्क और लाइसेंस फीस की दरों में वृद्धि, अर्थात् देसी शराब पर उत्पाद शुल्क 2022-23 में ₹ 66 प्रूफ लीटर से ₹ 74 प्रूफ लीटर होने और एल-1बीएफ लाइसेंस पर 2022-23 में ₹ एक करोड़ से ₹ चार करोड़ होने, के कारण राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 7,933.42 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 9,673.37 करोड़ हो गई।
- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** अचल संपत्ति के दस्तावेजों के अधिक पंजीकरण (2021-22 में 6,81,206 से 2022-2023 में 7,40,810) के कारण स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 7,598.38 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 8,607.13 करोड़ हो गई।
- **वाहनों पर कर:** नए वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि (2021-22 में 7,92,659 से 2022-2023 में 12,23,170) के कारण वाहनों पर कर की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 3,264.61 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 4,231.20 करोड़ हो गई।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** बिजली उपयोगिता के लिए उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की अधिक वसूली के कारण बिजली पर कर एवं शुल्क की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 404.36 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 578.00 करोड़ हो गई।

3.1.3 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण तालिका 3.3 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 3.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 के वास्तविकों पर 2022-23 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,953.84 (24.50)	1,974.86 (26.69)	1,561.74 (22.43)	1,378.23 (18.64)	1,464.09 (16.75)	6.23
2.	सड़क परिवहन	1,196.64 (15.00)	1,114.51 (15.06)	585.38 (8.41)	1,077.44 (14.57)	1,333.43 (15.25)	23.76
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	272.17 (3.41)	457.94 (6.19)	595.47 (8.55)	220.11 (2.98)	677.73 (7.75)	207.91
4.	शहरी विकास	2,315.60 (29.03)	1,855.51 (25.08)	1,953.92 (28.06)	1,240.74 (16.78)	1,284.24 (14.69)	3.51
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	583.20 (7.31)	702.25 (9.49)	1,020.95 (14.67)	837.77 (11.33)	834.41 (9.54)	(-) 0.40
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	164.19 (2.06)	171.74 (2.32)	209.67 (3.01)	232.10 (3.14)	360.11 (4.12)	55.15
7.	पुलिस	176.96 (2.22)	179.84 (2.43)	53.51 (0.77)	87.39 (1.18)	90.25 (1.03)	3.27
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	159.93 (2.01)	107.89 (1.46)	65.62 (0.94)	87.83 (1.19)	155.02 (1.77)	76.50
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	28.53 (0.36)	23.07 (0.31)	19.97 (0.29)	16.73 (0.23)	21.27 (0.24)	27.14
10.	विविध सामान्य सेवाएं ⁴	166.03 (2.08)	62.96 (0.85)	131.69 (1.89)	283.99 (3.84)	102.75 (1.18)	(-) 63.82
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	195.70 (2.45)	171.89 (2.32)	197.19 (2.83)	221.87 (3.00)	472.53 (5.40)	112.98
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	762.85 (9.56)	577.28 (7.80)	566.38 (8.14)	1,709.93 (23.13)	1,946.80 ⁵ (22.27)	13.85
	योग	7,975.64	7,399.74	6,961.49	7,394.13	8,742.63	18.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

⁴ अस्वामिक जमा, भूमि तथा संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

⁵ लाभांश एवं लाभ - ₹ 192.00 करोड़, लोक सेवा आयोग - ₹ 18.80 करोड़, जेल - ₹ 2.46 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान - ₹ 2.42 करोड़, स्टेशनरी एवं मुद्रण - ₹ 0.50 करोड़, लोक निर्माण - ₹ 33.06 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली - ₹ 42.75 करोड़, परिवार कल्याण - ₹ 0.07 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता - ₹ 66.92 करोड़, आवास - ₹ 11.51 करोड़, सूचना एवं प्रचार - ₹ 0.27 करोड़, श्रम एवं रोजगार - ₹ 42.99 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - ₹ 63.06 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं - ₹ 0.39 करोड़, फसल पालन - ₹ 0.92 करोड़, पशुपालन - ₹ 3.46 करोड़, डेयरी विकास - ₹ 0.01 करोड़, मछली पालन - ₹ 4.56 करोड़, खादय भंडार एवं भंडारण - ₹ 1.11 करोड़, सहकारिता - ₹ 10.12 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम - ₹ 2.41 करोड़, भूमि सुधार - ₹ 0.01 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - ₹ 1,345.34 करोड़, लघु सिंचाई - ₹ 0.02 करोड़, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा - ₹ 0.01 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग - ₹ 2.33 करोड़, उद्योग - ₹ 9.08 करोड़, नागरिक विमानन - ₹ 16.48 करोड़, सड़क एवं पुल - ₹ 43.38 करोड़, पर्यटन - ₹ 0.98 करोड़ तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - ₹ 28.88 करोड़।

चार्ट 3.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान कर-भिन्न राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का 9.80 प्रतिशत रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,348.50 करोड़ (18.24 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण सड़क परिवहन, बृहद् एवं मध्यम सिंचाई, अन्य प्रशासनिक सेवाएं और अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में वृद्धि है। कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां (16.75 प्रतिशत), शहरी विकास (14.69 प्रतिशत), सड़क परिवहन (15.25 प्रतिशत) और अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां (22.27 प्रतिशत) मुख्य अंशदाता हैं और कुल कर-भिन्न राजस्व में 68.96 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **शहरी विकास:** 2021-22 की तुलना में 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (3.51 प्रतिशत) लाइसेंसों के अधिक नवीनीकरण (2021-22 में 138 से 2022-23 में 255) और भूमि उपयोग परिवर्तन (सी.एल.यू.) मामलों में फीस एवं प्रभारों के कारण हुई।
- **बृहद् एवं मध्यम सिंचाई:** 2021-22 की तुलना में 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (55.15 प्रतिशत) अपरिष्कृत जल की दरों में वृद्धि के कारण हुई।
- **चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य:** 2021-22 की तुलना में 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (112.98 प्रतिशत) सहायतानुदान की अव्ययित शेष राशि के अधिक रिफंड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) से ब्याज, अनुबंधों से प्राप्त किराया आदि के कारण हुई।

3.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2023 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 34,173.07 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 10,587.82 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि **तालिका 3.4** में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया राशि	31 मार्च 2023 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	31,075.87	9,421.34	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 963.72 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 74.27 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 32.77 करोड़ की वसूली व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 105.51 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 2,044.33 करोड़ परिशोधन/ समीक्षा/एप्लीकेशन के कारण रोके गए थे। ₹ 3,522.77 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी, ₹ 3,907.94 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 2,543.38 करोड़ की वसूली बकाया थी। अंतर्राज्यीय बकाया ₹ 396.04 करोड़ था तथा अंतरजिले बकाया ₹ 97.05 करोड़ थे। ₹ 0.21 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 17,387.88 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों में थी।
2	राज्य उत्पाद शुल्क	541.72	261.68	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 17.98 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी। ₹ 52.06 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी, ₹ 65.71 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे, ₹ 0.67 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 134.13 करोड़ अंतर्राज्यीय तथा अंतरजिले बकायों के कारण थे। ₹ 271.17 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	448.69	187.24	₹ 447.69 करोड़ अंतर्राज्यीय बकायों के कारण थे तथा सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास ₹ एक करोड़ लंबित थे।
4	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	208.11	207.97	₹ 182.65 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 4.88 करोड़ की वसूली लंबित थी। ₹ 0.07 करोड़ न्यायालय में मुकदमों के कारण लंबित थे, ₹ 0.14 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे तथा ₹ 20.37 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
5	पुलिस	131.13	40.91	₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम लिमिटेड से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 123.46 करोड़ चुनाव इयूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया राशि	31 मार्च 2023 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.11	11.11	₹ 8.53 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी; न्यायालय में लंबित मामलों के कारण ₹ 0.21 करोड़ लंबित थे तथा ₹ 2.37 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,756.44	457.57	₹ 586.45 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थी, ₹ 39.99 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.26 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किये जाने के कारण ₹ 304.02 करोड़ लंबित थे। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 521.72 करोड़ और अंतरजिला बकाया ₹ 231.78 करोड़ थे। ₹ 0.02 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व का बकाया ₹ 0.11 करोड़ था। कार्रवाई के अन्य चरणों में ₹ 72.09 करोड़ की शेष राशि बकाया थी।
	योग	34,173.07	10,587.82	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

3.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में प्रस्तुत किए गए, **तालिका 3.5** में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.5: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33
	2022-23	6,180	4,473	10,653	3,576	7,077	34

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या पिछले वर्ष के 6,180 मामलों से बढ़कर 7,077 हो गई है। यह भी अवलोकित किया गया है कि 2021-22 से 2022-23 तक मामलों के निपटान की प्रतिशतता एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ बढ़ी है। सरकार, विभाग को सरकारी राजस्व बढ़ाने हेतु इन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दे।

3.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग को कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करना अपेक्षित है। आगे, विभाग नए करदाता की पहचान करने के लिए व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, रोड साइड चेकिंग भी माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने का एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, **तालिका 3.6** में दिए गए हैं।

तालिका 3.6: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 को लंबित मामले	2022-23 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2023 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	0	1	0	शून्य	1
2	राज्य उत्पाद शुल्क	49	100	149	112	0.85	37
	योग	50	100	150	112	0.85	38

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

2022-23 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई।

3.5 रिफंड मामले

वर्ष 2022-23 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड तथा वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित मामलों की संख्या **तालिका 3.7** में वर्णित हैं।

तालिका 3.7: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	438	140.37	33	2.21
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	393	199.52	122	15.02
3	वर्ष के दौरान किए गए/ समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	614	152.81	118	13.81
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	217	187.08	37	3.42

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

यद्यपि वर्ष के अंत में बिक्री कर/वैट के संबंध में लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है तथा राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन दोनों मामलों में राशि में वृद्धि हुई है।

चूंकि वस्तु एवं सेवा कर के रिफंड के मामलों के संबंध में विभाग के पास पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लेखापरीक्षा में आंकड़ों की जांच नहीं की जा सकी।

3.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 245 इकाइयों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा आबकारी एवं कराधान (राज्य उत्पाद शुल्क) के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 245 इकाइयों की लेखापरीक्षा की जैसाकि **तालिका 3.8** में विस्तृत किया गया है।

तालिका 3.8: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	223	223
राज्य उत्पाद शुल्क	22	22
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	शून्य	शून्य
योग	245	245

आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। मोटर वाहनों पर कर के मामले में, महामारी के प्रभाव और लेखापरीक्षा शाखा में अनुभाग अधिकारियों की कमी के कारण राज्य में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। अध्याय 4 से 5 में चर्चित अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं।

3.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) तैयार किए जाते हैं, जो संबंधित कार्यालय प्रमुखों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रबंधन-पत्र के रूप में सूचित की जाती हैं।

जून 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जून 2023 के अंत में 3,140 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 10,384 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ **तालिका 3.9** में वर्णित है।

तालिका 3.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	दिसंबर 2021	जून 2022	जून 2023
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,973	3,053	3,140
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	9,732	9,950	10,384

3.7.1 जून 2023 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विभाग-वार विवरण **तालिका 3.10** में वर्णित हैं।

तालिका 3.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या
1	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	434	4,277
		राज्य उत्पाद शुल्क	249	497
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465
		मनीरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	49	65
2	राजस्व	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,397	3,874
		भू-राजस्व	174	293
3	परिवहन	वाहनों पर कर	467	714
4	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	13	22
5	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	103	177
योग			3,140	10,384

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की वृद्धि इस तथ्य को इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। सरकार निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विभागों की प्रतिक्रियाओं की प्रभावी निगरानी हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करे।

3.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों और निपटाए गए अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 3.11** में वर्णित है।

तालिका 3.11: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर) और परिवहन विभाग	9	531	46.74

3.7.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा उपलब्धियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने और छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों के अंत में दर्शाया जाता है।

अप्रैल तथा दिसंबर 2024 के मध्य संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास कुल 16 प्रारूप अनुच्छेद भेजे गए थे। इन मामलों में सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, संबंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में सही स्थानों पर उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में पुनः दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर सरकार द्वारा लोक लेखा समिति के विचार हेतु इस पर कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन II पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा सहित 18 अनुच्छेद शामिल थे, को 10 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा गया था, जिसके लिए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

परिशिष्ट 3.1 और **परिशिष्ट 3.2** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति की 22वीं से 90वीं रिपोर्ट में निहित 1979-80 से 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 1,004 सिफारिशें संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में लंबित थी।

3.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का उत्तर देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 3.8.1 से 3.8.2 में आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है।

3.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2023 को उनकी स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2023 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2013-14 में 307 से बढ़कर 2022-23 में 432 हो गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2013-14 में 1,672 से बढ़कर 2022-23 में 4,226 हो गई है। इस अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) और परिवहन विभाग के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की नौ बैठकें (ए.सी.एम.) आयोजित की गई तथा ₹ 46.74 करोड़ की राशि के 531 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था।

3.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति **परिशिष्ट 3.4** में दी गई है।

गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति (7.95 प्रतिशत) कम थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

3.9 लेखापरीक्षा योजना

हरियाणा राज्य में कुल 393 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2022-23 के दौरान 138 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

3.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित 117 यूनिटों⁶ (राजस्व 115 + व्यय 2) के अभिलेखों की वर्ष 2022-23 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,516 मामलों में कुल ₹ 260.24 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,980 मामलों में आवेष्टित ₹ 79.04 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2022-23 के दौरान 11 मामलों में ₹ 0.04 करोड़ वसूल किए थे।

3.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 71.53 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 16 प्रारूप अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 71.53 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 1.07 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 4 और 5 में चर्चा की गई है।

⁶ स्थानीय लेखापरीक्षा से संबंधित 21 इकाइयों को छोड़कर।

अध्याय 4

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय-4

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

4.1 कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. एक्ट)¹ तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रमुख हैं, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2022-23 में वैट/बिक्री कर-निर्धारणों से संबंधित 46 इकाइयों में से 10 (आठ राजस्व एवं दो व्यय) के अभिलेखों की नमूना-जांच से 376 मामलों में ₹ 176.80 करोड़ की राशि के कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि **तालिका 4.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कर का अवनिर्धारण	93	72.39
2.	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनियमित/गलत/ अधिक अनुमति	119	32.97
3.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	51	18.94
4.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	23	15.64
5.	अन्य अनियमितताएं	87	36.45
	कुल (I)	373	176.39
व्यय			
1.	अन्य अनियमितताएं	3	0.41
	कुल (II)	3	0.41
	कुल योग (I+II)	376	176.80

¹ यद्यपि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, फिर भी वर्ष 2017-18 के अंत में मूल्य वर्धित कर (वैट) के निर्धारण के मामले बड़ी संख्या में लंबित थे। सितंबर 2015 में, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत संशोधन के माध्यम से, कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) उस वर्ष की समाप्ति के बाद आठ वर्ष की समाप्ति से पहले या उस वर्ष के लिए निर्धारण के अंतिम होने की तिथि के बाद तीन वर्ष की समाप्ति से पहले, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, उस वर्ष के लिए डीलर की कर देयता का पुनर्निर्धारण कर सकता है, जिसके लिए पुनर्निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार, 2017-18 में समाप्त होने वाले मामलों को 2024-25 तक फिर से खोला जा सकता है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित वैट मामलों पर प्रतिवेदन में विचार किया गया है।

विभाग ने चार मामलों में आवेष्टित ₹ 0.06 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी तथा वर्ष 2022-23 में एक मामले में ₹ 26,543 वसूल किए।

₹ 9.47 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

4.3 अमान्य फॉर्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर कर की अनुमति प्रदान करने के कारण कर का अवनिर्धारण, जिसके परिणामस्वरूप डीलरों को अनुचित लाभ हुआ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (सी.एस.टी. अधिनियम), 1956 की धारा 8 (4) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र डीलर, कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत न करे और जिसमें प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फॉर्म में विवरण हों। इसके अतिरिक्त, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, झूठी सूचना और गलत लेखाओं या कर के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन/दावा किए गए लाभ का तीन गुणा) का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) (जनवरी 2018) जारी की है कि ऐसे मामलों में, जहां सत्यापन रिपोर्ट निर्धारण आदेश की तारीख से या सत्यापन पत्र के प्रेषण से छः माह के अंदर, जो भी बाद में हो, प्राप्त नहीं होती है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम या नियम में प्रदान किए गए अनुसार कर तथा पेनल्टी उद्ग्राहण करनी चाहिए।

वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर से नवंबर 2022) में पाया गया कि तीन मामलों में तीन डीलरों ने अपनी अंतर्राज्यीय बिक्री पर ₹ 17.69 करोड़ की राशि पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में डीलरों ने तीन 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2019 और मार्च 2021 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार सत्यापन के बिना विधिवत् भरे गए घोषणा प्रपत्रों पर वास्तविक कर दर 13.125 प्रतिशत (12.5 प्रतिशत कर और पांच प्रतिशत अधिभार) लगाने के बजाय दो प्रतिशत की रियायती दर से कर की अनुमति दी। यद्यपि, कर-निर्धारण प्राधिकारी को छः महीने के भीतर सत्यापन पत्र भेजना था, लेकिन यह देखा गया कि पत्र 16 से 44 महीने की देरी से जारी किए गए।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-कर-निर्धारण प्राधिकारी, रेवाड़ी द्वारा सहायक आयुक्त, व्यापार और कर विभाग, नई दिल्ली के साथ सत्यापन किया गया (फरवरी 2023), जिसमें दो मामलों में नकली 'सी' फॉर्म का पता चला।

इसके अतिरिक्त, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, रेवाड़ी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2025) कि दो मामलों में पुनर्निर्धारण के बाद हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। इसके अलावा, डीलरों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी। एक मामले में आबकारी एवं कराधान अधिकारी, रेवाड़ी ने बताया कि पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

इस प्रकार, निर्धारित 'सी' फॉर्म के उचित सत्यापन के बिना, रियायती कर दर की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ और डीलरों को अनुचित लाभ भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

मामला जनवरी 2024 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

4.4 सकल टर्नओवर में उत्पाद शुल्क को शामिल न करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सकल टर्नओवर/करयोग्य टर्नओवर के आधार पर मामलों का निर्धारण ₹ 33.04 करोड़ के स्थान पर ₹ 25.34 करोड़ किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.87 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 2 (1) (जैडजी) में 'बिक्री मूल्य', प्रतिफल के रूप में माल की बिक्री के लिए किसी डीलर को देय राशि, में से व्यावहारिक रूप में नकद या व्यापार छूट को कम करना परंतु डीलर द्वारा वस्तु की डिलीवरी करते समय या करने से पहले डीलर द्वारा किए गए किसी भी चीज के लिए किसी भी राशि का समावेश, जिसमें भाड़ा, भंडारण अवमूल्यन, बीमा, हैंडलिंग प्रभार, उपकर, उत्पाद शुल्क, वजन, पैकिंग प्रभार, वारंटी, ड्राइंग और डिजाइनिंग, सेवा प्रभार और अन्य आकस्मिक व्यय के अंतर्गत लगाई गई राशि सम्मिलित होगी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त से सितंबर 2022) से पता चला कि वर्ष 2016-17 के लिए दो डीलरों के निर्धारण (नवंबर 2019 से जनवरी 2020) को अंतिम रूप देते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सकल टर्नओवर² (जी.टी.ओ.) में ₹ 7.70 करोड़ का उत्पाद शुल्क³ शामिल नहीं किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सकल टर्नओवर का निर्धारण ₹ 33.04 करोड़ की सही राशि की बजाय गलत ढंग से ₹ 25.34 करोड़ के रूप में किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.87 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

² किसी भी डीलर के संबंध में प्रयुक्त "सकल टर्नओवर" का अर्थ ऐसे डीलर द्वारा प्रिंसीपल, एजेंट या किसी अन्य हैसियत से बेचे गए किसी माल के संबंध में प्राप्त या प्राप्य बिक्री मूल्यों का कुल योग है और इसमें राज्य से बाहर निर्यात किए गए या बिक्री के अलावा अन्य तरीके से निपटाए गए माल का मूल्य भी शामिल है।

³ डीलर द्वारा ग्राहक से वसूला गया उत्पाद शुल्क कर के लिए टर्नओवर में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह वसूले गए विक्रय मूल्य का एक भाग है, भले ही इसे जारी किए गए बिल में अलग से दर्शाया गया हो।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फरीदाबाद (पूर्व, वार्ड-1 एवं 2) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024) और बताया कि एक मामले में पुनर्निर्धारण के बाद डीलर को वैट एन2 नोटिस जारी कर दिया गया है, और दूसरे मामले में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत डीलर के विरुद्ध मांग नोटिस जारी कर दिया गया है। अंतिम परिणाम यथासमय सूचित किया जाएगा।

मामला अक्टूबर 2023 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

4.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अंतरराज्यीय बिक्री के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.90 लाख का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के साथ पठित अनुसूची 'ई', प्रविष्टि 3(बी) के अनुसार, जब माल अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है तो इनपुट टैक्स, राज्य में इस तरह के सामान की खरीद पर वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की सीमा तक, जो भी कम हो, स्वीकार्य है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2022) से पता चला कि दो डीलरों ने ₹ 6.28 करोड़ की खरीदारी दिखाई थी और खरीद मूल्य पर ₹ 80.79 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 3.05 करोड़ की अंतरराज्यीय बिक्री के कारण ₹ 33.90 लाख⁴ का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किया जाना था। वर्ष 2017-18 के लिए कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (सितंबर 2020), कर-निर्धारण प्राधिकारी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न लेने के कारण ₹ 33.90 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-कर-निर्धारण प्राधिकारी, रेवाड़ी ने बताया (नवंबर 2024) कि दोनों डीलरों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले प्रक्रियाधीन हैं, तथा उन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। अंतिम परिणाम यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

मामला दिसंबर 2023 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

⁴ ₹ 33,90,254 = ₹ 3,04,74,188 × 11.125 प्रतिशत (खरीद पर 13.125 प्रतिशत की दर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया तथा अंतरराज्यीय बिक्री पर दो प्रतिशत की दर से आउटपुट कर का भुगतान किया गया)।

4.6 अंतिम स्टॉक पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरणों का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ के अंतिम स्टॉक पर ₹ 10.56 लाख के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 15.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य से बाहर निर्यात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, जो कर उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना देय है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (नवंबर 2022) से पता चला कि एक डीलर ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए शून्य रिटर्न फाइल की थी, लेकिन वर्ष 2016-17 के लिए उसका ट्रेडिंग खाता ₹ 1.01 करोड़ का अंतिम स्टॉक दिखा रहा था। डीलर का पंजीकरण 1 जुलाई 2017 से रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 2019 में कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरण को सत्यापित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ के अंतिम स्टॉक पर ₹ 5.28 लाख के ब्याज सहित ₹ 10.56 लाख के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कर की राशि का तीन गुणा अर्थात् ₹ 15.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, रेवाड़ी (अक्टूबर 2024) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि डीलर के विरुद्ध ₹ 26.41 लाख की वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और तीन वसूली नोटिस जारी करने के बाद भी डीलर का कोई पता नहीं चला। इसके बाद, करदाता की संपत्ति का विवरण जानने के लिए संबंधित तहसीलदार को पत्र भेजा गया है और करदाता के जमानतदारों को वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है।

मामला सितंबर 2023 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

4.7 मूवमेंट के दौरान ई-1 अनुवर्ती बिक्री का लाभ अनुमत करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय बिक्री का निर्धारण किया (हालांकि डीलर ने ई-1 फॉर्म जमा नहीं किया था) और वस्तु को कपास के बजाय कर मुक्त ग्वार मान लिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 12.15 लाख की राजस्व की हानि हुई।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 (2) में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की मूवमेंट के दौरान बाद में बिक्री पर फॉर्म ई-1 में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर कर से छूट का प्रावधान

है। धारा 17 में कर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान है। सितंबर 2015 में किए गए संशोधन ने कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर के पुनर्निर्धारण की समय-सीमा बढ़ा दी है और आयुक्त को उस वर्ष की समाप्ति के बाद आठ वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले या उस वर्ष के लिए कर-निर्धारण के अंतिम होने की तिथि के बाद तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले, जो भी बाद में हो, किसी भी समय पुनर्निर्धारण करने की अनुमति दी गई है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), सिरसा के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2022) से पता चला कि एक मामले में एक डीलर ने ₹ 15.45 करोड़ में कपास खरीदी और ₹ 15.73 करोड़ में कपास बेची तथा वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 6.07 करोड़ मूल्य के ई-1 (कपास जे-34 की अनुवर्ती बिक्री) का दावा किया। तथापि, जनवरी 2018 में कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने बिक्री का निर्धारण किया (भले ही डीलर ने ई-1 फॉर्म जमा नहीं किया था) और वस्तु को कपास के बजाय कर मुक्त ग्वार के रूप में माना, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 12.15 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, सिरसा ने पैरा को स्वीकार किया और बताया कि मामले का फरवरी 2024 में पुनर्निर्धारण किया गया था तथा ई-1 फॉर्म के दावे को अस्वीकार करते हुए ₹ 24.30 लाख (₹ 12.15 लाख के ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। वसूली के लिए डीलर को कर मांग नोटिस भी जारी किया गया है।

मामला अगस्त 2024 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा सितंबर 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क

अध्याय-5

स्टाम्प शुल्क

5.1 कर प्रबंधन

स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) एवं पंजीकरण फीस (आर.एफ.) की प्राप्तियां भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. एक्ट), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 (हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए) तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न कार्यों/दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा के पास निहित है। पंजीकरण महानिरीक्षक की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.) तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2022-23 के दौरान राजस्व विभाग के 143 यूनितों में से 107 यूनितों के अभिलेखों की नमूना-जांच में ₹ 83.44 करोड़ की अन्य अनियमितताओं के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण पाया गया। यह 2021-22 के लिए ₹ 7,598.38 करोड़ की प्राप्ति का 1.10 प्रतिशत है। ये मामले 2,140 मामलों में से पहचाने गए थे, जो **तालिका 5.1** में उल्लिखित श्रेणियों में वर्णित हैं।

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली	1,447	37.98
2.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	77	19.60
3.	सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	141	2.31
4.	पट्टा विलेखों के मामले में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	84	0.78
5.	विविध अनियमितताएं	391	22.77
	योग	2,140	83.44

स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डेटा।

विभाग ने 1,976 मामलों में आवेष्टित ₹ 78.98 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो वर्ष 2022-23 और उससे पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने 11 मामलों में ₹ 3.62 लाख वसूल किए, जिनमें से एक मामले में ₹ 0.31 लाख वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं और शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

₹ 62.06 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

5.3 संयुक्त करारों¹ के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

73 मामलों में संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 23.37 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

अक्टूबर 2013 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार किसी भी करार, जो किसी अचल संपत्ति के निर्माण, विकास या विक्रय या हस्तांतरण हेतु (किसी भी तरीके से) प्रोमोटर या डेवलपर, किसी भी नाम से ज्ञात, को प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित हो, पर स्टाम्प शुल्क देय होगा जैसा कि करार में वर्णित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरणों पर उद्ग्रह्य होता है। इस शुल्क में संशोधन करके नवंबर 2017 में इसे संपत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत या संयुक्त करार में निर्धारित राशि, जो भी अधिक हो, कर दिया गया।

वर्ष 2019-2022 के लिए 14 उप-रजिस्ट्रारों² के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2021 से मार्च 2023) में पाया गया था कि 73 संयुक्त करार पंजीकृत किए गए (मई 2019 से नवंबर 2022 के मध्य) और उन पर ₹ 11.64 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। इन करारों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि भूमि के मालिकों ने डेवलपर्स को शॉप-कम-फ्लैट्स और आवासीय घर बनाने के अधिकार के साथ भूमि का स्वामित्व लेने का प्राधिकार दे दिया था। इसलिए, इन करारों पर उक्त अधिसूचना के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाया जाना था। कलेक्टर द्वारा नियत दरों के अनुसार, डेवलपर्स को हस्तांतरित भूमि का मूल्य ₹ 1,742.10 करोड़ परिकल्पित किया जाना था, जिस पर अधिसूचना के अनुसार ₹ 35.01 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। तथापि, संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 23.37 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) 27 मामलों में, प्रतिफल राशि (सहमति मूल्य) विलेख के अनुसार मूल्य से अधिक थी। ₹ 728.16 करोड़ की प्रतिफल राशि पर ₹ 14.56 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत करने की

¹ कम से कम दो पक्षों के बीच एक करार जो किसी वाणिज्यिक परियोजना पर सहयोगात्मक या सहकारी आधार पर एक साथ काम करना चाहते हैं। यह करार दोनों पक्षों के कार्य संबंध के विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों को स्पष्ट करता है, जिसमें उत्तरदायित्वों का आवंटन और कार्य के दोहन से प्राप्त राजस्व का विभाजन शामिल है।

² बादशाहपुर, फरीदाबाद, फारुखनगर, गुरुग्राम, हरसरू, कादीपुर, करनाल, मानेसर, पानीपत, पटौदी, राई, सोहना, सोनीपत और वज़ीराबाद।

बजाय ₹ 216.06 करोड़ के विलेख मूल्य पर ₹ 4.33 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.23 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ख) 27 मामलों में, भूमि का बाजार मूल्य, आर-जोन, प्रमुख स्थान आदि में भूमि के होने के कारण, विलेख में अंकित मूल्य से अधिक था। तथापि, सब-रजिस्ट्रारों ने भूमि का मूल्यांकन प्राइम दरों के बजाय कृषि दरों पर किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की हानि हुई।

(ग) 11 मामलों में, भूमि पहले से ही लाइसेंस प्राप्त/भूमि उपयोग परिवर्तन (सी.एल.यू.) भूमि थी। सब-रजिस्ट्रार ने भूमि का मूल्यांकन कृषि दरों पर किया, जबकि प्लॉट/गुप हाउसिंग और वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए निर्धारित दरों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। उक्त अधिसूचना के अनुसार, दो प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहण था। ₹ 11.42 करोड़ के स्थान पर ₹ 3.35 करोड़ का स्टाम्प शुल्क (कृषि दर पर) उद्गृहीत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.07 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(घ) आठ मामलों में, संयुक्त करार को गलत ढंग से साधारण करार के रूप में वर्गीकृत किया गया और ₹ 100 से ₹ 2,000 के स्टाम्प शुल्क के साथ पंजीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सब-रजिस्ट्रार, मानेसर ने जुलाई 2024 में बताया कि मानेसर से संबंधित चार मामलों का कलेक्टर द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय कर दिया गया है और बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। अन्य संबंधित सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (मई और दिसंबर 2024 के मध्य) कि सभी मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेज दिया गया था।

मामला अक्टूबर 2024 में विभाग के पास भेजा गया और दिसंबर 2024 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

5.4 अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

218 विलेखों में, कृषि भूमि की दरों का उपयोग करते हुए ₹ 28.69 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई थी। तथापि, भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) से पता चला कि वे आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक प्लॉट/भूमि थे। इस प्रकार, ₹ 46.51 करोड़ उद्ग्रहण थे। इससे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस संग्रह में ₹ 17.82 करोड़ की कमी आई।

हरियाणा में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अनुसार

यदि पंजीकरण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि संपत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल तथा देय शुल्क के निर्धारण हेतु कलेक्टर के पास भेज सकता है।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 46 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों³ के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2022 से मार्च 2023) से पता चला कि 218 दस्तावेज (मई 2020 से सितंबर 2022) पंजीकृत किए गए जिनका मूल्यांकन आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत भूमि/प्लॉट के बजाय कम कलेक्टर दर वाली कृषि या 'अन्यथा'⁴ भूमि के रूप में किया गया था। कुछ मामलों में, शामिल किए गए क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया या कम उद्गृहीत किया गया था। इन संपत्तियों का मूल्य ₹ 714.26 करोड़ निर्धारित किया जाना था, जिस पर ₹ 45.60 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 91.25 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जानी अपेक्षित थी। तथापि, विभाग ने इन संपत्तियों का मूल्य ₹ 441.26 करोड़ निर्धारित किया और ₹ 27.99 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 69.98 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.61 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और ₹ 21.27 लाख की पंजीकरण फीस को मिलाकर कुल ₹ 17.82 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर संबंधित सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (जुलाई 2022 और दिसंबर 2024 के मध्य) कि 218 में से 189 मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेज दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, पांच सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों⁵ से संबंधित 23 मामलों में बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे और चार सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों से संबंधित छः मामलों में ₹ 4.34 लाख⁶ की वसूली की गई थी।

मामला अगस्त 2023 में विभाग के पास भेजा गया और अप्रैल 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

³ असंध, बिलासपुर, बड़खल, बराड़ा, बादशाहपुर, बावल, बहल, धारुहेड़ा, फारुखनगर, फरीदाबाद, घरौंडा, गन्नौर, गौंछी, हरसरू, इंद्री, कुल्लां, करनाल, कादीपुर, कलायत, खिजराबाद, खरखौंदा, लाडवा, लोहारू, मानेसर, मुलाना, नारायणगढ़, नीलोखेड़ी, नगीना, पेहोवा, पटौदी, पंडरी, पानीपत, रादौर, राजौंद, रेवाड़ी, राई, सोनीपत, सीवान, शहजादपुर, साहा, समालखा, सोहना, तिगांव, टोहाना, तावडू और वजीराबाद।

⁴ 'अन्यथा' का तात्पर्य गैरमुमकिन, टिवा (रेत टिवा), पहाड़ आदि संपत्तियों से है।

⁵ घरौंडा, शहजादपुर, फारुखनगर, नारायणगढ़ और लाडवा।

⁶ असंध: ₹ 0.36 लाख; करनाल: ₹ 1.93 लाख; नारायणगढ़: ₹ 1.38 लाख, शहजादपुर: ₹ 0.67 लाख।

5.5 संयुक्त/विकास करारों का पंजीकरण न होने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के राजस्व की हानि

सात डेवलपर्स ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संयुक्त करारों के पंजीकरण का अपवंचन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.99 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की हानि हुई।

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1) (बी) के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक दस्तावेज, जो किसी अचल संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व और हित बनाता है, का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन (एच.डी.आर.यू.ए. अधिनियम, 1975) की धारा 2 (डी1) के अनुसार, मालिक के साथ संयुक्त/विकास करार डेवलपर (व्यक्ति/कंपनी/एसोसिएशन/फर्म/सीमित देयता भागीदारी) को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने तथा कॉलोनी विकसित करने के लिए मालिक की ओर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की अनुमति देता है। महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा ने जनवरी 2011 में आदेश दिया था कि किसी भी लाइसेंस आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि संयुक्त करार को उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले सब-रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत नहीं किया जाता है, जिसमें भूमि आती है।

अक्टूबर 2013 में जारी और नवंबर 2017 में संशोधित हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, संपत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत शुल्क उद्ग्राह्य था। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 में यह अनिवार्य किया गया है कि लोक कार्यालय का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति, जिसके समक्ष प्रभार्य शुल्क वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है या उसके कार्यों के निष्पादन में आता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस दस्तावेज पर विधिवत स्टाम्प नहीं लगाया गया है, तो वह उस दस्तावेज को जब्त कर लेगा।

वर्ष 2019-22 के दौरान नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के चार कार्यालयों⁷ के आठ लाइसेंसों तथा सात सब-रजिस्ट्रारों⁸ के कार्यालयों में निष्पादित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के बिक्री करारों/हस्तांतरण विलेखों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2022 से मार्च 2023) से पता चला कि सात डेवलपर्स ने संयुक्त करारों को पंजीकृत नहीं कराया था। इस प्रकार के पंजीकरण के अभाव में (महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा के आदेशों के अनुसार) विक्रेता/डेवलपर्स होने के उनके अधिकार के पक्ष में स्वामित्व दोषपूर्ण थे।

संयुक्त करार प्राप्त होने पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अनुसार, सब-रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें जब्त कर लेना चाहिए था। तथापि, लाइसेंस प्रदान करने या लाभार्थी के हित में परिवर्तन के अनुमोदन से पहले संयुक्त करारों का पंजीकरण/स्टाम्प लगाना सुनिश्चित करने के लिए (राजस्व विभाग और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के बीच) कोई व्यवस्था

⁷ फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल और रेवाड़ी।

⁸ धारुहेड़ा, गौंछी, हरसरू, करनाल, मानेसर, पटौदी और तिगांव।

न होने के कारण, डेवलपर्स को उनके संयुक्त करारों के लिए बिना पंजीकरण के ही लाइसेंस प्रदान कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के कारण ₹ 13.99 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सब-रजिस्ट्रार, करनाल ने बताया (नवंबर 2023) कि दो मामलों में ₹ 0.91 करोड़ की राशि वसूल की गई थी। सब-रजिस्ट्रार, हरसरू ने बताया कि मई 2024 में वसूली नोटिस जारी किया गया था, तथापि, वसूली लंबित थी। शेष पांच सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों⁹ ने बताया (अप्रैल तथा अगस्त 2024 के मध्य) कि सभी मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेज दिया गया था। गैर-पंजीकृत दस्तावेजों को जब्त न करने के कारण के बारे में पंजीकरण प्राधिकारियों ने उत्तर में कुछ नहीं कहा था।

मामला अक्टूबर 2024 में विभाग के पास भेजा गया और दिसंबर 2024 में सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

5.6 मुआवजे की राशि से खरीदी गई अचल संपत्तियों के मामले में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट

114 किसानों ने जनवरी 2014 के बाद प्राप्त मुआवजे/अवार्ड से कृषि भूमि खरीदी और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में छूट का लाभ उठाया। चूंकि ऐसे मामलों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में किसी छूट की अनुमति नहीं थी, परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) के अंतर्गत नवंबर 2010 में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, सरकार उन किसानों द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों के संबंध में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से छूट देती है, जिनकी भूमि हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत की जाती है और जिन्होंने मुआवजा प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर राज्य में कृषि भूमि खरीदी हो। यह छूट केवल मुआवजा राशि पर ही थी और प्राप्त मुआवजे की राशि से अधिक की किसी भी खरीद पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहण होगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, 1 जनवरी, 2014 के बाद प्राप्त मुआवजे के लिए, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2010 (आर. एंड आर. नीति दिनांक 9 नवंबर 2010) का कोई लाभ लागू नहीं होगा।

दस सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹⁰ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 114 मामलों में, किसानों ने घोषित अवार्ड के अधिग्रहण से प्राप्त राशि से कृषि भूमि सहित संपत्तियां अर्जित की थी और अवार्ड की प्रक्रिया 1 जनवरी 2014 के बाद शुरू की गई थी। उनके दस्तावेज दिसंबर 2019 और मई 2021 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। इसलिए, इन

⁹ धारुहेड़ा, गौंछी, मानेसर, पटौदी और तिगांव।

¹⁰ गोहाना, गोरीवाला, इस्माइलाबाद, जुलाना, निगदू, पिल्लू खेड़ा, पंडरी, राजौंद, सीवान और उचाना।

विलेखों का कुल मूल्य ₹ 39.45 करोड़ निर्धारित किया जाना था, जिस पर ₹ 2.23 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 2.04 करोड़ + पंजीकरण फीस ₹ 0.19 करोड़) उद्ग्राह्य थी। इस प्रकार, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ (स्टाम्प शुल्क ₹ 2.04 करोड़ + पंजीकरण फीस ₹ 0.19 करोड़) के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, संबंधित सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (सितंबर 2024) कि 113 मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे और सब-रजिस्ट्रार, जुलाना के एक मामले के संबंध में ₹ 0.26 लाख की राशि वसूल की गई थी।

मामला मार्च 2024 में विभाग के पास भेजा गया और सितंबर 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

5.7 स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को गलती से सरकारी इकाई मानते हुए ₹ 1.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से छूट की अनुमति दी।

हरियाणा राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की धारा 3(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी दस्तावेज के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। यद्यपि, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों या स्वायत्त निकायों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर विशिष्ट छूट/छूट के लिए अधिनियम/नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

सब-रजिस्ट्रार, हरसरु, कादीपुर और मानेसर के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 13 बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे (जुलाई 2021 से जनवरी 2022), जिनमें भूमि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के पक्ष में पंजीकृत थी और उसे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से छूट दी गई थी। स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत करने लिए इन अचल संपत्तियों का कुल मूल्य ₹ 26.08 करोड़ परिकलित किया गया था, जिस पर ₹ 1.30 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.06 करोड़ की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी क्योंकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार को ₹ 1.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सब-रजिस्ट्रार, मानेसर ने बताया (जुलाई 2024) कि छः मामलों में से पांच मामलों का निर्णय कलेक्टर द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत किया जा चुका है और राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे, जबकि एक मामला कलेक्टर, मानेसर के पास निर्णय हेतु लंबित है। सब-रजिस्ट्रार, कादीपुर और हरसरु ने बताया

(जून 2024) कि सभी सात मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेज दिया गया था।

मामला अप्रैल 2024 में विभाग के पास भेजा गया और जुलाई 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

5.8 प्राइम खसरा भूमि पर नॉन-प्राइम खसरा भूमि की दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की धारा 27 में यह प्रावधान है कि प्रभार्य शुल्क या शुल्क की राशि वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल (यदि कोई हो) तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां दस्तावेज में पूर्णतया व सत्यतः सामने रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने सितंबर 2013 में राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफ.सी.आर.) स्थायी आदेश संख्या 74 जारी किया, जिसके अंतर्गत पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए समय-समय पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संपत्तियों के न्यूनतम बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए 'मूल्यांकन समितियों' का गठन किया गया। इन दरों की एक प्रति विभाग द्वारा पंजीकरण प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है। 'मूल्यांकन समितियों' ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्राइम भूमि के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राइम और गैर-प्राइम भूमि के लिए अलग-अलग कलेक्टर दरें निर्धारित की जाती हैं।

23 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹¹ के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2022 से मार्च 2023) से पता चला कि मई 2019 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कृषि भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर बिक्री के लिए 85 हस्तांतरण विलेख पंजीकृत किए गए थे। भू-राजस्व अभिलेखों के अनुसार इन विलेखों के खसरा उच्च भूमि दरों वाले प्राइम खसरा थे। इनमें शामिल भूमि के लिए कलेक्टर दर ₹ 67.16 करोड़ थी जिस पर ₹ 4.05 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 3.77 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 0.28 करोड़) उद्ग्रहण थी। सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने इस भूमि का मूल्यांकन सामान्य खसरा के लिए निर्धारित दरों पर ₹ 44.19 करोड़ किया और ₹ 2.74 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 2.54 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 0.20 करोड़) उद्ग्रहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

¹¹ अलेवा-02, बड़खल-02, बावल-01, बेरी-03, बौंद कलां-01, दयालपुर-17, ढांड-04, गन्नौर-08, गौंछी-03, घरौंडा-04, हरसरू-02, जुलाना-03, करनाल-01, खानपुर कलां-01, मुलाना-04, नांगल चौधरी-01, नारनौंद-01, नीलोखेड़ी-10, पुन्हाना-04, रतिया-03, समालखा-08, सतनाली-01 और टोहाना-01

यह इंगित किए जाने पर, सब-रजिस्ट्रार (करनाल, नारनौद और घरौंडा) ने बताया (सितंबर 2024) कि पांच मामलों में ₹ 8.30 लाख की वसूली की गई थी। सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त सब-रजिस्ट्रार (खानपुर कलां और घरौंडा) ने बताया कि कलेक्टर द्वारा दो मामलों का निर्णय कर दिया गया है तथा वसूली आदेश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित 19 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹² ने बताया (फरवरी 2022 से नवंबर 2024) कि 78 मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे जा चुके हैं/भेजे जाएंगे।

मामला अप्रैल 2024 में विभाग के पास भेजा गया और दिसंबर 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

5.9 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

खून के रिश्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के 14 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 61.61 लाख के राजस्व की हानि हुई।

राज्य सरकार के पास सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 के अनुसार शुल्कों को कम करने, माफ करने या संयोजित करने की शक्ति है। सरकार के 16 जून 2014 के आदेश के अनुसार, सरकार दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर छूट¹³ देती है, यदि यह मालिक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान परिवार के अंदर अचल संपत्ति को माता-पिता, बच्चों, पोते-पोतियों, भाई (यों), बहन (नों) और पति या पत्नी के मध्य जैसे किसी भी खून के रिश्तों में हस्तांतरित करने से संबंधित है। यद्यपि, अन्य हस्तांतरण विलेखों के मामले में, स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुसूची-1 में लागू स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण जारी रहेगा।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए नौ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹⁴ के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2022 से मार्च 2023) से पता चला कि हस्तांतरण विलेख के 14 दस्तावेजों, जो सरकार के उपर्युक्त आदेशों में अनुमत व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए थे, में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस माफ कर दी गई थी। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 61.61 लाख (स्टाम्प शुल्क: ₹ 58.71 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 2.90 लाख) के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सब-रजिस्ट्रार घरौंडा ने बताया (सितंबर 2024) कि ₹ 49,525 की

¹² अलेवा, बड़खल, बावल, बेरी, बौंद कलां, दयालपुर, ढांड, गन्नौर, गौंछी, हरसरू, जुलाना, मुलाना, नांगल चौधरी, नीलोखेड़ी, पुन्हाणा, रतिया, सतनाली, समालखा और टोहाना।

¹³ 'छूट' का अर्थ है 16 जून 2014 के सरकारी आदेश के अनुसार उल्लिखित रक्त संबंधियों के पक्ष में निष्पादित स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ करना।

¹⁴ बावल, बल्लभगढ़, बल्लाह, गन्नौर, घरौंडा, गुरुग्राम, करनाल, पिल्लूखेड़ा और खानपुर कलां।

राशि वसूल की गई है और शेष आठ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹⁵ ने बताया (नवंबर 2022 से सितंबर 2024) कि ये मामले स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए संबंधित कलेक्टरों के पास भेजे गए थे/भेजे जाएंगे।

मामला सितंबर 2023 में विभाग के पास भेजा गया और जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

5.10 बिक्री विलेखों को रिलीज विलेखों के रूप में गलत वर्गीकृत करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री विलेखों को रिलीज विलेखों के रूप में गलत वर्गीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.80 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की अनुसूची 1-ए में अनुच्छेद 55 के संबंध में दिसंबर 2008 में हरियाणा सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि पैतृक संपत्ति का रिलीज विलेख बहन या भाई (परित्यक्त के माता-पिता के बच्चे) या परित्यक्त के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पति/पत्नी या पोता-पोती या भतीजा या भतीजी या सहभागी¹⁶ के पक्ष में निष्पादित होता है, स्टाम्प शुल्क ₹ 15 की दर पर उद्ग्रहीत किया जाएगा और किसी अन्य मामले में वही शुल्क अचल संपत्ति की बिक्री के द्वारा हस्तांतरण के रूप में हिस्सा, हित या त्यागे गए दावे के भाग के बाजार मूल्य के बराबर राशि पर उद्ग्रहीत किया जाएगा।

13 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹⁷ के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2022 से मार्च 2023) से पता चला कि सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुमत के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के पक्ष में 35 रिलीज विलेख निष्पादित (मई 2020 से जुलाई 2022 तक) किए गए थे। इसलिए, इन विलेखों को बिक्री के रूप में माना जाना अपेक्षित है। यद्यपि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने इन विलेखों को रिलीज विलेखों के रूप में माना और गलत ढंग से केवल ₹ 8,169 का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की। इन विलेखों के लिए कलेक्टर दर के अनुसार मूल्य ₹ 6.57 करोड़ था, जिस पर ₹ 45.88 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। बिक्री विलेखों को रिलीज विलेखों के रूप में गलत वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप ₹ 45.80 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, संबंधित नौ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹⁸ ने बताया (फरवरी 2023 से सितंबर 2024) कि 27 मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा गया था। सब-रजिस्ट्रार शहजादपुर ने सितंबर 2023 में बताया कि मामले का निर्णय कलेक्टर द्वारा किया चुका था,

¹⁵ बल्लभगढ़, बावल, गन्नौर, घरौंडा, गुरुग्राम, करनाल, पिल्लूखेड़ा और खानपुर कलां।

¹⁶ एक व्यक्ति जिसे हिंदू आविभाजित परिवार से संपत्ति विरासत में मिली है।

¹⁷ संयुक्त सब-रजिस्ट्रार; बल्ला, दयालपुर, ढांड, धौज, निगदु और शहजादपुर; सब-रजिस्ट्रार; कादीपुर, कलायत, मानेसर, मुलाना, राई, सिवानी और वजीराबाद।

¹⁸ बल्ला, कादीपुर, कलायत, मानेसर, मुलाना, निगदु, राई, सिवानी और वजीराबाद।

लेकिन वसूली लंबित थी। सब-रजिस्ट्रार, दयालपुर और ढांड ने बताया (सितंबर 2022 से दिसंबर 2022) कि पांच मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, धौज ने बताया (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत मामलों की जांच की जाएगी।

मामला जुलाई 2024 में विभाग के पास भेजा गया और अक्टूबर 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

5.11 पट्टा विलेखों पर वार्षिक औसत किराये की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने गलत गणना किए गए वार्षिक औसत किराए के आधार पर पट्टा विलेखों पर ₹ 83.32 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के स्थान पर ₹ 40.96 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 42.36 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 35 में औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि के अतिरिक्त और पट्टे की अवधि के आधार पर ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए निर्धारित दरों पर पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने किराया अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित की है, अर्थात् पांच वर्ष की अवधि तक 1.5 प्रतिशत की दर पर, पांच वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक तीन प्रतिशत की दर पर, 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक छः प्रतिशत की दर पर, 20 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष तक नौ प्रतिशत की दर पर और 30 वर्ष से अधिक के लिए 12 प्रतिशत की दर पर।

सात सब-रजिस्ट्रारों¹⁹ के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2022 से मार्च 2023) से पता चला कि दिसंबर 2019 से नवंबर 2021 के दौरान 21 पट्टा विलेख²⁰ पंजीकृत किए गए थे। इन विलेखों का वार्षिक औसत किराए के आधार पर ₹ 26.09 करोड़ का निर्धारण किया जाना था, जिस पर ₹ 78.51 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 4.81 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। तथापि, वार्षिक औसत किराया गलत तरीके से ₹ 24.77 करोड़ निर्धारित किया गया और ₹ 36.37 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 4.59 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.36 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, संबंधित सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (फरवरी से दिसंबर 2024) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु संबंधित कलेक्टरों के पास भेज दिए गए थे।

मामला दिसंबर 2023 में विभाग के पास भेजा गया और जुलाई 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

¹⁹ कादीपुर, राई, फारुखनगर, बादशाहपुर, गुरुग्राम, बडखल और तावड़।

²⁰ पांच से 95 वर्ष की अवधि के लिए।

5.12 सरकारी अधिसूचना को समय पर लागू न करने के कारण दो प्रतिशत अतिरिक्त ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 133 दस्तावेजों का पंजीकरण किया तथा स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त लेनदेन मूल्य पर दो प्रतिशत अधिभार की दर से ₹ 75.79 लाख के बजाए ₹ 48.81 लाख का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार के आदेश के उल्लंघन में ₹ 26.98 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा सरकार ने अधिसूचना²¹ के तहत हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 41 के अंतर्गत इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के पश्चात सभा क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति की बिक्री, उपहार, गिरवी और अन्य हस्तांतरण के दस्तावेजों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) द्वारा लगाए गए शुल्क पर अधिभार के रूप में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रत्येक दस्तावेज में निर्दिष्ट राशि के दो प्रतिशत की दर पर स्टाम्प शुल्क लगाया है। यह शुल्क राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एकत्र किया जाएगा।

नौ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों²² के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2022 से मार्च 2023) से पता चला कि ग्राम-सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ₹ 13.65 करोड़ मूल्य के 133 दस्तावेजों का दिनांक 24 और 25 फरवरी 2021 को पंजीकरण किया गया था और स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त लेनदेन मूल्य पर दो प्रतिशत अधिभार की दर से ₹ 75.79 लाख के स्टाम्प शुल्क के बजाए ₹ 48.81 लाख का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.98 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, संबंधित सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (मार्च से दिसंबर 2024) कि 20 मामलों में ₹ 2.99 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी, जबकि कलेक्टर द्वारा तय किए गए 12 मामलों (नारायणगढ़ तथा पुंडरी) में वसूली अभी भी लंबित थी। शेष 101 मामलों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेजा गया था।

मामला जनवरी 2024 में विभाग के पास भेजा गया और जुलाई 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

²¹ संख्या एस.ओ.4/एच.ए.11/1994/एस.41/2021 दिनांक 09 फरवरी 2021

²² छछरौली, हथीन, कालावाली, कलायत, नारायणगढ़, निगदू, पेहोवा, पुंडरी और साहा।

5.13 कृषि भूमि के विनिमय पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने भूमि को गलती से एक ही राजस्व संपदा में मानते हुए भूमि के विनिमय के आठ दस्तावेज पंजीकृत किए तथा ₹ 23.70 लाख के स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण की बजाए ₹ 2.02 लाख उद्ग्रहीत किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.68 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा राज्य में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) की अनुसूची 1-ए की धारा 31 के अनुसार, दो पक्षों के बीच संपत्ति के 'विनिमय' में, वही शुल्क लागू होता है जो ऐसे दस्तावेज में निर्धारित अधिकतम मूल्य की संपत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण²³ के रूप में लागू होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अधिसूचना²⁴ के माध्यम से कृषि भूमि, अर्थात् बरानी, अबी, नहरी और चाही, के विनिमय के दस्तावेज के संबंध में प्रभार्य शुल्क को कम कर दिया, इस शर्त के अधीन कि कृषि भूमि का विनिमय उसी राजस्व संपदा में होना चाहिए और प्रत्येक पंजीकरण विलेख पर ₹ पांच हजार की दर से नाममात्र शुल्क प्रभार्य होगा।

पांच सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों²⁵ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान कृषि भूमि के आठ विनिमय विलेख पंजीकृत किए गए थे। कृषि भूमि को उसी राजस्व संपदा में मानते हुए इन विलेखों पर ₹ 0.40 लाख का स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) उद्ग्रहीत किया गया था। तथापि, इन विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस कृषि भूमि के विनिमय के उच्च मूल्य पर उद्ग्रह्य थी, क्योंकि कृषि भूमि विभिन्न राजस्व संपदाओं से संबंधित थी। इन विलेखों पर उद्ग्रहीत ₹ 2.02 लाख के बजाय ₹ 23.70 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। इसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि के विनिमय पर ₹ 21.68 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, चार संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों/सब-रजिस्ट्रारों²⁶ ने बताया (जून से सितंबर 2024) कि सात मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेजे गए थे। सब-रजिस्ट्रार करनाल ने बताया (सितंबर 2024) कि वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन वसूली अभी भी लंबित है।

मामला अगस्त 2023 में विभाग के पास भेजा गया और अप्रैल 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 2025)।

²³ विलेख संख्या 23

²⁴ संख्या एस.ओ.40/सी.ए 2/1899/एस.9/2021 दिनांक 10 अगस्त 2021

²⁵ संयुक्त सब-रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार: अलेवा, करनाल, कादीपुर, राई और उचाना।

²⁶ संयुक्त सब-रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार: अलेवा, कादीपुर, राई और उचाना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय 6

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का
वित्तीय निष्पादन

अध्याय-6

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

6.1 प्रस्तावना

6.1.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में सरकारी कंपनी को ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो और इसमें वह कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी अन्य कंपनी¹ को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

6.1.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की नियुक्ति करते हैं तथा लेखों की लेखापरीक्षण के तरीके के बारे में निर्देश देते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और पूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

6.1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को चलाने के लिए स्थापित किए जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण

¹ कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश, 2014 जारी किया गया।

स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2023 तक, राज्य में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम² थे। इनमें दो³ सांविधिक निगम, 29 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों⁴ सहित) और सरकार द्वारा नियंत्रित छः अन्य कंपनियां शामिल थीं, ये सभी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नाम **परिशिष्ट 6.1** में दिए गए हैं।

हरियाणा वित्तीय निगम नामक एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। राज्य में तीन⁵ निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (जिनमें से एक परिसमापनाधीन है) हैं। 31 मार्च 2023 तक, इन निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य का पूंजी निवेश ₹ 11.13 करोड़ था। एक⁶ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की परिसमापन प्रक्रिया 19 वर्षों से चल रही है और अभी पूरी होनी शेष है। सरकार इन निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को शीघ्र बंद करने पर विचार करे क्योंकि ये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं देते हैं।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का विवरण **परिशिष्ट 6.2** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का टर्नओवर और राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद **तालिका 6.1** में दिया गया है।

² इस अध्याय में 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विवरण पर चर्चा की गई है, क्योंकि तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, अर्थात् फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड, के प्रथम लेखे उनके गठन के बाद से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त, तीन निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, अर्थात् हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, के विवरण इसमें शामिल नहीं हैं।

³ हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

⁴ निष्क्रिय सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कोई कारोबार या परिचालन नहीं कर रही है, या जिसने कोई महत्वपूर्ण लेखा लेनदेन नहीं किया है, तथा जिसने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

⁵ हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (2001-02 से निष्क्रिय), हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (जुलाई 2002 से निष्क्रिय) और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (2003-04 से निष्क्रिय)।

⁶ हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

तालिका 6.1: हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
विद्युत क्षेत्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	32,216	37,657	53,726
वित्त क्षेत्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	19	49	56
सेवा क्षेत्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	354	414	417
अवसंरचना क्षेत्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	3,466	2,279	2,363
अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	2,814	652	660
कुल	38,869	41,051	57,222
हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,58,507	8,95,672	9,94,154
हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से टर्नओवर की प्रतिशतता			
विद्युत क्षेत्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	4.24	4.20	5.40
वित्त क्षेत्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.002	0.005	0.006
सेवा क्षेत्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.05	0.05	0.04
अवसंरचना क्षेत्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.46	0.25	0.24
अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.37	0.07	0.07
कुल	5.12	4.58	5.76

स्रोत: वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए संबंधित वर्षों की वर्तमान कीमतों पर हरियाणा सरकार के आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग के अनुसार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर आंकड़ों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़ों (अग्रिम अनुमान) के आधार पर संकलन।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का योगदान 2021-22 में 4.58 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 5.76 प्रतिशत हो गया। 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का अंशदान ₹ 53,726 करोड़ (5.40 प्रतिशत) था। यद्यपि अन्य सभी क्षेत्रों का अंशदान न्यूनतम ₹ 3,496 करोड़ (0.36 प्रतिशत) था, तथापि उनके पास 2,919 कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों सहित) कार्यरत थे। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार ने अन्य क्षेत्रों के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ₹ 1,077.29 करोड़ (इक्विटी: ₹ 896.41 करोड़ और दीर्घावधि: ₹ 180.88 करोड़) का निवेश किया था। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के दौरान, हरियाणा सरकार द्वारा इनमें से नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को ₹ 336.05 करोड़ का अनुदान और सब्सिडी प्रदान की गई थी।

6.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेश और बजटीय सहायता

6.2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण


31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा कुल इक्विटी और इक्विटी अंशदान तथा 31 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों सहित दीर्घावधि ऋणों की क्षेत्रवार स्थिति तालिका 6.2 में दी गई है।

तालिका 6.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश (₹ करोड़ में)					कुल इक्विटी और दीर्घावधि ऋणों की प्रतिशतता
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घावधि ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी और दीर्घावधि ऋण	
विद्युत	36,781.25	35,651.99	10,982.04	0	47,763.29	88.50
वित्त	322.05	291.38	119.77	0	441.82	0.82
सेवा	149.32	77	0	0	149.32	0.28
अवसंरचना	1,827.94	518.25	3,620.2	112.94	5,448.14	10.09
अन्य	17.74	9.78	150.73	67.94	168.47	0.31
कुल	39,098.30	36,548.40	14,872.74	180.88	53,971.04	100.00

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी और सावधि ऋण में निवेश नीचे दिए गए चार्ट 6.1 में देखा जा सकता है:



निवेश का जोर विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर था, जिन्हें 31 मार्च 2023 तक ₹ 53,971.04 करोड़ के कुल निवेश का 88.50 प्रतिशत (₹ 47,763.29 करोड़) प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 53,971.04 करोड़ के कुल निवेश का 68.05 प्रतिशत (₹ 36,729.28 करोड़) था।

31 मार्च 2023 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बकाया दीर्घकालिक ऋणों के विश्लेषण से यह देखा गया था कि एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात् हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने गोदाम के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ₹ 12.84 करोड़ की राशि के चार ऋण लिए (मार्च 2013 से मार्च 2014)। ये ऋण अप्रैल 2015 से अप्रैल 2016 तक पांच समान तिमाही किश्तों में चुकाए जाने थे। तथापि, इन ऋणों का भुगतान नहीं किया गया और 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि ₹ 24.75 करोड़ (मूलधन: ₹ 12.84 करोड़ और ब्याज: ₹ 11.91 करोड़) थी।

6.2.2 बजटीय सहायता

हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के

दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों⁷ के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, चुकाए गए/बट्टे खाते में डाले गए ऋणों और इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के लिए बजटीय निर्गम का संक्षिप्त विवरण तालिका 6.3 में दिया गया है।

तालिका 6.3: वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21		2021-22		2022-23	
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	राशि
(i) इक्विटी कैपिटल आउटगो	6	631.67	4	151.93	9	200.12
(ii) दिए गए ऋण	5	104.98	5	101.09	4	407.76
(iii) प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी	7	438.52	8	442.54	9	336.05
कुल निर्गम (i+ii+iii)		1,175.17				943.93
ऋण पुनर्भूगतान/बट्टे खाते में डाला गया	4	254.66	6	245.72	3	297.70
ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जारी की गई गारंटियां	5	3,793.00	6	2,336.85	5	2,650.16
गारंटी प्रतिबद्धता	8	8,698.72	9	9,148.73	9	11,447.93

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

6.2.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को दर्शाता है। केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात् हरियाणा वित्तीय निगम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यद्यपि हरियाणा वित्तीय निगम एक सूचीबद्ध संस्था है, इसने मई 2010 के बाद से कोई नया ऋण संस्वीकृत नहीं किया है और निगम के शेयरों की अंतिम ट्रेडिंग 13 जुलाई 2011 को ₹ 24.65 के मूल्य पर हुई थी।

6.2.4 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की है।

6.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न

6.3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

2022-23 के दौरान उपलब्ध अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ दर्ज करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों⁸ की संख्या 2021-22 में 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की तुलना में घटकर 19 हो गई। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़⁹ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,049.20 करोड़ हो गया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 2021-22 में 10.32 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में 6.73 प्रतिशत

⁷ 2022-23 के दौरान निष्क्रिय कंपनियों को कोई निवेश/बजटीय सहायता नहीं दी गई।

⁸ एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात् फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर, जिसका वार्षिक लेखा 2020-21 के लिए कोई लाभ या हानि नहीं है।

⁹ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लाभ के आंकड़े अन्य व्यापक आय/व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद लिए गए हैं।

रहा। सभी 31 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2022-23 में इक्विटी पर रिटर्न 6.45 प्रतिशत था।

लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का उल्लेख उनके नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के अनुसार नीचे **तालिका 6.4** में किया गया है।

तालिका 6.4: शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ में योगदान दिया

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कुल लाभ में लाभ की प्रतिशतता
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	396.02	37.74
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	171.03	16.30
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	127.18	12.12
कुल	694.23	66.16


उपर्युक्त तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अकेले 2022-23 के दौरान 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 1,049.20 करोड़) में 66.16 प्रतिशत का योगदान दिया था।

क्षेत्रवार निवल लाभ अनुपात¹⁰ **तालिका 6.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.5: वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का क्षेत्रवार निवल लाभ अनुपात (₹ करोड़ में)

क्षेत्र	निवल लाभ	टर्नओवर	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
विद्युत	731.07	53,726.37	1.36
वित्त	28.92	56.33	51.34
सेवा	11.19	416.64	2.69
अवसंरचना	205.29	2,362.59	8.69
अन्य	21.68	659.86	3.29
कुल	998.15	57,221.79	1.74

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणों।



¹⁰ निवल लाभ अनुपात = निवल लाभ/टर्नओवर*100.

6.3.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप दिया और ₹ 750.67 करोड़ का लाभ सूचित किया। राज्य सरकार ने दिशानिर्देश तैयार किए थे (अक्टूबर 2003) जिनके अंतर्गत सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत रिटर्न का भुगतान करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में यह भी प्रस्ताव दिया कि वर्ष 2022-23 के लिए लाभ में रहने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अपने लाभ का 25 प्रतिशत राज्य सरकार को अंतरित करेंगे ताकि सरकार अपने विकास लक्ष्यों को पूरा कर सके। नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ दर्ज किया। तथापि, केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) ने ₹ 25 करोड़ (लाभ का 0.63 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

तीन¹¹ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान घोषित अपने परिणामों पर ₹ 41.38 करोड़ के अपने निवल लाभ के विरुद्ध ₹ 4.84 करोड़¹² का लाभांश घोषित किया। पिछले तीन वर्षों में लाभांश भुगतान की स्थिति *तालिका 6.6* में विस्तृत रूप से दी गई है।

तालिका 6.6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	लाभांश घोषित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	लाभांश घोषित
2020-21	सेवा	1	5.00	4.73	0.20
	अन्य	1	5.84	58.68	8.80
	कुल	2	10.84	63.41	9.00
2021-22	अन्य	2	6.04	112.50	16.52
	कुल	2	6.04	112.50	16.52
2022-23	विद्युत	1	3,990.15	396.02	25
	अन्य	3	7.60	41.38	4.84
	कुल	4	3,997.75	437.40	29.84

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

6.3.3 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसमें इसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न की गणना ब्याज एवं करों से पहले कंपनी की आय को नियोजित पूंजी¹³ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की नियोजित पूंजी पर रिटर्न के विवरण *तालिका 6.7* में दिए गए हैं।

¹¹ हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा भंडारण निगम।

¹² हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 0.06 करोड़ (30 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 0.06 करोड़ (4 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने ₹ 4.72 करोड़ (80.82 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

¹³ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 6.7: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा नियोजित पूंजी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)
2020-21	विद्युत	2,000.14	19,257.73	10.39
	वित्त	14.54	305.78	4.76
	सेवा	18.81	236.24	7.96
	अवसंरचना	2,281.50	9,085.49	25.11
	अन्य	116.42	181.62	64.10
	कुल	4,431.41	29,066.86	15.25
2021-22	विद्युत	2,363.60	19,235.75	12.29
	वित्त	40.38	338.70	11.92
	सेवा	42.32	252.51	16.76
	अवसंरचना	1,051.58	8057.92	13.05
	अन्य	164.65	256.06	64.30
	कुल	3,662.53	28140.94	13.01
2022-23	विद्युत	3,502.83	21,252.87	16.48
	वित्त	49.52	356.13	13.91
	सेवा	15.97	273.64	5.84
	अवसंरचना	1,073.92	9,824.22	10.93
	अन्य	53.73	210.73	25.50
	कुल	4,695.97	31,917.59	14.71

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी। नियोजित पूंजी पर रिटर्न की गणना करते समय, 2020-21 में दो कंपनियों और 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक में तीन कंपनियों की नियोजित पूंजी और ब्याज एवं करों से पूर्व की आय के आंकड़ों को बाहर रखा गया है क्योंकि उन कंपनियों की नियोजित पूंजी ऋणात्मक थी और इसलिए नियोजित पूंजी पर रिटर्न अनिश्चित था। इसलिए, ऊपर गणना की गई नियोजित पूंजी पर रिटर्न क्षेत्रीय निष्पादन को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।

2020-21 से 2022-23 के दौरान नियोजित पूंजी पर समग्र रिटर्न धनात्मक रहा। इसके अतिरिक्त, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में सेवा क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में नियोजित पूंजी पर रिटर्न में कमी आई।

6.3.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि लाभ कमाने के लिए किसी कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इक्विटी पर रिटर्न की गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है, यदि उसकी निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं।

लाभ अर्जित करने वाले 19 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न 2022-23 में 6.73 प्रतिशत रहा। घाटे में चल रहे 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सहित सभी 31 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों¹⁴ का इक्विटी पर रिटर्न 2022-23 में 6.45 प्रतिशत रहा।

शेयरधारकों की निधि या निवल मूल्य की गणना प्रदत्त पूंजी और फ्री रिजर्व को जोड़कर की जाती है, जिसमें से संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय को घटाया जाता है, तथा यह पता चलता है कि यदि सभी परिसंपत्तियाँ बेच दी जाएं और सभी ऋण चुका दिए जाएं, तो कंपनी के

¹⁴ इसमें न लाभ न हानि के आधार पर कार्यरत एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भी शामिल है: फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

शेयरधारकों के लिए कितना धन बचेगा। एक सकारात्मक निवल मूल्य (शेयरधारक निधि) यह दर्शाती है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं, जबकि एक ऋणात्मक निवल मूल्य का अर्थ है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित शेयरधारक निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे **तालिका 6.8** में दिया गया है।

तालिका 6.8: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	निवल आय	शेयरधारकों की निधि	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2020-21	विद्युत	279.18	8,987.57	3.11
	वित्त	11.69	233.04	5.02
	सेवा	(-)35.13	228.29	--
	अवसंरचना	919.68	3,057.17	30.08
	अन्य	97.76	(-)28.25	--
	कुल	1,273.18	12,477.82	10.20
2021-22	विद्युत	(-)163.45	9,485.49	--
	वित्त	34	263.78	12.89
	सेवा	32.89	245.51	13.40
	अवसंरचना	177.90	3,411.72	5.21
	अन्य	107.76	3.23	3,336.22
	कुल	189.10	13,409.73	1.41
2022-23	विद्युत	731.07	10,270.83	7.12
	वित्त	28.92	271.40	10.66
	सेवा	11.19	264.00	4.24
	अवसंरचना	205.29	4,749.65	4.32
	अन्य	21.68	(-)85.92	--
	कुल	998.15	15,469.96	6.45

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर समग्र रिटर्न 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान अधिक था, जिसका श्रेय विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ को दिया जाता है, यद्यपि वित्त क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निवल आय में कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान उक्त क्षेत्रों के इक्विटी पर रिटर्न में कमी आई।

6.4 ऋण सेवा

6.4.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज खर्चों द्वारा एक कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ईबीआईटी) से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उधार पर ब्याज का भुगतान करने में कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व सृजित नहीं कर रही थी। ब्याज भार वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे **तालिका 6.9** में दिया गया है।

तालिका 6.9: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	ब्याज	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ईबीआईटी)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण देयता वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2020-21	विद्युत	1,222.34	2,000.14	4	4	-
	वित्त	2.80	14.54	2	2	-
	सेवा	1.49	(-)22.87	2	1	1
	अवसंरचना	914.63	2,281.50	3	2	1
	अन्य	103.97	184.43	3	2	1
	कुल	2,245.23	4,457.74	14	11	3
2021-22	विद्युत	1,164.26	2,363.60	4	4	-
	वित्त	2.75	40.38	2	2	-
	सेवा	1.34	(-)1.44	2	0	2
	अवसंरचना	838.53	1,051.58	3	1	2
	अन्य	40.80	187.51	3	2	1
	कुल	2,047.68	3,576.55	14	9	5
2022-23	विद्युत	1,335.83	3,502.83	4	4	-
	वित्त	15.88	23.81	3	3	-
	सेवा	1.34	17.38	2	1	1
	अवसंरचना	841.86	1,038.06	4	2	2
	अन्य	31.39	46.35	3	2	1
	कुल	2,226.30	4,628.43	16	12	4

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

यह देखा गया था कि विद्युत और वित्त क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात 2022-23 के दौरान एक से अधिक था। तथापि, सेवा, अवसंरचना और अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मामले में, केवल पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था और शेष चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

6.5 हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

6.5.1 उठाई गई हानि

वर्ष 2022-23 के दौरान अंतिम रूप दिए गए अपने नवीनतम लेखों के अनुसार 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों¹⁵ ने हानि सूचित की। पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि की सूचना देने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की स्थिति नीचे तालिका 6.10 में दी गई है।

¹⁵ (i) हरियाणा महिला विकास निगम (ii) हार्टोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड (iii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (iv) हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड (v) हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (vi) झोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड (vii) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (viii) हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (ix) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (x) हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड और (xi) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड। तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, के वार्षिक लेखा 2020-21 में न तो लाभ और न ही हानि दर्ज की गई है। इसलिए, इन चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर विचार नहीं किया गया है।

तालिका 6.10: 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	हानि उठा रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	वर्ष की निवल हानि	संचित लाभ/हानि	निवल मूल्य ¹⁶	प्रदत्त पूंजी
2020-21	विद्युत	2	357.50	547.54	7,725.98	7,178.44
	वित्त	1	1.85	(-)109.34	98.32	207.66
	सेवा	4	63.51	(-)51.38	36.39	87.77
	अवसंरचना	3	2.82	(-)4.07	21.13	25.20
	अन्य	1	0.03	(-)0.04	0.96	1.00
	कुल	11	425.71	382.71	7,882.78	7,500.07
2021-22	विद्युत	2	426.49	(-)159.14	7,019.3	7,178.44
	वित्त	-	-	-	-	-
	सेवा	2	9.04	(-)4.11	36.76	40.87
	अवसंरचना	3	10.41	(-)11.88	241.36	253.24
	अन्य	2	13.71	(-)182.61	(-)177.47	5.14
	कुल	9	459.65	(-)357.74	7,119.95	7,477.69
2022-23	विद्युत	-	-	-	-	-
	वित्त	1	0.01	(-)0.14	16.47	16.61
	सेवा	6	21.43	(-)69.56	35.60	105.16
	अवसंरचना	2	5.93	(-)13.69	43.22	56.91
	अन्य	2	23.68	(-)210.31	(-)205.17	5.14
	कुल	11	51.05	(-)293.70	(-)109.88	183.82

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

2022-23 में, 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उनके नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार उठाए गई ₹ 51.05 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 23.68 करोड़¹⁷ (46.39 प्रतिशत) और ₹ 21.43 करोड़¹⁸ (41.98 प्रतिशत) की हानि क्रमशः 'अन्य' क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कारण हुई।

यह भी देखा गया था कि 2021-22 में हानि उठाने वाले नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन¹⁹ ने 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित किया, जबकि 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार²⁰ ने 2022-23 के दौरान हानि उठाई थी, लेकिन 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित किया। एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड) ने 2022-23 के दौरान अपने प्रथम लेखे में हानि उठाई।

6.5.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2023 तक, 15 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संचित हानि ₹ 27,876.14 करोड़

¹⁶ निवल संपत्ति का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी और फ्री रिजर्व तथा अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर प्राप्त कुल राशि। फ्री रिजर्व का अर्थ है लाभ से सृजित सभी आरक्षित निधियां, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यहास प्रावधान के अपलेखन से सृजित आरक्षित निधियां शामिल नहीं हैं।

¹⁷ हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड।

¹⁸ (i) हार्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, (ii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, (iii) हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, (iv) हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, (v) ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड, (vi) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

¹⁹ (i) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (ii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (iii) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

²⁰ (i) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (ii) हार्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड (iii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और (iv) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

थी (परिशिष्ट 6.3)। इनमें से, 10 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों²¹ को उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 51.05 करोड़ की हानि हुई।

पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों²² को उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार हानि नहीं हुई थी, यद्यपि उनकी संचित हानि ₹ 27,577.44 करोड़ थी। इन पांच में से, तीन विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) की संचित हानि ₹ 27,489.43 करोड़ थी।

31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 31 मार्च 2023 तक यह ₹ 61.94 करोड़ के इक्विटी निवेश की तुलना में (-) ₹ 214.81 करोड़ था (तालिका 6.11)। पिछले एक से नौ वर्षों की अवधि के दौरान निवल मूल्य ऋणात्मक रहा था।

तालिका 6.11: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का विवरण जिनका निवल मूल्य उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार समाप्त हो गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखों का नवीनतम वर्ष	प्रदत्त पूंजी	कुल राजस्व	कुल व्यय	ब्याज, कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (-)	संचित हानि	निवल मूल्य	वह अवधि जब से निवल मूल्य ऋणात्मक बना हुआ है	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ²³	2021-22	4.14	111.22	132.94	(-) 22.99	(-) 208.53	(-) 204.39	2013-14	2.54	0
2	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड ²⁴	2021-22	50	120.34	123.40	(-) 2.64	(-) 57.47	(-) 7.47	2019-20	0	0
3	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम ²⁵	2021-22	6.8	13.52	21.19	(-) 5.82	(-) 8.97	(-) 2.17	2021-22	6.85	0
4	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड ²⁶	2022-23	1.00	0.44	1.12	(-) 0.69	(-) 1.78	(-) 0.78	2021-22	0	0
	कुल		61.94	245.52	278.65	(-) 32.14	(-) 276.75	(-) 214.81		9.39	0

स्रोत: कॉलम 3 से 9 के संबंध में नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार सूचना तथा कॉलम 10 और 11 के संबंध में संबंधित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त सूचना।

²¹ (i) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (ii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (iii) हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम (iv) हरियाणा पर्यटन लिमिटेड (v) ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड (vi) हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (vii) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (viii) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (ix) हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड और (x) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

²² (i) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2022-23) (ii) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2022-23) (iii) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2022-23) (iv) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2022-23) और (v) हरियाणा वित्तीय निगम (सांविधिक निगम) (2021-22)।

²³ कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपने परिचालन से ₹ 6.62 करोड़ (कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले नकद लाभ) का धनात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न किया है।

²⁴ कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपने परिचालन से ₹ 6.77 करोड़ (कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले नकद लाभ) का धनात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न किया है।

²⁵ कंपनी के परिचालन से ₹ 6.42 करोड़ का ऋणात्मक नकदी प्रवाह (कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले नकद हानि) है, जिसे मुख्य रूप से अन्य चालू देयताओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान इसमें ₹ सात करोड़ की वृद्धि हुई है।

²⁶ कंपनी ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है।

6.6 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों²⁷ के संबंध में की गई है जहां निवेशों के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेशों के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हानि की दर के निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने इक्विटी/ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी में निवेश किया है। 31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत तक निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेश किए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर वर्ष-वार भारित औसत ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी के रूप में वास्तविक निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए अनुदान/सब्सिडी (परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए) को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत को प्रदर्शित करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य गणना के उद्देश्य से 1999-2000 से 2022-23 तक की अवधि को 31 मार्च 2000 को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश पर विचार करते हुए 2000-01 के आरंभ में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के रूप में लिया गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी/ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश के विवरण के साथ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ऐसे राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका 6.12** में दर्शाई गई है।

²⁷ इसमें एक निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड और एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान 30 सितंबर 2022 को भंग हो गया।

तालिका 6.12: 1999-2000 से 2022-23 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6= (3+4+5)	7=2+6	8	9= (7x8/100) + 7	10 = 7x8/100	11	12=11/9*100
1999-2000		612.33*	-	49.95	662.28	662.28	12.05	742.09	79.80	(-) 436.59	-
2000-01	742.09	310.48	-	73.50	383.98	1,126.07	11.40	1,254.44	128.37	(-) 221.85	-
2001-02	1,254.44	59.75	-	98.18	157.93	1,412.37	10.50	1,560.66	148.30	(-) 174.72	-
2002-03	1,560.66	125.40	-	77.49	202.89	1,763.55	10.74	1,952.96	189.41	36.70	1.88
2003-04	1,952.96	123.78	-	80.43	204.21	2,157.17	10.20	2,377.20	220.03	236.76	9.96
2004-05	2,377.20	165.41	-	22.23	187.64	2,564.84	8.49	2,782.60	217.75	(-) 368.24	-
2005-06	2,782.60	417.07	-	31.59	448.66	3,231.26	8.95	3,520.46	289.20	(-) 327.89	-
2006-07	3,520.46	789.96	-	25.90	815.86	4,336.32	9.20	4,735.26	398.94	(-) 442.18	-
2007-08	4,735.26	1,002.23	-	83.03	1,085.26	5,820.52	7.43	6,252.97	432.46	(-) 730.53	-
2008-09	6,252.97	951.64	-	67.39	1,019.03	7,272.00	7.82	7,840.68	568.67	(-) 1,070.16	-
2009-10	7,840.68	903.80	-	41.96	945.76	8,786.44	9.29	9,602.70	816.26	(-) 1,406.59	-
2010-11	9,602.70	888.59	-	98.80	987.39	10,590.09	9.22	11,566.50	976.41	(-) 453.63	-
2011-12	11,566.50	594.63	-	167.40	762.03	12,328.53	9.73	13,528.09	1,199.57	(-) 10,096.15	-
2012-13	13,528.09	176.64	-	61.71	238.35	13,766.44	9.86	15,123.81	1,357.37	(-) 3710.51	-
2013-14	15,123.81	102.93	-	94.88	197.81	15,321.62	9.83	16,827.74	1,506.12	(-) 3,943.54	-
2014-15	16,827.74	75.76	-	153.74	229.50	17,057.24	9.33	18,648.69	1,591.44	(-) 2,648.04	-
2015-16	18,648.69	1,638.52	-	4,076.41	5,714.93	24,363.62	8.64	26,468.64	2,105.02	(-) 1,779.65	-
2016-17	26,468.64	1,931.09	-	4,199.98	6,131.07	32,599.71	8.00	35,207.68	2,607.98	63.68	0.18
2017-18	35,207.68	5462.30	-	176.82	5,639.12	40,846.80	8.10	44,155.39	3,308.59	910.95	2.06
2018-19	36,370.39**	13,327.92	-	350.46	13,678.38	50,048.77	8.81	54,458.07	4,409.30	960.37	1.76
2019-20	54,458.07	5,838.78	-	11.15	5,849.93	60,308.00	8.31	65,319.59	5,011.59	968.29	1.48
2020-21	65,319.59	631.67	-	104.78	736.45	66,056.04	6.50	70,349.68	4,293.64	1,273.18	1.81
2021-22	70,349.68	151.93	-	50.31	202.24	70,551.92	7.05	75,525.83	4,973.91	165.39	0.22
2022-23	75,525.83	200.12	-	230.15	430.27	75,956.10	6.72	81,060.35	5,104.25	995.82	1.23
कुल		35,870.40	-	2,643.24#	39,125.97#						

* विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अंतरित ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानियों को घटाकर ₹ 844.23 करोड़ की इक्विटी डाली गई। कॉलम नंबर 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना को संबंधित वर्षों के मुद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकलित किया गया है।

** आरंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) के कारण था, जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में बदल दिया गया था क्योंकि इसका प्रभाव पहले से ही संबंधित वर्षों के अनुदान में लिया गया था।

कुल अनुदान में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ₹ 7,785 करोड़ शामिल नहीं हैं।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार का निवेश शेष 1999-2000 के ₹ 612.33 करोड़ (₹ 844.23 करोड़ की इक्विटी में से ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक अवशिष्ट संचित हानि घटाकर) से बढ़कर 2022-23 के अंत में ₹ 39,125.97 करोड़ हो गया, क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी, ब्याज-मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 38,513.64 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 81,060.35 करोड़ था।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2015-16 का कुल अर्जन ऋणात्मक रही, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार अपनी निधियों की लागत वसूल नहीं कर सकी। यद्यपि 2002-03, 2003-04 और 2016-17 से 2022-23 के दौरान कुल अर्जन धनात्मक रहा, किंतु वह न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से बहुत कम था। पिछले पांच वर्षों, अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न 0.22 और 1.81 प्रतिशत के बीच रहा, जो मुख्य रूप से विद्युत वितरण कंपनियों में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत निधियों के निवेश के कारण था।

6.7 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, राज्य में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दो सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) थे। 2022-23 में 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ की सूचना दी, जबकि 2021-22 में 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने लाभ की सूचना दी थी। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1049.20 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने अंतिमकृत नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 51.05 करोड़ की हानि सूचित की। 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

6.8 सिफारिशें

राज्य सरकार को चाहिए कि:

- (i) निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लें क्योंकि वे न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया था।
- (ii) उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में घाटे के कारणों का विश्लेषण करें जिनकी निवल संपत्ति नष्ट हो गई है तथा उनके परिचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाएं।

अध्याय 7

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की
पर्यवेक्षण भूमिका

अध्याय-7

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक जारी करते हैं। कुछ निगमों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है और रिपोर्ट विधानमंडल को सौंपी जाती है।

7.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सितंबर 2023 तक नियुक्त किया गया था।

7.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

7.2.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी चाहिए। ऐसी तैयारी के तुरंत बाद, वार्षिक रिपोर्ट को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है और एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक लेखे सितंबर 2023 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद में विस्तृत विवरण दिया गया है।

7.2.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। इन 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, 34 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (जिनमें हरियाणा राज्य आवास वित्त लिमिटेड, जो परिसमापन के अधीन है, को छोड़कर दो निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शामिल हैं) से वर्ष 2022-23 के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के अपने लेखे प्रस्तुत किए। **परिशिष्ट 7.1** में दिए गए विवरण के अनुसार 25 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के 60 लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इनमें तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के तीन लेखे शामिल थे जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों को प्रस्तुत करने में बकायों के विवरण **तालिका 7.1** में दिए गए हैं:

तालिका 7.1: सरकारी कंपनियों के लेखों को प्रस्तुत करने में बकायों के विवरण

विवरण	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	लेखों की संख्या
31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या	35	--
घटा: परिसमापन के अधीन कंपनियां जिनके 2022-23 के लेखे देय नहीं थे	1	--
घटा: नई कंपनियां जिनके 2022-23 के लेखे देय नहीं थे	-	--
कंपनियों की संख्या जिनके 2022-23 के लेखे देय थे	34	34
कंपनियों की संख्या जिन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2023 तक लेखे प्रस्तुत किए	9	9
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे	25	60
बकायों का ब्रेक-अप	(i) निष्क्रिय	5
	(ii) पहले लेखे प्रस्तुत नहीं किए	12
	(iii) अन्य	43
'अन्य' श्रेणी के विरुद्ध बकायों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष	8
	दो वर्ष	10
	तीन वर्ष तथा अधिक	25

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित।

7.2.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

दो सांविधिक निगमों¹ की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा की जा रही है और पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जा रही है। दोनों सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2022-23 के अपने लेखे सितंबर 2023 से पहले लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए। सितंबर 2023 तक, इन दोनों सांविधिक निगमों के दो लेखे (अर्थात वर्ष 2022-23 के) लंबित थे।

7.3 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

7.3.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और राष्ट्रीय वित्तीय

¹ हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

रिपोर्टिंग प्राधिकरण² के रूप में नामित लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

7.3.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाते हैं कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्नलिखित अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

7.3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की मानक ऑडिटिंग प्रथाओं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कंपनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

² 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी।

7.4 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

7.4.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों की लेखापरीक्षा

अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान 24 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से वर्ष 2022-23 और उससे पहले के वर्षों के 26 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। इन 26 वित्तीय विवरणों में से 18 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई, जबकि आठ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए गए। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

7.4.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की छः वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका लाभप्रदता पर ₹ 55.71 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,254.96 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा, **तालिका 7.2** और **तालिका 7.3** में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 7.2: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वर्ष 2022-23 के लिए	कंपनी ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक ₹ 293.80 करोड़ मूल्य के 71 कार्यों का पूंजीकरण किया, जो दिसंबर 2016 से फरवरी 2023 तक चालू किए गए थे। इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की गणना संबंधित परियोजनाओं के चालू होने की तिथि के बजाय हस्तांतरण की तिथि अर्थात् अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई। परिणामस्वरूप, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों पर ₹ 44.33 करोड़ का कम मूल्यहास दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान मूल्यहास और परिशोधन व्यय को कम दर्शाया गया तथा लाभ को ₹ 44.33 करोड़ अधिक दर्शाया गया।
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	कंपनी ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) को ईंधन मूल्य समायोजन बिल के संबंध में ₹ 11.28 करोड़ और जेपी पावर लिमिटेड को बिजली खरीद लागत के संबंध में ₹ 0.10 करोड़ का भुगतान क्रमशः मई और जून 2023 में किया। ये बिल वर्ष 2022-23 से संबंधित थे और ₹ 11.38 करोड़ के भुगतान की देयता वर्ष 2022-23 में प्रदान की जानी चाहिए थी। तथापि, कंपनी ने 2022-23 के दौरान इन बिलों के विरुद्ध कोई देयता दर्ज नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को ₹ 11.38 करोड़ तक कम और लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।

तालिका 7.3: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	एक आपूर्तिकर्ता को दी गई ₹ 2.08 करोड़ की अग्रिम राशि पार्टी के चालू बिलों से वसूल कर ली गई (अप्रैल 2017), लेकिन इस संबंध में कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" को अधिक और "प्रगतिशील पूंजीगत कार्य" को ₹ 2.08 करोड़ तक कम दर्शाया गया।
2	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	'गैर-वित्तपोषित देयता' के कारण कम प्रावधान के कारण ₹ 781.14 करोड़ का प्रावधान ₹ 143.24 करोड़ तक कम दर्शाया गया। एकचुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, ₹ 299.26 करोड़ की देयता के विरुद्ध ₹ 156.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य इक्विटी' को ₹ 143.24 करोड़ अधिक और 'प्रावधानों' को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1. भारतीय लेखांकन मानक-19 के पैरा 63 के अनुसार, किसी इकाई को बैलेंस शीट में निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) को मान्यता देना अपेक्षित है। एकचुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक वित्त पोषित लाभों और गैर-वित्त पोषित लाभों के लिए निवल परिभाषित लाभ देयता क्रमशः ₹ 4,742.03 करोड़ और ₹ 393.86 करोड़ थी। तथापि, कंपनी ने वार्षिक लेखों में वित्त पोषित लाभों के विरुद्ध ₹ 1,040.08 करोड़ की देयता/प्रावधान और गैर-वित्त पोषित लाभों के विरुद्ध शून्य देयता/प्रावधान प्रदान किया। परिणामस्वरूप, कर्मचारी लाभों के लिए देयता/प्रावधान ₹ 4,095.81 करोड़ कम दर्शाया गया और अन्य इक्विटी को भी उस सीमा तक अधिक दर्शाया गया। 2. अन्य वित्तीय देयताओं में ₹ 13.83 करोड़ जिसमें सावधि ऋण (मार्च 2023) प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को देय गारंटी फीस (₹ छः करोड़) और 2022-23 की अवधि से संबंधित विद्युत उत्पादन कंपनियों को देय विद्युत/ईंधन मूल्य समायोजन की लागत (₹ 7.83 करोड़) शामिल नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक लाभ को अधिक दर्शाया गया।

7.5 प्रबंधन-पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गई थी। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान, 15 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों को प्रबंधन-पत्र जारी किए गए थे। प्रबंधन-पत्रों में लेखांकन नीतियों/प्रथाओं के अनुप्रयोग/व्याख्या से संबंधित कमियों तथा कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के अपर्याप्त या गैर-प्रकटीकरण को इंगित किया गया था।

7.6 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दो सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) थे। 31 मार्च 2023 तक, 34 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2022-23 के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के अपने लेखे प्रस्तुत किए। 25 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के लेखे एक से छः वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे।

7.7 सिफारिशें

राज्य सरकार को उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जिनके लेखे बकाया हैं, पर दबाव डालना चाहिए, ताकि वे अपनी वित्तीय विवरणियों को शीघ्र अंतिम रूप दे सकें, क्योंकि अंतिम रूप न दिए जाने की स्थिति में, ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।

अध्याय 8

कॉरपोरेट गवर्नेंस

अध्याय-8

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

8.1 प्रस्तावना

8.1.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता

कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी संगठन को दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, हितधारकों को संतुष्ट करने और कानूनी व नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के उद्देश्य से संरचित, संचालित और नियंत्रित किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनियों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित और नियंत्रित करने का एक तरीका है। इसका संबंध कंपनी और प्रबंधन की नैतिकता, मूल्यों के मानदंडों और आचरण से है। सार्वजनिक क्षेत्र में, अच्छी गवर्नेंस संरचनाओं की कमी और गवर्नेंस सिद्धांतों का पालन न करने से भ्रष्टाचार और प्रबंधन द्वारा सौंपी गई शक्ति के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।

8.1.2 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 को बदल कर कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबंधन एवं गवर्नेंस, निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता, निदेशक मंडल की बैठकों और इसकी शक्तियों पर कंपनी नियम, 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कंपनी नियम के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आवश्यकताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी, या ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर, या ₹ 50 करोड़ से अधिक बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा वाली सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति जैसी कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना। {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) का नियम 4 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1)}।
- व्यावसायिक आचरण के लिए कर्तव्य एवं मार्गनिदेश के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए अर्हताएं {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) के नियम 5 के साथ पठित धारा 149(6)}।
- ₹ 100 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या ₹ 300 करोड़ या अधिक के टर्नओवर वाली सार्वजनिक कंपनियों के बोर्ड में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) का नियम 3}।
- प्रतिवर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरह आयोजित करना कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1)}}।

8.1.3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने इक्विटी लिस्टिंग समझौते के खंड 49 में संशोधन किया (अप्रैल और सितंबर 2014), ताकि इसे कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुरूप किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने 2 सितंबर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया जो पहले के प्रावधानों को निरस्त करते हुए 1 दिसंबर 2015 से प्रभावी हो गया।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक समान सूचीकरण समझौता प्रारूप जारी किया (13 अक्टूबर 2015) जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध इकाई को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित था।

8.1.4 चयनित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2023 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरियाणा में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। फरवरी 1988 में स्थापित सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के अधीन) ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को निर्देश जारी किए हैं, तथापि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

समीक्षा के प्रयोजन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक आकलन किया गया था। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समीक्षा में 32 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं। इस प्रतिवेदन में समीक्षा किए गए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ-साथ छोड़े गए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची क्रमशः **परिशिष्ट 8.1** और **परिशिष्ट 8.2** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा वित्तीय निगम (एचएफसी) की इक्विटी और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) के बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। तथापि, हरियाणा वित्तीय निगम पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया गया क्योंकि इसने 2010 से नया कारोबार बंद कर दिया था।

8.2 निदेशक मंडल का गठन एवं बैठकें

8.2.1 निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.), कॉर्पोरेट गवर्नेंस का साधन है। यह गवर्नेंस नीतियों एवं व्यवहारों के कार्यान्वयन की एक एजेंसी है। यह आवश्यक है कि निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ध्यान दे और अपेक्षित प्रतिनिधित्व के साथ सुसज्जित हो और इसके सदस्य नियमित रूप से बैठकें करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में निर्दिष्ट है कि बोर्ड को दो लगातार

बैठकों के बीच अधिकतम 120 दिनों के समय अंतराल के साथ वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी चाहिए। **तालिका 8.1** उन कंपनियों को दर्शाती है जहां 2022-23 के दौरान एक वर्ष में आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या की आवश्यकता की अनुपालना नहीं की गई।

तालिका 8.1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जहां निदेशक मंडल की चार बैठकों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2
2.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	3
3.	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	3
4.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	3
5.	हार्ट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	3
6.	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	शून्य
7.	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1
8.	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	3
9.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	3

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण, वह 2022-23 के दौरान बोर्ड की अपेक्षित चार बैठकें आयोजित करने में असमर्थ था।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि 28 जून 2022 को होने वाली बैठक को कोरम पूरा न होने के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था तथा कंपनी के अध्यक्ष के अन्य महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने के कारण इसे आगे भी स्थगित कर दिया गया था।

8.2.2 स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक से अभिप्राय एक प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक या एक नामांकित निदेशक के अतिरिक्त अन्य निदेशक से है जो सत्यनिष्ठ हो और जिसके पास संबंध निपुणता एवं अनुभव हो। प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण लेने में सक्षम स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड में उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कंपनी नियम, 2014 के नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) में प्रावधान है कि ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ 50 करोड़ से अधिक के कुल बकाया ऋणों, डिबेंचरों और जमाओं वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। इस मानदंड को पूरा करने वाले 17 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची **परिशिष्ट 8.3** में दी गई है। इन 17 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों¹ को स्वतंत्र निदेशक होने के मानदंड का पालन करने की

¹ हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड संयुक्त उद्यम असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां हैं, हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड निजी कंपनी है।

आवश्यकता नहीं थी। शेष 12 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड और ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड) में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था जबकि शेष नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अपने बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक रखने के मानदंड को पूरा करते हैं।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला अभी भी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

8.2.3 निदेशक मंडल में महिला का प्रतिनिधित्व

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या ₹ 300 करोड़ या अधिक के टर्नओवर वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। इस मानदंड को पूरा करने वाले ऐसे नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची **परिशिष्ट 8.4** में दी गई है। इन सभी नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बोर्ड में महिला निदेशक थी।

8.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

8.3.1 औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की औपचारिकता एक नियुक्ति-पत्र के माध्यम से की जाएगी जो नियुक्ति के निबंधनों एवं शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि यह अवलोकित किया गया कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों वाले नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में, जैसा कि **तालिका 8.2** में सूची दी गई है, 2022-23 के दौरान नियमों एवं शर्तों के विवरण देने वाले कोई नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किए गए थे।

तालिका 8.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किए गए

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया
1	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2
2	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	2
3	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	3

8.3.2 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV में निर्दिष्ट है कि स्वतंत्र निदेशक उपयुक्त प्रेरण प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और नियमित रूप से अपने कौशल, ज्ञान एवं कंपनी के साथ सुपरिचय को अद्यतित करेंगे। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि **तालिका 8.3** में सूचीबद्ध राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में स्वतंत्र निदेशकों, जो वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड में थे, को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

तालिका 8.3: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जहां स्वतंत्र निदेशकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम
1	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
2	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
3	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
5	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड
6	गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड

हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि स्वतंत्र निदेशक पर्याप्त अनुभवी और योग्य हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वतंत्र निदेशक, प्रेरक संगठन (अर्थात् कंपनी) की पहल के बिना प्रेरण प्रशिक्षण नहीं ले सकते थे।

8.3.3 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा III (3) में बताया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक-मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, 2022-23 के दौरान कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। **तालिका 8.4** ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या इंगित करती है:

तालिका 8.4: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने अन्य बोर्ड समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1(1)	1(2) ²
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3(6)	1(4) ³
3	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4(3)	2(2) ⁴
4	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	4(4)	4(8) ⁵
5	गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	1(1)	---

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उन बैठकों की संख्या दर्शाते हैं जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित था।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि कभी-कभी स्वतंत्र निदेशक अपनी पूर्वव्यस्तता के कारण बैठकों में शामिल नहीं हो सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड की बैठक में भाग

² एक स्वतंत्र निदेशक लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक में अनुपस्थित थे।

³ एक स्वतंत्र निदेशक लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकों और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक में अनुपस्थित रहे।

⁴ एक स्वतंत्र निदेशक लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक में अनुपस्थित थे तथा एक स्वतंत्र निदेशक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक में अनुपस्थित थे।

⁵ चार स्वतंत्र निदेशक लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकों में अनुपस्थित रहे, दो स्वतंत्र निदेशक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक में अनुपस्थित रहे तथा तीन स्वतंत्र निदेशक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे।

लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि हितधारकों के हित में प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

8.3.4 कंपनी की आम बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा III (5) में बताया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की सभी आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। **तालिका 8.5** ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को इंगित करती है जिनमें 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 8.5: उन कंपनियों की सूची जहां स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने आम बैठकों में भाग नहीं लिया
1	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1
3	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1
4	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	3
5	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2

हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि आम बैठकों में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि स्वतंत्र निदेशक अपनी पूर्व-व्यस्तता के कारण कंपनी की आम बैठक में भाग नहीं ले सके। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों को आम बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि हितधारकों के हित में प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

8.4 निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरना

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के पदों में रिक्तियों को समय पर भरने से कंपनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। रिक्तियों को भरे जाने में कोई विलंब निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभाविकता में बाधक हो सकता है। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 का नियम 4 यह निर्धारित करता है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र या निष्कासन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि **तालिका 8.6** में वर्णित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 2022-23 के दौरान उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद लंबे समय तक रिक्त पड़े रहे:

तालिका 8.6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जहां स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद समय पर नहीं भरे गए

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या	रिक्त पदों की संख्या	उन माहों की कुल संख्या जिनमें पद रिक्त रहे (2022-23 के दौरान)
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2	1	7 (20 जुलाई 2022 से 05 फरवरी 2023)
2.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2	1	6 (01 अप्रैल 2022 से 05 अक्टूबर 2022)
3.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2	1	7 (10 जून 2022 से 22 जनवरी 2023)
4.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2	2	24 (दो पद 12 महीने तक रिक्त रहे 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) प्रत्येक
5.	ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड	2	2	24 (दो पद 12 महीने तक रिक्त रहे 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) प्रत्येक
6.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2	2	24 (दो पद 12 महीने तक रिक्त रहे 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) प्रत्येक

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक ने 9 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद के विरुद्ध 21 जून 2022 को स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद अनुस्मारक भेजा। तथापि, राज्य सरकार ने 27 जनवरी 2023 को नियुक्ति को अनुमोदन दिया और नियुक्ति आदेश 6 फरवरी 2023 को जारी किया गया था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 15 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया था, इसलिए, रिक्तियों को भरने के लिए मामला राज्य सरकार के पास उनके कार्यकाल की समाप्ति तिथि से काफी पहले अर्थात् 18 नवंबर 2021 को भेजा गया था, जिसके बाद अनुस्मारक भी भेजे गए। तथापि, राज्य सरकार ने 6 अक्टूबर 2022 को नियुक्ति को अनुमोदन दिया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि **तालिका 8.7** में सूचीबद्ध राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्तियों को ऐसी रिक्ति से छः माह की अवधि के मध्य भरा नहीं गया था जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) में निर्धारित है:

तालिका 8.7: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जहां प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को समय पर नहीं भरा गया

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	पदनाम	2022-23 के दौरान कितने महीनों तक पद रिक्त रहे
1.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	मुख्य वित्त अधिकारी	12
		कंपनी सचिव	12
2.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	मुख्य वित्त अधिकारी	12
		कंपनी सचिव	12

8.5 लेखापरीक्षा समिति

8.5.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) एवं (2) निर्धारित करती है कि न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। आगे

कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम 2014 का नियम 6 प्रावधान करता है कि ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त पूंजी या ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ 50 करोड़ या अधिक के बकाया ऋणों या उधारों या डिबेंचरों या जमाओं वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी, एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अनुसार **परिशिष्ट 8.3** में सूचीबद्ध 17 कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया था कि **तालिका 8.8** में वर्णित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया।

तालिका 8.8: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जहां लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम
1.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (नवंबर 2024) कि कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए उसे लेखापरीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय में एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है तथा स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सका है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति के अधिकांश सदस्य **तालिका 8.9** में वर्णित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 8.9: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जहां लेखापरीक्षा समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत नहीं था

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम
1.	ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड
2.	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड

8.5.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामों की समीक्षा

सांविधिक अधिदेश के अनुसार सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) (iii) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति, वित्तीय विवरणियों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के जांच परिणामों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का अधिदेश है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्षिक लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की समीक्षा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा नहीं की गई।

8.6 अन्य समितियां

8.6.1 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 6 में विनिर्दिष्ट है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करेगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक हों, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए और कम से कम आधे स्वतंत्र होंगे और समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ऐसी कोई समिति नहीं थी जैसा कि **तालिका 8.10** में विवरण दिया गया है।

तालिका 8.10: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जिनमें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नहीं थी

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम
1.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

यद्यपि ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड ने उपर्युक्त समिति का गठन किया, लेकिन 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई। इसके अलावा, दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति है लेकिन उन्होंने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं की।

धारा 178 (नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति) के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, कंपनी पर न्यूनतम ₹ एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, यह देखा गया था कि 2022-23 के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

8.7 व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म

8.7.1 कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) में प्रावधान है कि कंपनी अनुचित आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता जताने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता यंत्रावली स्थापित करेगी। यह देखा गया था कि छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को मैकेनिज्म स्थापित करने की आवश्यकता थी, हालांकि, एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड) ने ऐसा कोई मैकेनिज्म स्थापित नहीं किया।

8.7.2 कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV का पैरा III (10) लेखापरीक्षा समिति, यदि यह कंपनी में विद्यमान है, द्वारा व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा निर्धारित करता है। एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) में, यद्यपि व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म विद्यमान था, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की।

8.8 वार्षिक आम बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रावधान है कि एकल व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक वर्ष किसी भी अन्य बैठक के अतिरिक्त, अपनी वार्षिक आम बैठक के रूप में एक आम बैठक आयोजित करेगी। यह देखा गया था कि **तालिका 8.11** में सूचीबद्ध राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में 2022-23 के दौरान कोई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 8.11: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जहां वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई थी

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम
1.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड
3.	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
4.	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
5.	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 में प्रावधान है कि किसी कंपनी की आम बैठक की सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसा भी निर्धारित हो, के माध्यम से कम से कम 21 दिन पहले दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आम बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है यदि ऐसी बैठक में मतदान हेतु पात्र कम से कम के 95 प्रतिशत सदस्यों द्वारा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सहमति दी जाती है। यह देखा गया था कि हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड ने अपेक्षित सहमति न मिलने के बावजूद कम अवधि का नोटिस जारी किया है।

8.9 संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 23 (1) और (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता पर एक नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित पार्टी लेनदेन की ऐसी भौतिकता को संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने ऐसी नीति नहीं बनाई है।

8.10 निष्कर्ष

चयनित 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई थी; छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने में छः महीने से अधिक की देरी देखी गई; दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने में 12 महीने की देरी देखी गई; तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किसी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था; एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में कोई व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म स्थापित नहीं किया गया, संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति का प्रकटीकरण उस वेबसाइट पर नहीं किया गया था, जिसके बांड एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

8.11 सिफारिशें

हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें उनकी नियुक्ति, बैठक फीस आदि के लिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए समय सीमा सहित मानक निबंधन एवं शर्तें शामिल हों। हरियाणा सरकार कंपनी नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर दबाव डाले ताकि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

अध्याय 9

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

9.1 प्रस्तावना

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता है। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करते हुए अपने हितधारकों और बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के हितों की पहचान करता है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर टिकी हुई है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। कंपनियां कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों का निर्वहन करते हुए समाज को कुछ वापस दे रही हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व जनादेश को शामिल करना विकास के लाभों को समान रूप से वितरित करने और देश के विकास एजेंडे के साथ कॉरपोरेट जगत को शामिल करने के सरकार के प्रयासों को पूरा करने का एक प्रयास है।

9.1.1 कानूनी ढांचा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित), कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के विषय से संबंधित है और उन कंपनियों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य, टर्नओवर और निवल लाभ पर आधारित योग्यता को पूरा करने वाले मानदंड को निर्धारित करती है, जिनके द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियां शुरू करना अपेक्षित है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करती है। कंपनियों द्वारा जो गतिविधियां कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीतियों में शामिल की जा सकती हैं वे अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध हैं। अधिनियम की धारा 135 और अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

अधिनियम किसी भी कंपनी के लिए वार्षिक तौर पर तीन तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम दो प्रतिशत (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिगणित) को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य बनाता है। फरवरी 2014 में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 जारी किए, जो 1 अप्रैल 2014 से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं। तदनुसार, अधिनियम के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का निर्माण तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर निर्धारित राशि का व्यय अप्रैल 2014 से लागू हुआ।

9.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के आकलन का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन, नीति के निर्माण और अनुपालन, निष्पादन के नियोजन चरणों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है; तथा
- कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

9.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कवरेज

अधिनियम की धारा 135(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार, 2022-23 में कार्यरत 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से 10 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (*परिशिष्ट 9.1*) को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के दौरान एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम¹ ने पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर व्यय किया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022-23 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की समीक्षा की गई।

9.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया गया था:

- अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची VII में निहित प्रावधान: और
- कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधान।

9.5 लेखापरीक्षा परिणाम

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन; नीति के निर्माण एवं अनुपालन; कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की योजना एवं निष्पादन; और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उनकी निगरानी एवं रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

9.6 योजना

9.6.1 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135 (1) एवं (3) के अनुसार बोर्ड और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका *चार्ट 9.1* में दर्शाई गई है:

¹ हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड।

चार्ट 9.1: बोर्ड और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका



अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹ 1,000 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ पांच करोड़ या अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 11 में से नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समितियों का गठन किया था। अन्य दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों² (हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड) ने 31 मार्च 2023 तक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समितियों का गठन नहीं किया था, हालांकि, ये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम धारा 135(1) के अंतर्गत लाभ कमाने के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते थे, अर्थात् इन्हें 2021-22 के दौरान ₹ पांच करोड़ से अधिक का लाभ हुआ।

9.6.2 समिति में स्वतंत्र निदेशक

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित करने वाले नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, अर्थात् हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक रखने के प्रावधान का पालन नहीं किया था।

9.6.3 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करना

अधिनियम की धारा 135 (3) के अनुसार अपेक्षित है कि कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करेगी और बोर्ड को इसकी सिफारिश करेगी। यह देखा गया कि 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से आठ ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की सिफारिश के आधार पर अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार की, जबकि शेष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, गुडगांव

² चूंकि इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने न तो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया था और न ही कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार की थी, इसलिए इन पर विश्लेषण के लिए विचार नहीं किया गया है।

टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड और हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड) के पास कोई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नहीं थी।

9.6.4 वार्षिक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व योजना एवं बजट

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों और वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना है। बोर्ड को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को नए वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले या जल्द से जल्द अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में निधियों को समाप्त करने के लिए व्यय के वेग से बचा जा सके और निधियों को वर्ष भर समान रूप से खर्च किया जा सके।

यह देखा गया कि केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात् हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) ने नए वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले अपना कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट अनुमोदित करवाया, चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रॉन) ने दूसरी तिमाही में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट अनुमोदित करवाया और शेष चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल), हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड (एचएफडीसी), हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (एचएसआरडीसी) और गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड (जीटीपीएल) ने तीसरी तिमाही में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट अनुमोदित करवाया।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति ने 26 मार्च 2022 को हुई अपनी बैठक में 2022-23 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय योग्य राशि में से महेंद्रगढ़ में एक प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ 2.02 करोड़ आबंटित किए थे, जो कि काफी पहले ही आबंटित कर दिए गए थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए वार्षिक कार्य योजना को 2 सितंबर 2022 को हुई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

9.7 वित्तीय घटक

9.7.1 निधियों का आबंटन

अधिनियम की धारा 135 (5) किसी भी कंपनी के लिए यह अनिवार्य करती है कि वह तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिगणित) का कम से कम दो प्रतिशत वार्षिक खर्च करे।

11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से नौ³ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इस प्रकार परिकलित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत ₹ 14.77 करोड़ था (परिशिष्ट 9.2)। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने पिछले वर्षों के ₹ 34.19 करोड़ (सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा) के कैरीओवर सहित ₹ 48.96 करोड़ आबंटित किए।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.), भारत सरकार ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 01/2016 दिनांक 12 जनवरी 2016 में स्पष्ट किया है कि "धारा 135 के लिए निवल लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार है जो मुख्य रूप से कर पूर्व लाभ है।" लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड ने धारा 198 के अंतर्गत यथा अपेक्षित औसत लाभ की गणना के लिए कर पूर्व लाभ नहीं लिया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का औसत कर पूर्व लाभ इन कंपनियों द्वारा परिकलित ₹ 286.93 करोड़ की तुलना में ₹ 766.62 करोड़ था (परिशिष्ट 9.3)। इसके परिणामस्वरूप चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का ₹ 9.59 करोड़ (₹ 15.33 करोड़ - ₹ 5.74 करोड़) का कम प्रावधान किया गया है।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि यह अंतर "अन्य व्यापक आय (ओसीआई)/व्यय" पर विचार न करने के कारण था। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2025) कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि अन्य व्यापक आय के अंतर्गत आने वाले टर्मिनल लाभों से संबंधित व्यय का दावा नहीं किया जा सकता। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार अन्य व्यापक आय को कर पूर्व लाभ से नहीं काटा जाना था।

9.7.2 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) में वर्णित है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा ₹ 48.96 करोड़ (पिछले वर्ष की अव्ययित निधि सहित) के अपेक्षित व्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 7.52 करोड़ था, जिसमें सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा ₹ 41.44 करोड़ की राशि अव्ययित छोड़ दी गई थी (परिशिष्ट 9.2)। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि का पूरी तरह से उपयोग किया और गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान आबंटित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि का पूरा उपयोग किया।

³ हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड और हरियाणा वित्तीय सेवा लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान न तो निधियां आबंटित की और न ही कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर कोई व्यय किया।


लेखापरीक्षा में देखा गया कि हारट्रॉन ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय हेतु हरियाणा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व ट्रस्ट/हरियाणा कल्याण सोसाइटी को ₹ 0.64 करोड़⁴ प्रेषित किए। इसी प्रकार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने भी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय हेतु अपर उपायुक्त, जींद को ₹ 0.90 करोड़ प्रेषित किए। हालाँकि, हारट्रॉन ने इस राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र (जनवरी 2025 तक) प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, 2022-23 के दौरान इन निधियों के उपयोग का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय के लिए अपर उपायुक्त, जींद को प्रेषित किए गए ₹ 0.90 करोड़ का उपयोग 2024-25 के दौरान किया गया था।

9.7.3 तिमाही वार व्यय

नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 2022-23 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 7.52 करोड़ था। पिछली दो तिमाहियों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय में अधिक प्रवाह था क्योंकि कुल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का 68 प्रतिशत इन्हीं तिमाहियों में हुआ। गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड ने चौथी तिमाही में क्रमशः ₹ 0.15 करोड़, ₹ 0.25 करोड़ और ₹ 0.16 करोड़ की अपनी पूरी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधियां खर्च की।

9.7.4 उच्च व्ययकर्ता

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर कुल व्यय चार्ट 9.2 में दर्शाया गया है:



सबसे अधिक व्यय करने वाला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड रहा, जिसने ₹ 2.19 करोड़ (कुल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का 29 प्रतिशत) खर्च किया, उसके बाद हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड रहा, जिसने ₹ 1.80 करोड़ (24 प्रतिशत) खर्च किया।

⁴ हरियाणा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व ट्रस्ट: ₹ 0.59 करोड़ और हरियाणा कल्याण सोसायटी: ₹ 0.05 करोड़।

9.7.5 जिला-वार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय

चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड) ने राज्य के एक से अधिक जिलों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियां शुरू की थी। शेष पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि केवल एक जिले में ही खर्च की।

9.7.6 प्रशासनिक उपरिव्यय

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नियम 7(1) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय को समग्र कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों के पांच प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। अलग से प्रकट किए जाने वाले उपरिव्यय में आधारभूत अध्ययन, क्षमता निर्माण और अन्य उपरिव्यय शामिल होने चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय में प्रशासनिक उपरिव्यय के रूप में कोई राशि शामिल नहीं थी।

9.7.7 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना से अधिशेष

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नियम 7(2) के अनुसार, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। समीक्षाधीन किसी भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं से किसी अधिशेष की सूचना नहीं दी।

9.8 परियोजना कार्यान्वयन

9.8.1 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

किसी भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनके द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय करना अपेक्षित था, ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग बेसलाइन सर्वेक्षण या आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।

9.8.2 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रणाली

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) नियमावली, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से उस प्रणाली से संबंधित है जिसमें अधिनियम की धारा 135(1) के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि की जानी है। बोर्ड एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी अथवा कंपनी या इसकी धारिता अथवा सहायक अथवा सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 या अन्यथा के अंतर्गत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय ले सकता है।


यह देखा गया था कि छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों⁵ द्वारा 26 परियोजनाओं को सीधे/घरेलू

⁵ हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और हारट्रॉन।

रूप से कार्यान्वित किया गया था। पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों⁶ द्वारा सात परियोजनाओं को सरकार/बाहरी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसायटी आदि के माध्यम से निष्पादित किया गया था।

9.8.3 केंद्र बिंदु के क्षेत्र

केंद्र बिंदु के क्षेत्रों को नीचे चार्ट 9.3 में दर्शाया गया है:



ऊपर इंगित किए गए अनुसार शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया (50 प्रतिशत), जिसमें ₹ 3.81 करोड़ का व्यय शामिल है। इसके बाद सबसे अधिक व्यय (₹ 0.90 करोड़) ग्रामीण विकास पर हुआ, जो 12 प्रतिशत है।

9.9 निगरानी तंत्र

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति कंपनी द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी आठ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जिन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार की थी, ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट किया था।

9.10 सूचना एवं प्रकटन

अधिनियम की धारा 135 (4) (क) के साथ पठित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार, कंपनी द्वारा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल करना और इसे आधिकारिक वेबसाइट पर डालना अपेक्षित है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित को प्रकट करना होगा:

- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की विषय-वस्तु, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का वेब लिंक, औसत निवल लाभ, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना,

⁶ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हारट्रोन, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड और गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड।

प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारणों को प्रकट करना।

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व वक्तव्य शामिल करना कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व उद्देश्य और नीति के अनुपालन में थी।

इस संबंध में निम्नलिखित बातें देखी गईं:

- चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा प्रावधानों का अनुपालन;
- गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित प्रारूप में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं की; और
- चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हारट्रॉन, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड) की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, इसलिए उनके मामले में लागू प्रकटीकरण अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जा सका।

9.11 निष्कर्ष

हरियाणा में 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, जिन्हें अधिनियम के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी, केवल नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने ही इसका अनुपालन किया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का केंद्र बिंदु क्षेत्र शिक्षा और ग्रामीण विकास था। सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं का चयन बिना किसी आवश्यकता मूल्यांकन के किया गया था। 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से सात, जो मानदंडों को पूरा करते थे, द्वारा रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

9.12 सिफारिश

मानदंडों को पूरा करने वाले सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करनी चाहिए और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नियमों के अनुपालन में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन करना चाहिए। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और वर्ष के लिए तय पूरे बजट को खर्च करने का प्रयास किया जाना चाहिए। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के लिए स्थिरता और सामाजिक प्रभाव को शामिल करने के लिए अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट केंद्र बिंदु क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

अध्याय 10

हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन
की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-10

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन

10.1 प्रस्तावना

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार (जीओआई) ने बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने और शहरों की भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के व्यापक विकास को प्राप्त करने के लिए "स्मार्ट सिटी मिशन" (एससीएम) आरंभ किया (जून 2015)।

मिशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे शहरों को प्रोत्साहित करना था जो मुख्य अवसंरचना, स्वच्छ, सुस्थिर पर्यावरण प्रदान करें और 'स्मार्ट समाधानों' के एप्लिकेशन से नागरिकों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करें। स्मार्ट सिटी में मुख्य अवसंरचना तत्वों में पर्याप्त जल आपूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी एवं डिजिटलीकरण, सुशासन विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं शिक्षा शामिल हों।

योजना के अनुसार, चयनित शहरों को अपना स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करना था, जिसमें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विजन और योजना तथा अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में इच्छित परिणाम शामिल होने चाहिए थे। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को रणनीतिक योजना प्रक्रिया के सिद्धांतों का उपयोग करके तैयार किया जाना था और प्रस्ताव में क्षेत्र-आधारित विकास¹ (एबीडी) और पैन-सिटी विकास² शामिल था

हरियाणा में, दो शहरों अर्थात् फरीदाबाद (मई 2016) और करनाल (जून 2017) को भारत सरकार द्वारा चुना गया था। मिशन की अवधि पांच वर्ष (2015-16 से 2019-20) थी, हालांकि, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया था।

10.1.1 फरीदाबाद सिटी

नगर निगम, फरीदाबाद ने शहरी उन्नयन मॉडल³ के अंतर्गत समावेशी, स्थायी और तर्कसंगत रूप से वृद्धिशील, आर्थिक विकास सहित एक सुसंयोजित, सुनियोजित शहरी क्षेत्र में बदलने के लिए सेक्टर 19, 20, 20ए, 21बी और 21डी सहित 1,267 एकड़ के क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र

¹ क्षेत्र-आधारित विकास एक विशिष्ट क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र-आधारित विकास के अंतर्गत आने वाले घटक हैं: शहरी उन्नयन (रेट्रोफिटिंग), शहरी नवीनीकरण (पुनर्विकास) और शहरी विस्तार (ग्रीन फील्ड विकास)।

² पैन-सिटी विकास में विद्यमान शहर-व्यापी अवसंरचना में चयनित स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई है। स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग में अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग शामिल है।

³ शहरी उन्नयन में विद्यमान निर्मित क्षेत्र में सुधार करके उसे अधिक कुशल और रहने योग्य बनाने की परिकल्पना की गई है।

की पहचान की थी। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट समाधानों के लिए पैन-सिटी विकास परियोजनाओं पर भी विचार किया गया था।

फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ₹ 2,601.01 करोड़⁴ की अनुमानित लागत वाली कुल 46 परियोजनाएं (क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र में ₹ 2,108.00 करोड़ की लागत वाली 37 परियोजनाएं और पैन-सिटी में ₹ 469.47 करोड़ की लागत वाली नौ परियोजनाएं) निष्पादित की जानी थी। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, सरकारी अनुदान, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), भूमि मुद्रीकरण, केंद्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ परियोजनाओं के अभिसरण⁵ और ऋण के माध्यम से ₹ 2,601.01 करोड़ की निधियों की व्यवस्था की जानी थी।

10.1.2 करनाल सिटी

नगर निगम, करनाल ने अत्याधुनिक स्मार्ट सुविधाओं के साथ घंटाघर चौक, कुंजपुरा और मुगल कैनाल मार्केट के आसपास 720 एकड़ का क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र चिन्हित किया था तथा इसे शहर के लिए लाइट हाउस में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट समाधानों के लिए पैन-सिटी विकास परियोजनाओं पर भी विचार किया गया। करनाल के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुसार, ₹ 1,295.81 करोड़⁶ की अनुमानित लागत वाली कुल 57 परियोजनाएं (क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र में ₹ 1,061.05 करोड़ की लागत वाली 41 परियोजनाएं और पैन-सिटी में ₹ 149.99 करोड़ की लागत वाली 16 परियोजनाएं) निष्पादित की जानी थी।

₹ 1,295.81 करोड़ की निधियों की व्यवस्था सरकारी अनुदान, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ परियोजनाओं के अभिसरण तथा नगर निगम, करनाल द्वारा अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से की जानी थी।

10.2 विशेष प्रयोजन माध्यम

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 10.1 के अनुसार, शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा किया जाना था। विशेष प्रयोजन माध्यम, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली एक कंपनी थी, जो स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी थी।

तदनुसार, दो विशेष प्रयोजन माध्यम, अर्थात् फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एफएससीएल) और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड (केएससीएल), क्रमशः सितंबर 2016 और दिसंबर 2017 में

⁴ इसमें, कार्यान्वयन के दौरान संचार एवं परिवर्तन प्रबंधन तथा ब्याज के कारण ₹ 23.54 करोड़ की राशि शामिल है।

⁵ 'अभिसरण' में वे सभी परियोजनाएं शामिल हैं जो स्मार्ट सिटी विशेष प्रयोजन माध्यम के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण/संगठन द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं तथा अन्य सरकारी विभागों (केन्द्रीय/राज्य/शहर स्तर) या केन्द्र या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से प्राप्त निधियों के माध्यम से वित्तपोषित होती हैं।

⁶ क्षेत्र-आधारित विकास और पैन-सिटी परियोजनाओं की कुल पूंजीगत व्यय लागत ₹ 1,211.04 करोड़ है, जबकि 57 परियोजनाओं की कुल पूंजीगत व्यय लागत ₹ 1,295.81 करोड़ मानी गई। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में ₹ 84.77 करोड़ के अंतर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निगमित किए गए। इन विशेष प्रयोजन माध्यम की भूमिका अपने-अपने शहरों में स्मार्ट सिटी प्रस्ताव की परियोजनाओं को क्रियान्वित करना था।

10.3 संगठनात्मक संरचना

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) में निहित है, जिसमें प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भारत सरकार के प्रतिनिधि, विशेष प्रयोजन माध्यम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), संबंधित नगर निगम के आयुक्त और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट 10.1** में दर्शाई गई है।

10.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- मिशन के कार्यान्वयन की योजना स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई।
- राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयोजन माध्यम को जारी की गई निधियां तथा विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा शेष निधियों का संग्रहण कुशल तथा योजना के उद्देश्यों के अनुरूप था।
- परियोजनाओं का कार्यान्वयन विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रस्तावों के अनुसार किया गया।
- स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित तंत्र स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार था।

10.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों की तुलना निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की गई थी

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देश, परामर्श और ज्ञापन;
- अलग-अलग स्मार्ट शहरों के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव और परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट;
- भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, परामर्श, ज्ञापन और आदेश;
- राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निविदा दस्तावेज और दर अनुसूची और कार्य नियमावली।

10.6 लेखापरीक्षा का दायरा और पद्धति

लेखापरीक्षा में 2015-16 से 2022-23 तक की अवधि शामिल थी। लेखापरीक्षा पद्धति में निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कार्यालय के मिशन की गतिविधियों और दो विशेष प्रयोजन माध्यमों, अर्थात् करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, से संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल थी।

आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय के साथ दिनांक 22 जून 2023 को एंटी कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और लेखापरीक्षा के दायरे पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा जून से नवंबर 2023 और जुलाई 2024⁷ के दौरान आयोजित की गई।

लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा विशेष प्रयोजन माध्यमों के कर्मिकों के साथ मिलकर स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया।

आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय के साथ दिनांक 27 दिसंबर 2024 को एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

10.7 योजना

10.7.1 स्मार्ट सिटी प्रस्ताव की तैयारी

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 9.1.2 के अनुसार, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में शहर के निवासियों और अन्य हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं को रेखांकित किया जाएगा। इन चर्चाओं के दौरान नागरिकों और विभिन्न समूहों के मामलों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान की जानी थी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग और राज्य सरकार के पर्यवेक्षण में स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने में सहायता के लिए एक परामर्शदात्री फर्म अपेक्षित थी। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ सभी विभागों और एजेंसियों की पिछली योजनाओं, हस्तक्षेपों और दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर एक शहर-व्यापी संकल्पना योजना तैयार करना शामिल होगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- (i) फरीदाबाद में कुल 46 परियोजनाएं और करनाल में 57 परियोजनाएं संबंधित स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में शामिल की गईं। हालांकि, लेखापरीक्षा को नागरिक परामर्श से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। परिणामस्वरूप, नागरिक परामर्श के आधार पर पहचानी गई तथा स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में शामिल करने के लिए विचार की गई परियोजनाओं की सही संख्या का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

⁷ अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा पार्टी ने जुलाई 2024 में पुनः लेखापरीक्षित इकाइयों का दौरा किया।

- (ii) सभी विभागों और एजेंसियों की पिछली योजनाओं, हस्तक्षेपों और दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर शहर-व्यापी संकल्पना योजना तैयार करने से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज अभिलेख में नहीं पाए गए। ऐसे अभिलेखों के अभाव में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि परामर्शदाताओं द्वारा अन्य विभागों की पिछली योजनाओं, हस्तक्षेपों और दस्तावेजों की समीक्षा की गई थी या नहीं और शहर-व्यापी संकल्पना योजना उसी के आधार पर बनाई गई थी या नहीं।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का मूल्यांकन स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। हालांकि, अभिलेखों के स्थान परिवर्तन और अधिकारियों के स्थानांतरण के कारण, मांगे गए अभिलेखों का पता नहीं चल पाया। हालांकि, तथ्य यह है कि अभिलेखों के अभाव में, नागरिक परामर्श और पिछली योजनाओं की समीक्षा का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

10.8 स्मार्ट सिटी का वित्त

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 11.1 और 12.2 के अनुसार, भारत सरकार को प्रत्येक सिटी के लिए ₹ 500 करोड़⁸ उपलब्ध कराने थे और राज्य सरकार द्वारा समान आधार पर समान राशि का अंशदान किया जाना था। अनुमोदित स्मार्ट सिटी प्रस्ताव की शेष निधियों की व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के संसाधनों, अन्य सरकारी योजनाओं के साथ परियोजनाओं के अभिसरण, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र से, नगरपालिका बांड, उधार, ऋण आदि से करना अपेक्षित था। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुसार निधियां जुटाने के स्रोतों और विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा विभिन्न संसाधनों से जुटाई गई वास्तविक निधियों का विवरण **तालिका 10.1** में दिया गया है।

तालिका 10.1: विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा नियोजित निधियों के स्रोतों और वास्तविक रूप से जुटाई गई निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स्रोत	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड		करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	
	नियोजित	वास्तविक	नियोजित	वास्तविक
सरकारी अनुदान	980.00	980.00	1,000.00	833.00
सार्वजनिक-निजी भागीदारी	1,007.50	0.00	132.85	0.00
उधार/ऋण	12.13	0.00	0.00	0.00
भूमि मुद्राकरण	428.38	0.00	0.00	0.00
सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	173.00	0.00	80.22	12.86
संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अंशदान	-	-	82.74	0.00
कुल	2,601.01	980.00	1,295.81	845.86

स्रोत: स्मार्ट सिटी प्रस्ताव और विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

⁸ पहले वर्ष में ₹ 200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया, जिससे उच्चतर प्रारंभिक कोष का सृजन होगा, तत्पश्चात अगले तीन वर्षों के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- (i) ₹ 3,896.82 करोड़ की नियोजित निधि के विरुद्ध, दोनों शहरों के लिए वास्तविक निधि ₹ 1,825.86 करोड़ की व्यवस्था की गई, जिससे ₹ 2,070.96 करोड़ (53.15 प्रतिशत) की कमी रह गई। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड क्रमशः ₹ 2,601.01 करोड़ और ₹ 1,295.81 करोड़ के प्रस्तावित वित्त पोषण के विरुद्ध मुख्यतः सरकारी अनुदानों के माध्यम से ₹ 980 करोड़ (37.67 प्रतिशत) और ₹ 845.86 करोड़ (65.27 प्रतिशत) एकत्र कर सके।
- (ii) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुसार, ₹ 1,007.50 करोड़ की तीन परियोजनाओं⁹ को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर क्रियान्वित किया जाना था। तथापि, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड किसी भी परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर क्रियान्वित नहीं कर सका, क्योंकि बाद में दो परियोजनाएं¹⁰ व्यवहार्य नहीं पाई गईं तथा तीसरी परियोजना¹¹ के कार्यान्वयन के लिए अलग से एक विशेष प्रयोजन माध्यम¹² का गठन किया गया। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर ₹ 132.85 करोड़ की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना बनाई थी, हालांकि, भूमि की कमी और परियोजना की अव्यवहार्यता के कारण करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ऐसी कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी।
- (iii) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर रियल एस्टेट परियोजना के विकास का कार्यान्वयन न होने के कारण ₹ 428.38 करोड़ की लक्षित निधियों के विरुद्ध भूमि मुद्रीकरण के माध्यम से कोई भी निधि सृजन नहीं कर सका।
- (iv) विशेष प्रयोजन माध्यमों ने अपने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में केंद्र/राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय की योजनाओं के साथ अभिसरण के अंतर्गत ₹ 253.22 करोड़ की परियोजनाओं को लागू करने की योजना बनाई थी। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम, करनाल के साथ अभिसरण के अंतर्गत ₹ 12.86 करोड़ की केवल चार परियोजनाएं क्रियान्वित कीं। दोनों विशेष प्रयोजन माध्यम, राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के अभिसरण के वित्त पोषण पैटर्न के संबंध में दिशानिर्देश जारी न करने और अंतर-विभागीय टास्क फोर्स¹³ के गैर-कार्यशील होने के कारण केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण के अंतर्गत किसी भी परियोजना को लागू करने में विफल रहे, जिसका गठन (जुलाई 2015) राज्य सरकार द्वारा योजनाओं, विशेष रूप से अभिसरण के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था।

⁹ 1. सोलर सिटी मिशन/सोलर रूफ टॉप्स (₹ 19.50 करोड़); 2. नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि पर रियल एस्टेट का पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) (₹ 965 करोड़) और 3. 100 बस क्यू शेल्टरों का निर्माण (₹ 23 करोड़)।

¹⁰ सोलर सिटी मिशन/सोलर रूफ टॉप्स और नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर रियल एस्टेट का पारगमन उन्मुख विकास।

¹¹ 100 बस क्यू शेल्टरों का निर्माण।

¹² फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड।

¹³ इसमें अर्ध-सरकारी निकाय, शहरी स्थानीय निकाय और शहरी विकास प्राधिकरण शामिल हैं।

- (v) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड क्रमशः ऋण से ₹ 12.13 करोड़ और नगर निगम, करनाल से अतिरिक्त अंशदान से ₹ 82.74 करोड़ की नियोजित प्राप्ति के विरुद्ध कोई निधि नहीं जुटा सके। इन स्रोतों से निधियां न जुटा पाने के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 और 11.3 के अनुसार, आंतरिक और बाह्य स्रोतों से वित्त पोषण आकर्षित करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार के अनुदानों का लाभ उठाया जाना था, हालांकि, विशेष प्रयोजन माध्यम इसका लाभ नहीं उठा सके।

परिणामस्वरूप, स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा नहीं की जा सकी, जिससे मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति इस सीमा तक प्रभावित हुई कि दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों ने वित्तीय बाधाओं सहित विभिन्न कारणों से ₹ 2,316.64 करोड़ की 54 परियोजनाओं को स्थगित कर दिया, जैसा कि अनुच्छेद 10.9.1 में चर्चा की गई है।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं परियोजनाओं की अव्यवहार्यता और भूमि की कमी के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सकी और स्वीकार किया कि अभिसरण के अंतर्गत परियोजनाएं राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अभाव और परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण आंशिक रूप से क्रियान्वित की गईं। हालांकि, तथ्य यह रहा कि विशेष प्रयोजन माध्यम, स्मार्ट सिटी प्रस्तावों की परिकल्पित परियोजनाओं को लागू करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, उत्तर में नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा ऋण के माध्यम से निधियां न जुटाने और नगर निगम, करनाल द्वारा स्वयं की निधियों से अंशदान न करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

10.8.1 सरकार को ब्याज का भुगतान

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 (8) में प्रावधान है कि किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी अनुदान सहायता के विरुद्ध अर्जित सभी ब्याज या अन्य आय को लेखों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की समेकित निधि में प्रेषित कर दिया जाएगा। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 2016-24 के दौरान ₹ 77.50 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 38.75 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा: ₹ 38.75 करोड़) का ब्याज अर्जित किया। इसमें से ₹ 37.19 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 32.83 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा: ₹ 4.36 करोड़) सरकार को प्रेषित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार और राज्य सरकार को क्रमशः ₹ 5.92 करोड़ और ₹ 34.39 करोड़ के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

इसी प्रकार, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 2018-24 के दौरान ₹ 31.86 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 16.05 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा: ₹ 15.81 करोड़) का ब्याज अर्जित किया। इसमें से ₹ 16.56 करोड़ सरकार (भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 9.77 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा: ₹ 6.79 करोड़) को प्रेषित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार और राज्य सरकार को क्रमशः ₹ 6.28 करोड़ और ₹ 9.02 करोड़ के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी लंबित ब्याज राशि सरकार के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें।

10.9 स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं का कार्यान्वयन

10.9.1 स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में संशोधन और कार्यान्वयन की स्थिति

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने विशेष प्रयोजन माध्यमों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्रथम श्रेणी की निधियों अर्थात केंद्र/राज्य/शहरी स्थानीय निकाय अनुदान निधियों से आरंभ की जा रही परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया (अगस्त और सितंबर 2018)। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में स्वीकृत परियोजनाओं, स्थायी रूप से स्थगित की गई परियोजनाओं, नई परियोजनाओं (स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के अतिरिक्त) की संख्या और 30 जून 2024 तक संशोधित नियोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत स्थिति का विवरण **तालिका 10.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2: 30 जून 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

विशेष प्रयोजन माध्यम	स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुसार परियोजनाएं		स्थगित की गई परियोजनाएं		नई परियोजनाएं जोड़ी गईं [§]		संशोधित नियोजित परियोजनाएं		पूर्ण की गई परियोजनाएं		क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं		योजना के अंतर्गत परियोजनाएं	
	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	46	2,601.01	18	1,416.53	28	154.42	56	933.90	35	658.47	13	194.17	8	81.26
करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	57	1,295.81	36	899.81	90	673.03	111	947.85	77	303.44	27	581.80	7	62.61
कुल	103	3,896.82	54	2,316.34	118	827.45	167	1,881.75	112	961.91	40	775.97	15	143.87

स्रोत: स्मार्ट सिटी प्रस्ताव और विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

§ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- विशेष प्रयोजन माध्यमों ने स्थलों की अनुपलब्धता, परियोजनाओं की अव्यवहार्यता और वित्तीय समस्याओं के कारण 54 परियोजनाओं को स्थगित कर दिया। इन 54 परियोजनाओं में से, 38 परियोजनाओं में संबंधित विशेष प्रयोजन माध्यमों के निदेशक मंडलों से परियोजनाओं को स्थगित करने की स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके अतिरिक्त, अधिकांश नई परियोजनाएं चयनित क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर शुरू की गईं, जैसा कि **अनुच्छेद 10.9.4** में बताया गया है। परिणामस्वरूप, चयनित क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र को स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में परिकल्पित उचित कवरेज नहीं मिल सका।
- दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा 167 परियोजनाओं में से 152 परियोजनाओं (फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 48 और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 104) के पूरा होने की समय-सीमा तय की गई थी और शेष परियोजनाओं के लिए समय-सीमा तय नहीं की गई थी क्योंकि वे योजना चरण में थीं। विशेष प्रयोजन माध्यम समय-सीमा के अनुसार 112 पूर्ण परियोजनाओं में से केवल 45 परियोजनाएं (फरीदाबाद स्मार्ट

सिटी लिमिटेड: 7 और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 38) पूरी कर सके और 30 जून 2024 तक 67 (60 प्रतिशत) परियोजनाओं (फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 28 और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 39) के पूरा होने में तीन से 1,506 दिनों तक की देरी हुई (जैसा कि **परिशिष्ट 10.2** में विवरण दिया गया है)। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का विश्लेषण **तालिका 10.3** में दिया गया है। देरी के कारण थे- भार मुक्त स्थलों की अनुपलब्धता, स्थल स्वीकृति में देरी तथा ड्राइंग में संशोधन आदि।

तालिका 10.3: परियोजनाओं के निष्पादन में देरी का विश्लेषण

क्र.सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	परियोजनाओं की संख्या
1	100 से कम	18
2	100 के बराबर या उससे अधिक और 500 से कम	31
3	500 के बराबर या उससे अधिक और 1000 से कम	16
4	1000 से अधिक	2
कुल		67

स्रोत: करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि भूमि संबंधी समस्याओं, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव परियोजनाओं की अव्यवहार्यता और अनापत्ति प्रमाण-पत्रों से संबंधित मामलों के कारण स्मार्ट सिटी प्रस्ताव परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सका। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के संबंध में, यह बताया गया कि स्मार्ट सिटी परियोजनाएं ब्राउनफील्ड परियोजनाएं थीं और स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन से पहले बनाई गई विद्यमान अवसरंचना में रेट्रोफिट थी, जिसमें विद्यमान उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न विभागों के साथ अंतर-विभागीय परामर्श, कोविड लॉकडाउन और परियोजनाओं को बंद करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग¹⁴ (सीएक्यूएम) के निर्देश जैसी कई चुनौतियां सामने आईं। आगे यह भी बताया गया कि परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के मामलों को भारत सरकार ने स्वीकार किया और परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि विभाग ने संबंधित विशेष प्रयोजन माध्यमों के निदेशक मंडलों की स्वीकृति प्राप्त किए बिना 38 परियोजनाओं को स्थगित करने का कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया। परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के संबंध में विभाग द्वारा दिया गया औचित्य इस पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि इन परियोजनाओं को पहले से ही स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में रेट्रोफिट मॉडल पर क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के पूरा होने में देरी स्थलों के चयन में अपर्याप्त परिश्रम, व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण न किए जाने और ड्राइंग को अंतिम रूप दिए बिना परियोजना सौंपे जाने के कारण हुई, जैसा कि **अनुच्छेद 10.9.2** में बताया गया है।

¹⁴ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ग्रेड्ड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रदूषण नियंत्रण उपायों की एक स्तरीकृत प्रणाली है, जो तब सक्रिय होती है जब वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है।

10.9.2 व्यक्तिगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी/कमी

(i) सीवेज उपचार संयंत्रों का कार्यान्वयन

फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र, समूह आवास और ग्रीन बेल्ट विकास के लिए जल पुनर्चक्रण का प्रावधान शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य बागवानी और अन्य गैर-पेय अनुप्रयोगों के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के पुनर्चक्रित जल का पुनः उपयोग करना था। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ₹ 64.50 करोड़ की लागत से मेसर्स पुलकित प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को पांच वर्ष की अवधि के लिए संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) सहित आठ सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना का कार्य सौंपा (मार्च 2022)। परियोजना को लेटर ऑफ अवाई (एलओए) की तारीख से 15 महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भूमि के स्वामित्व वाले विभागों से अनुमति लिए बिना ही परियोजना आर्बिट्रिट कर दी। परिणामस्वरूप, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, **तालिका 10.4** में दिए गए विवरण के अनुसार, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में प्रकाशित आठ पहचान किए गए स्थलों में से ठेकेदार को कोई भी स्थल उपलब्ध कराने में विफल रहा।

तालिका 10.4: 31 मार्च 2024 तक मिशन के अंतर्गत नियोजित सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थिति

क्र.सं.	क्षमता	प्रस्ताव के लिए अनुरोध के अनुसार स्थान	टिप्पणियां/वर्तमान स्थिति
1.	15 एमएलडी	सेक्टर-33 (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि)	स्थान संशोधित कर जलघर, सेक्टर-25 कर दिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है।
2.	5 एमएलडी	प्याली चौक (नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि)	स्थान संशोधित कर गोल्फ कोर्स कर दिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है।
3.	2 एमएलडी	सेक्टर-45 (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि)	भूमि उपलब्ध नहीं
4.	2 एमएलडी	झाड़सैतली गांव (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि)	भूमि उपलब्ध नहीं
5.	1 एमएलडी	एनएचपीसी चौक (नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि)	भूमि उपलब्ध नहीं
6.	1 एमएलडी	टाउन पार्क, सेक्टर-12 (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि)	स्थान को बाराही-तालाब में संशोधित किया गया था, हालांकि, अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पार्क के क्षेत्र में आ रहा था।
7.	1 एमएलडी	सीही गांव, सेक्टर-8 (सिंचाई विभाग की भूमि)	भूमि उपलब्ध नहीं
8.	1 एमएलडी	सेक्टर-9, निपटान स्टेशन (नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि)	भूमि उपलब्ध नहीं

स्रोत: फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए ठेकेदार को संशोधित स्थानों पर दो साइटें (**तालिका 10.4** की क्रम संख्या 1 और 2) सौंप दी (दिसंबर 2022 और फरवरी 2023), लेकिन मार्च 2024 तक शेष छः साइटें उपलब्ध कराने में विफल रहा। शेष छः सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए स्थलों की अनुपलब्धता के मामले पर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर चर्चा की गई और अंततः निदेशक मंडल ने शेष छः सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया (दिसंबर 2023)। यह भी पाया गया कि एजेंसी ने सेक्टर-45 में सीवेज उपचार संयंत्र का कार्य शुरू कर दिया था और आंशिक रूप से कार्य¹⁵ निष्पादित किया गया था। हालांकि, स्थानीय

¹⁵ एसबीआर टैंक की खुदाई का कार्य - 50 प्रतिशत पूर्ण, मृदा जांच, सर्वेक्षण एवं डिजाइन (आईआईटी/एनआईटी) का कार्य पूर्ण।

निवासियों के विरोध के कारण, कार्य रोक दिया गया और वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने के कारण यह परित्यक्त स्थिति में पड़ा रहा। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आंशिक कार्य के बदले ठेकेदार को ₹ 0.27 करोड़ का भुगतान किया।

इस प्रकार, स्थलों के चयन में अपर्याप्त तत्परता और स्थलों को अंतिम रूप दिए बिना कार्य सौंपने के कारण, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्य सौंपे जाने के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी भी सीवेज उपचार संयंत्रों को पूरा करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ₹ 0.27 करोड़ का निष्फल व्यय वहन करना पड़ा।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि नगर निगम, फरीदाबाद ने इन स्थलों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किया था और तदनुसार, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ठेकेदार को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने (अगस्त 2022) से पहले मार्च 2022 में लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया था। इसके अतिरिक्त, भूमि स्वामित्व एजेंसियों, अर्थात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग से पांच स्थलों के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

(ii) संत नगर स्लम क्षेत्र का विकास

फरीदाबाद शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुसार, संत नगर के स्लम क्षेत्र में नागरिक अवसंरचना का शहरी उन्नयन कार्य किया जाना था। तदनुसार, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने संत नगर में सड़कों, नागरिक अवसंरचना¹⁶ और भू-निर्माण का कार्य मेसर्स एसजीके प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (एजेंसी) को ₹ 9.69 करोड़ की लागत से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) के साथ सौंपा (जुलाई 2018)। यह कार्य छः महीने (दिसंबर 2018) में पूरा होना था।

एजेंसी 30 जून 2021 तक समय विस्तार दिए जाने के बावजूद कार्य पूरा नहीं कर सकी। जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, सड़क सुधार, विद्युत कार्य और भूमिगत टैंक के आंशिक कार्यों के लिए एजेंसी को ₹ 2.58 करोड़¹⁷ का भुगतान किया गया था। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए, निदेशक मंडल ने अनुबंध समाप्त करने और उसके बाद शेष बचे कार्य के लिए पुनः निविदा जारी करने का निर्णय लिया (दिसंबर 2021)। शेष कार्य की लागत ₹ 2.08 करोड़ आंकी गई, जिसे नगर निगम, फरीदाबाद को जमा कार्य के रूप में सौंपा गया (मार्च 2022) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य जून 2023 तक पूरे हो जाएं। हालांकि, फरीदाबाद नगर, निगम ने इस कार्य को करने से इनकार कर दिया (अप्रैल 2023) क्योंकि भूमि का कुछ हिस्सा निजी स्वामित्व में था और शेष हिस्सा सरकारी विभाग के अधिकार क्षेत्र में था। परिणामस्वरूप, जून 2024 तक परियोजना अधूरी रह गई।

¹⁶ 24*7 जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, सड़क सुधार, आंतरिक गलियां, सामुदायिक शौचालय, वर्षा जल संचयन, भू-निर्माण, सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट, विद्युत कार्य और भूमिगत टैंक।

¹⁷ ₹ 0.65 करोड़ का जुर्माना काटने के बाद।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में देखा गया कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कार्य सौंपने से पहले न तो कोई व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण कराया था और न ही संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति ली थी। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भूमि संबंधी मामलों के समाधान के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। परिणामस्वरूप, परियोजना का पुनः निविदाकरण नहीं किया जा सका और ₹ 2.58 करोड़ व्यय होने के बावजूद स्लम क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सका।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि परियोजना की पहचान नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा की गई थी और बाद में इसे क्रियान्वयन के लिए फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सौंप दिया गया था। भूमि का कुछ हिस्सा निजी मालिकों के स्वामित्व में होने और अन्य सरकारी विभाग के अधिकार क्षेत्र में रहने के कारण कार्य नहीं किया जा सका। विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के इस तर्क की पुष्टि करता है कि कार्य बिना किसी व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण के ही सौंप दिया गया था।

(iii) करनाल में एलईडी लाइटों की स्थापना

करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मेसर्स एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड (एजेंसी) को 10 वर्षों की अवधि के लिए संचालन एवं रखरखाव (ओ.एंड एम.) सहित ₹ 35.27 करोड़ की कुल लागत से 25,000 स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स के प्रतिस्थापन/रेट्रोफिटिंग का कार्य सौंपा (11 जनवरी 2022)। कार्य के दायरे¹⁸ में अन्य बातों के साथ-साथ स्मार्ट स्ट्रीट लाइटों के लिए अवसरंचना की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करना, एलईडी लाइटों के साथ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग, स्मार्ट फीडर पैनल नियंत्रक, खंभे लगाना, केबल बिछाना, स्ट्रीट लाइट प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग, मोबाइल ऐप और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के साथ एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र¹⁹ (आईसीसीसी) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण शामिल था। यह कार्य 30 सप्ताह के भीतर अर्थात् 23 अगस्त 2022²⁰ तक दो चरणों में पूरा किया जाना था। सर्वेक्षण के बाद, कार्य को घटाकर (मई 2022) 20 वार्डों में 23,634 लाइटें कर दिया गया, जिसकी लागत ₹ 33.87 करोड़ थी। एजेंसी ने फरवरी 2024 तक का विस्तार मांगा, हालांकि, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 21 नवंबर 2022 (चरण-II) तक का विस्तार प्रदान किया (अक्टूबर 2022)। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 11 अगस्त 2023 को चरण-1 के लिए स्वीकृति दे दी गई। हालांकि, विभिन्न बाधाओं²¹ के कारण जून 2024 तक परियोजना अभी भी निष्पादन के अधीन है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एजेंसी को चरण-1 के लिए गो-लाइव की स्वीकृति दे दी, इस तथ्य के बावजूद कि एजेंसी ने एकीकृत कमांड और नियंत्रण

¹⁸ निविदा दस्तावेजों की क्लॉज 2.1

¹⁹ एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र: यह समस्त शहर के विभिन्न एप्लीकेशन से डेटा एकत्र करके शहर के संचालन के प्रबंधन के लिए "नर्व सेंटर" के रूप में कार्य करता है, जिससे प्राधिकारियों को यातायात प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान, सार्वजनिक सुरक्षा आदि जैसे पहलुओं के बारे में वास्तविक समय में सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है, तथा यह शहर के प्रशासन के लिए केंद्रीय निगरानी और निर्णय समर्थित प्रणाली के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करता है।

²⁰ लेटर ऑफ अवाई जारी होने के 14 दिन से।

²¹ बरसात के मौसम और ठेकेदार की धीमी प्रगति के कारण पोल लगाने को लेकर जनता में नाराजगी।

केंद्र के साथ एलईडी लाइटों का एकीकरण नहीं किया था, खंभों के स्थानों की भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग नहीं की थी और दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए मोबाइल ऐप, अलर्ट दिखाने और शिकायत दर्ज करने के लिए डैशबोर्ड विकसित नहीं किया था। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र प्लेटफॉर्म को भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए आंशिक भुगतान²² भी जारी किया (सितंबर 2023)। इस प्रकार, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य पूरा हो गया है। हालांकि, अंतिम स्वीकृति एलईडी लाइटों के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी। हालांकि, तथ्य यह है कि चरण-1 के लिए गो-लाइव की स्वीकृति अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जारी की गई थी।

(iv) पुरानी अनाज मंडी, करनाल में वाणिज्यिक परिसर का निर्माण

करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पुरानी अनाज मंडी में एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण कार्य को अनुमोदन दिया गया था (सितंबर 2021)। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ऐसा स्थान तैयार करना है जो सामाजिक संपर्क, वाणिज्यिक उपयोग और मनोरंजन के संदर्भ में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दे। उक्त परियोजना का निर्माण नगर निगम, करनाल की भूमि पर किया जाना था। प्रस्ताव के अनुसार, इस स्थल को दो मंजिला बेसमेंट वाले बहुमंजिला²³ वाणिज्यिक परिसर भवन के रूप में विकसित किया जाना था।

उक्त कार्य नगर निगम, करनाल को जमा कार्य आधार पर निष्पादन के लिए सौंपा गया (अगस्त 2022) और नगर निगम, करनाल ने एक ठेकेदार को ₹ 30.80 करोड़ की लागत पर यह कार्य प्रदान किया (जनवरी 2023), जिसे स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 18 महीने के भीतर (अर्थात् जुलाई 2024 तक) पूरा किया जाना था। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दिसंबर 2022 में नगर निगम, करनाल के पास ₹ 30.80 करोड़ जमा कराए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि परियोजना को, ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप दिए बिना ही प्रदान कर दिया गया था और इन्हें नवंबर 2023 में ही अंतिम रूप दिया जा सका और तदनुसार खुदाई का कार्य अक्टूबर 2023 में ही शुरू हो सका। इसके अतिरिक्त, नगर निगम, करनाल द्वारा फरवरी 2024 तक एक ट्यूबवेल को न हटाने के कारण भी काम रुका रहा। ठेकेदार ने मार्च 2025 तक समय विस्तार का अनुरोध किया है। इस प्रकार, ड्राइंग को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण परियोजना में देरी हुई और परियोजना के इच्छित लाभ समय पर प्राप्त नहीं हो सके।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि संरचना और आर्किटेक्चरल ड्राइंग को अंतिम रूप दे दिया गया है और 35 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, उत्तर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि ड्राइंग को अंतिम रूप दिए बिना ही कार्य क्यों प्रदान किया गया था।

²² ₹ 1.39 लाख के विरुद्ध ₹ 0.49 लाख।

²³ एक बहुमंजिला संरचना जिसमें भूतल और ऊपर दो अतिरिक्त फ्लोर हैं।

(v) निगरानी कैमरा प्रणाली की कार्यप्रणाली

(क) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मेसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड (मेसर्स हेल) को कुल ₹ 159.40 करोड़ की लागत से पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) सहित एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र की स्थापना का कार्य सौंपा (दिसंबर 2018)। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने फरवरी 2020 में इस परियोजना को स्वीकृति जारी कर दी। परियोजना को स्वीकृति जारी होने के समय तक मेसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड ने 168 जंक्शनों पर 1486 निगरानी कैमरे लगाए थे।

26 अक्टूबर 2023 को लेखापरीक्षा द्वारा 25 जंक्शनों पर निगरानी कैमरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना-जांच किए गए किसी भी जंक्शन पर निगरानी कैमरे पूरी तरह कार्यात्मक²⁴ नहीं पाए गए। 12 जंक्शनों पर निगरानी कैमरे पूरी तरह से निष्क्रिय पाए गए तथा शेष 13 जंक्शनों पर निगरानी कैमरे क्षतिग्रस्त केबल, जले हुए नियंत्रण स्विच, बिजली न होने आदि के कारण आंशिक रूप से कार्यात्मक पाए गए। हालांकि, एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, सभी नमूना-जांच किए गए कैमरे उस तिथि तक पूरी तरह कार्यात्मक थे।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि पुलिस उपायुक्त, फरीदाबाद ने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सूचित किया (5 अक्टूबर 2022) कि विभाग द्वारा जांच के दौरान केवल 233 निगरानी कैमरे ही कार्यात्मक पाए गए, जबकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की रिपोर्ट (28 सितंबर 2022) में 695 निगरानी कैमरे बताए गए थे और उन्होंने निष्क्रिय कैमरों की विस्तृत स्थिति/कारण भी मांगे। हालांकि, इस संबंध में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से कोई उत्तर अभिलेख में नहीं मिला।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि निगरानी प्रणाली के सुचारू संचालन और उसके इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित रिपोर्ट में वास्तविकता/प्रामाणिकता का अभाव है, क्योंकि जिन कैमरों के चालू होने की सूचना दी गई थी, उनमें से कई कैमरे कार्यात्मक नहीं पाए गए थे। परिणामस्वरूप, निगरानी प्रणाली उस सीमा तक अप्रभावी रही।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि मेसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड को संचालन एवं रखरखाव चरण के दौरान किसी अज्ञात विक्रेता द्वारा सड़क खुदाई के कारण पावर/इंटरनेट केबल का क्षतिग्रस्त होना, उच्च वोल्टेज आपूर्ति के कारण कंट्रोल स्विच का खराब होना, पोल हटाना, बिजली गुल होना, आईसीटी उपकरण की चोरी आदि जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, निगरानी प्रणाली की कार्यप्रणाली की पूर्णतः स्वचालित रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली को देखते हुए, उसकी वास्तविकता/प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, तथापि, इसमें और सुधार किया जा सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र की रिपोर्टों में उल्लिखित विशिष्ट विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया है।

²⁴ एक जंक्शन पर एक से अधिक कैमरे लगाए गए थे, जिनमें से कुछ कैमरे कार्यात्मक थे तथा अन्य कार्यात्मक नहीं थे।

(ख) मेसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण के कारण 45 जंक्शनों पर स्थापित ₹ 4.80 करोड़ के 614 कैमरों को हटा दिया (जनवरी से दिसंबर 2022 तक)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इन विघटित अवसरचना के उचित उपयोग के लिए कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की थी और ये मदें मेसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड की कस्टडी में अनुपयोगी पड़ी हैं (जून 2024)।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड विघटित अवसरचना के लिए उचित मुआवजा जारी करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ पहले से ही संपर्क में है।

10.9.3 संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं का निष्पादन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी (14 जनवरी 2019) एडवाइजरी संख्या 15 के अनुसार, कुछ परियोजनाओं के लिए, केवल परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता पर निर्भर रहने के बजाय, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों की तकनीकी विशेषज्ञता और निष्पादन क्षमताओं का लाभ उठाया जा सकता है। संबंधित शहर, कार्यान्वयन के लिए लंबित विशिष्ट परियोजनाओं के निष्पादन हेतु विशेष प्रयोजन माध्यम, संबंधित सरकारी विभाग/एजेंसी और संभावित बोलीदाता के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौते की व्यवस्था पर विचार कर सकते हैं।

इस संबंध में यह देखा गया था कि:

- (i) विशेष प्रयोजन माध्यमों ने विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को क्रियान्वयन हेतु 41 परियोजनाएं (करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 31 और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 10) प्रदान की। इन परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 10.3** में दिया गया है। उपर्युक्त एडवाइजरी के अनुसार, परियोजनाओं की पहचान विशेष प्रयोजन माध्यम और सरकारी विभाग/एजेंसी की संयुक्त बैठक के माध्यम से की जानी थी। इन सभी परियोजनाओं की पहचान निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर आयोजित अपनी बैठकों में की गई थी। हालांकि, विशेष प्रयोजन माध्यम और सरकारी विभाग/एजेंसी के बीच कोई अलग से संयुक्त बैठक अभिलेख में नहीं पाई गई।
- (ii) एडवाइजरी के अनुसार, विशेष प्रयोजन माध्यम के अनुमोदन के अंतर्गत एक त्रिपक्षीय समझौते का मसौदा तैयार किया जाएगा और यह प्रत्येक ऐसी परियोजना के लिए निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा, जिसे सफल बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा। हालांकि, एडवाइजरी में अपेक्षित विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा कोई त्रिपक्षीय समझौते का मसौदा तैयार नहीं किया गया क्योंकि संबंधित विभागों द्वारा इसे निविदा दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया था।
- (iii) एडवाइजरी के अनुसार, विशेष प्रयोजन माध्यम से सरकारी विभाग/एजेंसी को कोई निधि हस्तांतरित नहीं की जानी थी। निविदा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक उपलब्धि के पूरा होने पर विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा ठेकेदार को सीधे भुगतान संवितरित किया जाना था।

संबंधित सरकारी विभाग/एजेंसी को वित्तीय नियमों के मानकों के अनुसार ठेकेदार के बिलों की जांच और सत्यापन करना था और उन्हें भुगतान के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम को प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करते हुए 28 परियोजनाओं के लिए संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों को ₹ 350.36 करोड़ की निधियां हस्तांतरित की, जो अन्यथा रनिंग बिलों/प्राप्त उपलब्धि के आधार पर ठेकेदार को जारी की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप संबंधित विभागों के पास निधियां अनुपयोगी पड़ी रही। एक मामले में, वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए 12 जुलाई 2022 को ₹ 13.68 करोड़ नगर निगम, करनाल को हस्तांतरित किए गए थे, जिसे विद्यमान दुकानदारों द्वारा साइट खाली न करने के कारण 14 मार्च 2024 को रद्द कर दिया गया था और यह राशि संबंधित विभाग के पास पड़ी रही (जून 2024)।

परिणामस्वरूप, विशेष प्रयोजन माध्यम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निविदा प्रबंधन प्रक्रिया और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भाग लेने में विफल रहे और परियोजनाओं को एडवाइजरी की भावना के विरुद्ध संबंधित विभागों को प्रदान किया गया।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, इसलिए परियोजनाओं पर चर्चा के लिए अलग से किसी संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं थी। आगे बताया गया कि जमा कार्यों में लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से संबंधित विभागों को निधियां हस्तांतरित की गईं, जिसमें बताया गया है कि निधियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जा सकता है। इसलिए, निधियां अंतरण के पश्चात, विशेष प्रयोजन माध्यम त्रिपक्षीय समझौता करने में असमर्थ रहे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल सेवा विभाग आदि के विभागाध्यक्ष, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, निधियां केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई थी और इनका उपयोग भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए था।

10.9.4 क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर परियोजनाओं का क्रियान्वयन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी (21 जनवरी 2019) एडवाइजरी संख्या 13 के अनुसार, क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर परियोजनाओं को शामिल करना और पैन-सिटी घटक में गैर-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को निष्पादित करने की अनुमति नहीं थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में देखा गया कि करनाल शहर में विभिन्न स्थानों पर निष्पादित/निष्पादनाधीन ₹ 407.99 करोड़ (परिशिष्ट 10.4) की 76 परियोजनाएं पूरी तरह से क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र से बाहर थीं।

इसके अतिरिक्त, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पैन-सिटी परियोजना के रूप में एक गैर-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना (अर्थात् ओपन-एयर जिम: ₹ 5.51 करोड़) का क्रियान्वयन किया।

जून 2024 तक इन परियोजनाओं पर ₹ 356.87 करोड़ का व्यय किया गया। परिणामस्वरूप, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 77 नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ₹ 356.87 करोड़ का व्यय किया।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर परियोजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण को विफल करता है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र को बेहतर नियोजित क्षेत्र में विकसित करने पर केंद्रित है। परिणामस्वरूप, चयनित क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र को उस सीमा तक निधियों से वंचित कर दिया गया।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, ये परियोजनाएं शहर की आवश्यकताओं और जनहित के आधार पर शुरू की गई थीं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर की परियोजनाएं और पैन-सिटी में गैर-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत नहीं थीं।

10.10 निगरानी

स्मार्ट शहरों के संदर्भ में निगरानी, किसी शहर के निष्पादन, विकास और स्मार्ट पहलों के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं के आकलन और मूल्यांकन की व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करती है। लेखापरीक्षा में निगरानी प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

10.10.1 पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष प्रयोजन माध्यम की अध्यक्षता एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जानी थी, जिसके निदेशक मंडल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के नामित सदस्य शामिल होने चाहिए थे। विशेष प्रयोजन माध्यम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाएगी तथा उन्हें आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ही हटाया जाएगा।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी (03 अक्टूबर 2018) एडवाइजरी संख्या 14 में पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल थे, ताकि मिशन निदेशालय समयबद्ध तरीके से इच्छित परिणाम प्राप्त कर सके।

लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2016 से जून 2024 की अवधि के दौरान दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन की समीक्षा की और निम्नलिखित पाया;

दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की पहली नियुक्ति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। इसके उपरांत, 11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 7 और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 4) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की स्वीकृति के बिना नियुक्त किए गए और हटाए गए। इसके अतिरिक्त, 13 में से 12 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति तीन वर्ष की निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए की गई थी। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड में आठ में से पांच मुख्य कार्यकारी

अधिकारियों तथा करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड में सभी पांच मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था, जो स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

परिणामस्वरूप, दोनों शहरों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की ओर से दिशा-निर्देशन और प्रभावी पर्यवेक्षण की निरंतरता का अभाव रहा।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

10.10.2 शहर स्तरीय निगरानी

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 13.3 के अनुसार, विभिन्न हितधारकों²⁵ के बीच परामर्श और सहयोग करने के लिए शहर स्तर पर एक स्मार्ट सिटी एडवाइजरी मंच (एससीएएफ) स्थापित किया जाना था। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने विशेष प्रयोजन माध्यमों को नियमित अंतराल पर और महीने में कम से कम एक बार स्मार्ट सिटी एडवाइजरी मंच की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया (नवंबर 2018 और दिसंबर 2019)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि स्मार्ट सिटी एडवाइजरी मंच की स्थापना फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा क्रमशः 16 अक्टूबर 2018 और 8 जनवरी 2019 को की गई थी। दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों ने जून 2018 से नवंबर 2021 के दौरान स्मार्ट सिटी एडवाइजरी मंच की 10 बैठकें²⁶ (फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 4 और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 6) आयोजित की, जबकि जून 2024 तक 133 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान स्मार्ट सिटी एडवाइजरी मंच के सुझावों पर विचार किया गया और जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठकों²⁷ में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की आगे की प्रगति पर चर्चा की गई। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्मार्ट सिटी एडवाइजरी मंच की पर्याप्त बैठकें आयोजित न होने के कारण विभिन्न स्थानीय हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

²⁵ स्मार्ट सिटी एडवाइजरी मंच में जिला कलेक्टर, सांसद, विधायक, मेयर, विशेष प्रयोजन माध्यम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ और क्षेत्र से कम से कम एक सदस्य को शामिल करना अपेक्षित था जो (1) पंजीकृत निवासी कल्याण संघ का प्रतिनिधित्व करने वाला अध्यक्ष/सचिव, (2) पंजीकृत करदाता संघ/दरदाता संघ का सदस्य, (3) स्लम स्तरीय महासंघ का अध्यक्ष/सचिव, और (4) एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) या महिला मंडली/चैंबर ऑफ कॉमर्स/युवा संघों का सदस्य हो।

²⁶ फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 15 जून 2018, 04 सितंबर 2019, 01 मार्च 2020 और 18 जनवरी 2021 और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड: 11 जनवरी 2019, 06 मार्च 2020, 30 अप्रैल 2020, 02 जुलाई 2020, 25 जुलाई 2020 और 27 नवंबर 2021

²⁷ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की सदस्यता वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति।

10.10.3 मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना था जो मूलभूत अवसरंचना प्रदान करें और अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन स्तर, स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण और स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष प्रयोजन माध्यम की प्रमुख भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ, एक तृतीय-पक्ष समीक्षा और निगरानी एजेंसी की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी मामलों की समीक्षा करना शामिल है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि विशेष प्रयोजन माध्यमों ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं की तृतीय-पक्ष समीक्षा/प्रभाव के आकलन हेतु कोई एजेंसी नियुक्त नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रयोजन माध्यमों ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित पहलों की सफलता के मानदंडों के संदर्भ में भी कोई मूल्यांकन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय/राज्य सरकार के निर्देशानुसार मिशन के पूरा होने के बाद परियोजनाओं का समग्र प्रभाव/मूल्यांकन, किया जाएगा।

10.11 निष्कर्ष

राज्य के दोनों शहरों के लिए स्मार्ट सिटी प्रस्तावों की तैयारी में नागरिक परामर्श और पिछली योजनाओं की समीक्षा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

दो शहरों के लिए मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 3,896.82 करोड़ की निधियां उपलब्ध कराने की योजना के विरुद्ध विशेष प्रयोजन माध्यम मुख्य रूप से सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से केवल ₹ 1,825.86 करोड़ (46.86 प्रतिशत) ही उपलब्ध करा सके। विशेष प्रयोजन माध्यम सरकार से प्राप्त अनुदान का लाभ उठाने में विफल रहे तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों (अर्थात् सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऋण और भूमि मुद्रीकरण आदि) से अपेक्षित निधियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के अभिसरण हेतु वित्त पोषण पैटर्न के संबंध में दिशानिर्देश जारी न किए जाने के कारण विशेष प्रयोजन माध्यम केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण के अंतर्गत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में विफल रहे। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम, करनाल के साथ अभिसरण के अंतर्गत ₹ 12.86 करोड़ की केवल चार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया।

विशेष प्रयोजन माध्यमों ने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को संशोधित किया और ₹ 1,881.75 करोड़ की 167 परियोजनाओं की योजना बनाई, जिनमें से 152 परियोजनाएं प्रदान की गईं और 112 परियोजनाएं जून 2024 तक पूरी हो गईं। तथापि, केवल 45 परियोजनाएं ही अपनी निर्धारित समय-सीमा में पूरी हो पाईं, जबकि 67 परियोजनाओं को विशुद्ध साईट की कमी,

साईट की स्वीकृति में विलंब और ड्राइंग संशोधन जैसे मामलों के कारण तीन से 1,506 दिनों तक की देरी का सामना करना पड़ा। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मिशन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चयनित क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 356.87 करोड़ का व्यय किया।

मिशन के कार्यान्वयन के लिए नगर स्तर पर निगरानी तंत्र अपर्याप्त था क्योंकि दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा नगर स्तरीय निगरानी समिति की 10 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 133 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रयोजन माध्यमों ने मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं की तृतीय-पक्ष समीक्षा/प्रभाव का आकलन के लिए कोई एजेंसी नियुक्त नहीं की थी। परिणामस्वरूप, विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

10.12 सिफारिशें

राज्य सरकार:

- (i) राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मिशन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कदम उठाए;
- (ii) मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार चल रही परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करे; और
- (iii) मापदंडों की पहचान करे तथा मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के प्रभावों के आकलन के लिए तृतीय पक्ष द्वारा समीक्षा करवाए।

अध्याय 11

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय-11

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11.1 परिहार्य ब्याज का भुगतान

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्धारित समय से अधिक समय तक शेयर आवेदन राशि को अपने पास रखने के कंपनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप शेयर आवेदकों को ₹ 1.20 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 (6) में प्रावधान है कि प्राइवेट प्लेसमेंट पर प्रतिभूतियों के सब्सक्रिप्शन के लिए प्रस्ताव देने वाली कंपनी को आवेदन राशि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी प्रतिभूतियों का आबंटन करना होगा या 60 दिनों की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर ग्राहकों को धनराशि वापस करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे 60वें दिन की समाप्ति से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित धनराशि वापस करनी होगी।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड¹ (कंपनी) के निदेशक मंडल (बीओडी) ने प्रदत्त पूंजी को ₹ 0.10 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 200 करोड़ करने और अपने मौजूदा छः शेयरधारकों² को एक या अधिक चरणों में राइट इश्यू के आधार पर ₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के 19.99 करोड़ इक्विटी शेयर, कुल ₹ 199.90 करोड़ आबंटित करने की मंजूरी दी (नवंबर 2020)। तदनुसार, कंपनी ने अपने मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचआरआईडीसीएल) को 45 प्रतिशत की प्रमुख शेयरधारिता के साथ 19.99 करोड़ शेयरों के राइट इश्यू के लिए प्रस्ताव-पत्र जारी किए (23 दिसंबर 2020), जो 15 दिसंबर 2020 को कंपनी में उनकी शेयरधारिता पर आधारित है। यह प्रस्ताव 28 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 की अवधि के लिए वैध था। इसके उत्तर में, केवल दो शेयरधारकों अर्थात् मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) से क्रमशः ₹ 29.99 करोड़ (अप्रैल 2021) और ₹ 9.99 करोड़ (अप्रैल/सितंबर 2021) की शेयर आवेदन राशि (एसएएम) प्रस्ताव अवधि से परे प्राप्त हुई। अन्य शेयरधारकों, विशेष रूप से प्रमुख शेयरधारक अर्थात् हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से शेयर आवेदन राशि प्राप्त न होने के कारण, तथा सरकार के नियंत्रण हित को कमजोर करने से बचने के लिए, कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को शेयर आबंटित नहीं किए। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 (6)

¹ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2019 को एक विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में निगमित। यह कंपनी हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचआरआईडीसीएल) की एक सहायक कंपनी है। हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय/भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। मार्च 2021 तक इक्विटी शेयरधारिता: हरियाणा सरकार: 51 प्रतिशत और रेल मंत्रालय: 49 प्रतिशत।

² हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड: 8,99,55,000 शेयर (45 प्रतिशत), मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड: 2,99,85,000 शेयर (15 प्रतिशत), गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण: 99,95,000 शेयर (5 प्रतिशत), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड: 2,99,85,000 शेयर (15 प्रतिशत), ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड: 1,99,90,000 (10 प्रतिशत) और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड: 1,99,90,000 (10 प्रतिशत)।

के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित, निर्धारित समय के भीतर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को शेयर आवेदन राशि वापस करने के बजाय, कंपनी ने शेयर आवेदन राशि को अपने पास रखने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2023) कि कंपनी ने अपने मौजूदा शेयरधारकों के साथ शेयरधारक करार को अंतिम रूप देने से पहले ही दिसंबर 2020 में राइट इश्यू के आधार पर शेयर जारी करने के लिए प्रस्ताव-पत्र जारी कर दिए थे। बाद में, कंपनी ने उसी दिन (11 फरवरी 2022) पांच शेयरधारकों³ के साथ शेयरधारक करार को अंतिम रूप देने के बाद 11 फरवरी 2022 को अपने शेयरधारकों को राइट इश्यू के लिए संशोधित प्रस्ताव-पत्र जारी किए। कंपनी को मार्च 2022 में दो शेयरधारकों⁴ से शेयर आवेदन राशि और एक शेयरधारक⁵ से शेयर आवेदन राशि के रूप में भूमि प्राप्त हुई और अप्रैल/सितंबर 2021 में उनसे पहले प्राप्त शेयर आवेदन राशि के बदले 17 मार्च 2022 को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण सहित पांच शेयरधारकों⁶ को शेयर आबंटित किए। अंततः, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42(6) के अनुसार शेयरों के आबंटन में देरी के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (अगस्त 2022 में ₹ 2.79 करोड़) और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (फरवरी 2023 में ₹ 0.41 करोड़) को ₹ 3.20 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। यह भी देखा गया कि कंपनी ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त शेयर आवेदन राशि पर ₹ 2.00 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था।

इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की शेयर आवेदन राशि को निर्धारित समय से अधिक समय तक अपने पास रखने के कंपनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 1.20 करोड़ (₹ 3.20 करोड़ - ₹ 2.00 करोड़) के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को शेयर आवेदन राशि इस अपेक्षा में वापस नहीं की गई कि अन्य शेयरधारकों से अंशदान शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, तथापि, शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर करने और शेयर आवेदन जारी करने में समय लगा। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी ने शेयरधारकों के करार को अंतिम रूप दिए बिना ही मौजूदा शेयरधारकों को प्रस्ताव-पत्र जारी कर दिए थे, और इसने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की शेयर आवेदन राशि को निर्धारित समय से परे शेयरों के अंतिम आबंटन तक रोके रखा था, जो संशोधित प्रस्ताव-पत्र जारी करने के बाद ही किया गया था।

मामला सरकार के पास भेजा गया (अप्रैल 2024) तथा उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: कंपनी को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए लागू वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

³ इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एंड इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर।

⁴ हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (एसीएल)।

⁵ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी)।

⁶ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

11.2 ठेकेदार को अनुचित लाभ

ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर के कब्जे के हस्तांतरण में देरी के साथ-साथ लाइसेंस करार के निष्पादन में देरी, और आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन में नवीनीकरण और उन्नयन अवधि (लाइसेंस फीस के बिना) का विस्तार, जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ और कंपनी को ₹ 0.68 करोड़ की लाइसेंस फीस आय से वंचित होना पड़ा।

जनवरी 2022 में आयोजित ई-नीलामी के अनुसार, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने उच्चतम बोलीदाता होने के नाते मेसर्स जे.बी. डेकोर (ठेकेदार) को अपने कन्वेंशन सेंटर, तिलयार झील, रोहतक को तीन साल की अवधि के लिए ₹ 1.75 करोड़ की वार्षिक लाइसेंस फीस पर पट्टे पर देने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया (24 फरवरी 2022), जिसमें संशोधित लाइसेंस⁷ फीस पर तीन साल का विस्तार और आगे तीन साल (कुल नौ साल) का प्रावधान है। आशय-पत्र के अन्य निबंधन एवं शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- आशय-पत्र के प्रत्युत्तर में, सफल बोलीदाता को आशय-पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होगी और आशय-पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर 12 महीने की लाइसेंस फीस में से बयाना राशि/बयाना राशि जमा घटाकर ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा करनी होगी। प्रस्ताव-पत्र की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रतिभूति जमा न करने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
- आशय-पत्र की स्वीकृति के बाद, उच्चतम बोली लगाने वाले को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके बाद, लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर परिसर का उपयोग और अधिभोग करने की अनुमति दी जाएगी और तदनुसार, दोनों पक्षों के बीच लाइसेंस करार विधिवत निष्पादित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, लाइसेंसधारी को तकनीकी बोली प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत योजना के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च पर, परिसर के नवीनीकरण, उन्नयन और साज-सज्जा के लिए 90 दिनों की अवधि (बिना किसी लाइसेंस फीस के) दी जाएगी। इसके बाद, 90 दिनों की समाप्ति के बाद, लाइसेंस की अवधि शुरू हो जाएगी, और लाइसेंसधारी निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार समय-समय पर भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
- खुला स्थान/क्षेत्र "जैसा है जहां है" के आधार पर दिया जाएगा तथा मौजूदा संरचना की मरम्मत/नवीनीकरण पर होने वाले सभी व्यय लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाएंगे तथा लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित सभी फिटिंग और फिक्सचर, यदि कोई हों, लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद लाइसेंसदाता की संपत्ति बन जाएंगे।

⁷ पिछली लाइसेंस फीस की तुलना में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि के अधीन।

ठेकेदार ने आशय-पत्र जारी होने की तिथि अर्थात् 24 फरवरी 2022 को ही इसे स्वीकार कर लिया और निर्धारित समय के भीतर ₹ 1.65 करोड़⁸ के विरुद्ध 09 मार्च 2022 को ₹ 0.70 करोड़ की प्रतिभूति राशि का एक भाग जमा कर दिया, जबकि शेष ₹ 0.95 करोड़ की प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए एक महीने का समय मांगा, जिसकी अनुमति कंपनी द्वारा दी गई (11 मार्च 2022)। तथापि, ठेकेदार ने विस्तारित अवधि के बाद, 07 मई 2022 को ₹ 0.95 करोड़ की शेष प्रतिभूति राशि जमा की। कंपनी ने कन्वेंशन सेंटर के कब्जे और लाइसेंस करार के निष्पादन के लिए ठेकेदार को एक पत्र जारी किया (11 मार्च 2022)। कंपनी और ठेकेदार के बीच 06 सितंबर 2022 से 05 सितंबर 2025 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस करार किया गया (08 जून 2022), जिसमें नवीनीकरण और उन्नयन आदि के लिए 08 जून 2022 से 90 दिनों की अवधि (लाइसेंस फीस के बिना) दी गई। ठेकेदार को 08 जून 2022 को कन्वेंशन सेंटर का कब्जा लेने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, ठेकेदार के अनुरोध पर, कंपनी ने नवीनीकरण और उन्नयन आदि के लिए 90 दिनों की समय-अवधि बढ़ा दी (04 अक्टूबर 2022)।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2023) कि ठेकेदार ने निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रतिभूति राशि के भुगतान के संबंध में आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया था। तथापि, कंपनी ने बयाना राशि जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा 24 फरवरी 2022 को आशय-पत्र स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर का लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए था, इसके बाद लाइसेंस प्रदान किए जाने के तीन दिनों के भीतर ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर का कब्जा हस्तांतरित किया जाना चाहिए था। तथापि, ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर के कब्जे का हस्तांतरण और लाइसेंस करार का निष्पादन कब्जे की सूचना की तारीख (11 मार्च 2022) से तीन दिनों की अनुमति के बाद 86 दिनों की देरी से किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदार के अनुरोध पर, कंपनी ने नवीनीकरण और उन्नयन आदि के लिए समय-अवधि को भी 06 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक 56 दिनों के लिए बढ़ा दिया (04 अक्टूबर 2022), जो कि आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन है।

इस प्रकार, ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर का कब्जा हस्तांतरित करने में देरी के साथ-साथ लाइसेंस करार के निष्पादन, तथा नवीनीकरण और उन्नयन अवधि (लाइसेंस फीस के बिना) के विस्तार में देरी, जो आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन था, ने ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया और कंपनी को ₹ 0.68 करोड़⁹ की लाइसेंस फीस आय से वंचित कर दिया।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2024) कि आशय-पत्र 24 फरवरी 2022 को स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, विभिन्न प्रशासनिक मामलों के कारण, कब्जा-पत्र 11 मार्च 2022 को जारी किया गया था। कन्वेंशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान, लाइसेंसधारी ने पाया कि कन्वेंशन सेंटर की छत में रिसाव था और नवीनीकरण कार्य से पहले भारी मरम्मत कार्य किया जाना था। इसलिए, नवीनीकरण के लिए तीन महीने की अवधि पर्याप्त नहीं थी। कन्वेंशन सेंटर के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो महीने की अवधि और बढ़ा दी गई।

⁸ अपेक्षित प्रतिभूति: ₹ 1.75 करोड़ घटा बयाना राशि जमा (ईएमडी): ₹ 0.10 करोड़।

⁹ ₹ 1.75 करोड़/365 X 142 (86+56) दिन।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नवीनीकरण और उन्नयन आदि के लिए 56 दिनों का विस्तार (लाइसेंस शुल्क के बिना) आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन है, अर्थात ई-नीलामी चरण के बाद निबंधनों एवं शर्तों में छूट देना अनुचित था और प्रतिस्पर्धी निविदा के सिद्धांतों के विरुद्ध था क्योंकि कन्वेंशन सेंटर परिसर "जैसा है जहां है" के आधार पर पेश किया गया था। इसके अलावा, कंपनी की ओर से प्रशासनिक कारणों से की गई देरी उचित नहीं थी।

मामला सरकार के पास भेजा गया (अप्रैल 2024) तथा उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: नीलामी के बाद के चरण में ठेकेदार के पक्ष में वित्तीय निहितार्थ वाले ई-नीलामी के निबंधनों एवं शर्तों में छूट देने से बचा जाना चाहिए और ठेकेदार को ऐसी छूट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

चंडीगढ़
दिनांक: 26 दिसम्बर 2025

(आशुतोष शर्मा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 13 जनवरी 2026

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के विवरण

विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
1. शिक्षा विभाग	1. हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1. हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़
3. उच्च शिक्षा विभाग	3. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला (ह.श.वि.प्रा.)
4. महिला एवं बाल विकास	4. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	4. हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला
5. खेल	5. हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	5. हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट
6. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	6. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	6. गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण
7. युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता	7. हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	7. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
8. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अंत्योदय विभाग	8. हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी
9. सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	9. हरियाणा वित्तीय निगम	9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद
10. श्रम विभाग	10. हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	10. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद
11. पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग	11. हारट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	11. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम
12. वित्त विभाग	12. गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	12. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर
13. आबकारी एवं कराधान विभाग	13. पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	13. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल
14. परिवहन विभाग	14. गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	14. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
15. नागर विमानन	15. हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	15. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत
16. विकास एवं पंचायत विभाग	16. हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	16. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी
17. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	17. हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	17. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक
18. खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग	18. डोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड	18. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत
19. लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)	19. फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	19. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुना नगर
20. सहकारिता विभाग	20. हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड	20. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार
21. कृषि	21. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	21. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल
22. बागवानी विभाग	22. फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	22. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा
23. पशुपालन	23. हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड	23. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला

विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
24. मत्स्य पालन विभाग	24. हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	24. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद
25. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	25. हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	25. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल
26. शहरी स्थानीय निकाय	26. हरियाणा ऑर्बिटल रेल निगम लिमिटेड	26. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र
27. नगर एवं ग्राम आयोजना	27. हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	27. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेवात (नूंह)
28. ऊर्जा विभाग	28. करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	28. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल
29. खनन और भूविज्ञान	29. हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	29. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी
30. उद्योग एवं वाणिज्य	30. हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	30. हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़
31. सभी के लिए आवास	31. हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	31. हरियाणा मानव अधिकार आयोग, चंडीगढ़
32. सामान्य प्रशासन	32. हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	32. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
33. वित्तीय आयुक्त राजस्व	33. हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	33. हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
34. जनसंपर्क और भाषा	34. हरियाणा राज्य भंडारण निगम	34. हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
35. गृह	35. हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	35. हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम
36. नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.)	36. हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	36. राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, हरियाणा
37. पर्यटन और विरासत	37. हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	37. हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड
38. अभिलेखागार		38. होटल प्रबंधन संस्थान, कुरुक्षेत्र
39. मुद्रण एवं लेखन सामग्री		39. होटल प्रबंधन संस्थान, यमुना नगर
40. चुनाव विभाग		40. होटल प्रबंधन संस्थान, पानीपत
41. सतर्कता विभाग		41. होटल प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
		42. होटल प्रबंधन संस्थान, रोहतक

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 4)

बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
1.	चोरी, दुर्विनियोग एवं गबन के कारण हानि	322	1,895.78
2.	वसूली योग्य राशि	2,290	79,289.16
3.	नियमों का पालन न करना	5,146	12,140.12
4.	परिहार्य/अनियमित/अधिक व्यय	3,051	10,436.40
5.	निष्फल/बेकार व्यय	846	2,674.54
6.	योजना के क्रियान्वयन/कार्य के निष्पादन में कमी	1,989	6,928.78
7.	निधियों का उपयोग न करना/अवरोध करना	1,196	10,355.19
8.	स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करना	1,504	1,026.72
9.	साधनों का उपयोग न करने के कारण राजस्व की हानि	2,719	27,066.41
10.	विविध	5,179	29,547.30
	कुल	24,242	1,81,360.40

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.2; पृष्ठ 6)

उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2025 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2015-16	2.1.7.5	12,644.00
			2.1.9.3	21.41
		2017-18	2.1.6.3	2,222.00
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
3.	खाद्य एवं आपूर्ति	2014-15	3.6.2	2,446.00
			3.6.3	240.00
		2017-18	3.4	2,404.00
		2018-19	3.5	299.00
4.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.1	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
			2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.11	37,386.00
		2015-16	3.2	84.64
			3.18 (क)	41,715.00
			3.18 (ख)	1,077.00
		2017-18	3.17 क	16,086.00
			3.17 ख	1,972.00
			3.18.7 (ii)	1,955.00
			3.18.10	4,678.00
			3.18.11 (i)	342.00
			3.18.11 (ii)	2,025.00
			3.18.11 (iii)	2,690.00
			2018-19	3.14.3.3
		3.14.3.4	713.00	
		3.14.3.8	1,314.00	
		3.14.3.11	96.00	
		3.14.4.3	1,122.00	
3.14.4.5	72.00			
3.15	561.00			
2019-20	2.4	295.00		
	2.5	161.00		
5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेड क्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
6.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25
7.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1.9.4	79.95
		2019-20	2.6	154.00

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
8.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.6	10,182.00
9.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2012-13	3.6	125.00
11.	स्कूल शिक्षा	2017-18	3.16.2.5	12.30
		2018-19	3.3	469.00
12.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2015-16	3.12.4.1	53.00
13.	उच्च शिक्षा विभाग	2016-17	2.1.7.3	118.00
			2.1.8 (ख)	2,631.00
14.	गृह (जेल) विभाग	2016-17	2.2.7.3	112.00
15.	आवास	2018-19	3.9	41.00
16.	वन	2018-19	3.7.4 (ii)	274.00
17.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2018-19	2.1.8.1	1,898.00
			2.1.8.2	965.00
			2.1.8.3	11.56
			2.1.8.4 (i)	48.47
			2.1.8.4 (ii)	1.57
			2.1.8.5 (i)	6.36
			2.1.8.5 (ii)	14.89
			2.1.8.6	78.91
			2.1.8.7	474.00
			2.1.8.8	85.86
			2.1.8.10	1.52
			2.1.8.11	2.54
	कुल			1,96,117.19

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2025 तक लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की रिपोर्टों की सूची और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लंबित सिफारिशों की संख्या

क्र. सं.	लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति (कोपू)		
	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट संख्या	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का वर्ष	लंबित सिफारिशें	कोपू की रिपोर्ट संख्या	लंबित सिफारिशें	कोपू की रिपोर्ट का वर्ष
1.	16 ^{वीं}	1979-80	1	16 ^{वीं}	1	1983-84
2.	22 ^{वीं}	1984-85	1	19 ^{वीं}	1	1984-85
3.	23 ^{वीं}	1985-86	1	23 ^{वीं}	3	1986-87
4.	26 ^{वीं}	1987-88	1	35 ^{वीं}	1	1992-93
5.	32 ^{वीं}	1990-91	1	38 ^{वीं}	1	1994-95
6.	34 ^{वीं}	1991-92	5	41 ^{वीं}	1	1996-97
7.	36 ^{वीं}	1992-93	3	42 ^{वीं}	1	1996-97
8.	38 ^{वीं}	1993-94	2	43 ^{वीं}	3	1997-98
9.	40 ^{वीं}	1994-95	3	45 ^{वीं}	14	2000-01
10.	42 ^{वीं}	1995-96	1	47 ^{वीं}	14	2000-01
11.	44 ^{वीं}	1996-97	6	48 ^{वीं}	10	2000-01
12.	46 ^{वीं}	1997-98	3	49 ^{वीं}	6	2001-02
13.	50 ^{वीं}	2000-01	15	50 ^{वीं}	4	2002-03
14.	52 ^{वीं}	2001-02	5	51 ^{वीं}	3	2003-04
15.	54 ^{वीं}	2002-03	7	52 ^{वीं}	4	2005-06
16.	56 ^{वीं}	2003-04	11	53 ^{वीं}	15	2006-07
17.	58 ^{वीं}	2005-06	13	55 ^{वीं}	5	2008-09
18.	60 ^{वीं}	2006-07	16	56 ^{वीं}	3	2009-10
19.	61 ^{वीं}	2007-08	4	57 ^{वीं}	5	2010-11
20.	62 ^{वीं}	2007-08	8	58 ^{वीं}	5	2011-12
21.	63 ^{वीं}	2008-09	11	59 ^{वीं}	10	2012-13
22.	64 ^{वीं}	2009-10	7	60 ^{वीं}	5	2013-14
23.	65 ^{वीं}	2010-11	12	61 ^{वीं}	09	2014-15
24.	67 ^{वीं}	2011-12	4	62 ^{वीं}	13	2015-16
25.	68 ^{वीं}	2012-13	11	63 ^{वीं}	14	2016-17
26.	70 ^{वीं}	2013-14	14	64 ^{वीं}	18	2017-18
27.	71 ^{वीं}	2014-15	2	65 ^{वीं}	7	2018-19
28.	72 ^{वीं}	2015-16	16	66 ^{वीं}	9	2019-20
29.	73 ^{वीं}	2016-17	37	67 ^{वीं}	18	2020-21
30.	74 ^{वीं}	2016-17	35	68 ^{वीं}	19	2021-22
31.	75 ^{वीं}	2017-18	32	69 ^{वीं}	22	2022-23
32.	77 ^{वीं}	2017-18	22	70 ^{वीं}	12	2023-24
33.	79 ^{वीं}	2018-19	32	71 ^{वीं}	09	2024-25
34.	80 ^{वीं}	2019-20	21	कुल	265	
35.	81 ^{वीं}	2020-21	35			
36.	82 ^{वीं}	2021-22	63			
37.	83 ^{वीं}	2022-23	23			
38.	88 ^{वीं}	2023-24	31			
39.	89 ^{वीं}	2023-24	89			
40.	91 ^{वीं}	2024-25	45			
		कुल	649			

परिशिष्ट 1.5
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार लंबित सिफारिशें

लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति		
क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुच्छेद	क्र.सं.	विभाग/कंपनी/निगम/स्वायत्त निकाय का नाम	अनुच्छेद
1.	न्याय प्रशासन	1	1.	विद्युत विभाग	76
2.	कृषि एवं किसान कल्याण	30	2.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	25
3.	पशुपालन	3	3.	हरियाणा वित्तीय निगम	13
4.	पुरातत्व एवं संग्रहालय	1	4.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	46
5.	वास्तुकला	1	5.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड तथा हरियाणा भंडारण निगम लिमिटेड	9
6.	नागरिक उड्डयन	1	6.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1
7.	सिविल सचिवालय, सामान्य प्रशासन	3	7.	हरियाणा भंडारण निगम लिमिटेड	19
8.	आयुक्त, हिसार	7	8.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	4
9.	सहकारी	12	9.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	3
10.	विकास एवं पंचायतें	9	10.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2
11.	जिला गुरुग्राम	8	11.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2
12.	एचएसएसपीपी, प्राथमिक, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित शिक्षा	32	12.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	12
13.	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	23	13.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	3
14.	वाणिज्यिक कर, निषेध और उत्पाद शुल्क सहित उत्पाद शुल्क और कराधान	1	14.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	1
15.	लॉटरी, न्याय, वित्त, खजाना और लेखा सहित वित्त	19	15.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड	6
16.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	28	16.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	1
17.	वन एवं वन्य जीवन	9	17.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	3
18.	सामान्य	13	18.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड	5
19.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन, परिवार कल्याण सहित स्वास्थ्य	43	19.	हरियाणा मिनरल लिमिटेड	18
20.	गृह	11	20.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	15
21.	आवास	2	21.	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	1
22.	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	8		कुल	265
23.	एमएसएमई, आपूर्ति एवं निपटान सहित उद्योग और वाणिज्य	10			
24.	सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक मामले	2			
25.	सिंचाई	23			
26.	श्रम एवं रोजगार	12			
27.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	6			
28.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	15			
29.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2			
30.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	3			
31.	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य)	47			
32.	नवीकरणीय ऊर्जा	2			
33.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	22			

लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति		
क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुच्छेद	क्र.सं.	विभाग/कंपनी/निगम/स्वायत्त निकाय का नाम	अनुच्छेद
34.	ग्रामीण विकास	19			
35.	समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	33			
36.	खेल एवं युवा मामले	6			
37.	तकनीकी शिक्षा	4			
38.	नगर एवं ग्राम आयोजना	94			
39.	परिवहन	31			
40.	शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास, उपनिवेशीकरण, स्थानीय स्वशासन	27			
41.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	24			
42.	महिला एवं बाल विकास	2			
	कुल	649			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 14)

उन मांगकर्ता सरकारी संस्थाओं की सूची जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने में देरी के कारण जुर्माना भरा था

क्र.सं.	मांगकर्ता संगठनों/विभागों का नाम	जुर्माने की राशि (₹ में)
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	11,47,576.77
2	पशुपालन	6,76,175.69
3	पुरातत्व एवं संग्रहालय	49,651.01
4	अभिलेखागार	2,484.70
5	आयुष	9,95,971.86
6	आयुष्मान भारत हरियाणा	21,184.09
7	पिछड़ा वर्ग आयोग हरियाणा	1,10,446.97
8	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीएडीए)	1,20,812.90
9	चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, गोहाना	12,652.17
10	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी	57,050.88
11	चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा	47,678.22
12	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जौंद	73,113.57
13	मुख्य सचिवालय स्थापना	1,21,664.80
14	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	85,084.10
15	नागरिक उड्डयन	41,043.18
16	आयुक्त, अंबाला	71,786.87
17	आयुक्त, फरीदाबाद	43,356.58
18	आयुक्त, गुडगांव	90,170.92
19	आयुक्त, हिसार	1,31,303.32
20	आयुक्त, करनाल	66,154.97
21	आयुक्त, रोहतक	41,871.27
22	चकबंदी	10,799.73
23	सहकारी बैंक	6,48,118.71
24	सहकारी चीनी	3,41,788.26
25	भारतीय चिकित्सा परिषद	6,547.31
26	नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) विभाग	62,154.43
27	सांस्कृतिक मामले	9,173.45
28	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	29,73,487.19
29	दीन बंधु छोद्द राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल	50,465.93
30	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा	24,559.44
31	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	23,870.60
32	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा	12,26,450.83
33	विकास एवं पंचायत	10,92,985.52
34	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	90,985.78
35	अग्निशमन सेवा निदेशालय	5,85,180.70
36	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय	17,133.25
37	डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत	83,916.59
38	शिक्षा (प्राथमिक)	31,97,725.10
39	शिक्षा (उच्च)	13,05,118.85
40	शिक्षा (माध्यमिक)	11,24,623.80
41	चुनाव	3,01,540.94
42	कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल	2,79,585.63
43	रोजगार	6,626.12
44	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	35,142.05

क्र.सं.	मांगकर्ता संगठनों/विभागों का नाम	जुमाने की राशि (₹ में)
45	आबकारी एवं कराधान	2,78,218.07
46	वित्त विभाग	905.57
47	मत्स्य पालन	98,132.99
48	खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा	3,67,508.40
49	खाद्य एवं आपूर्ति	25,41,041.19
50	वन	7,35,082.74
51	गौ सेवा आयोग	23,447.62
52	सरकारी पॉलिटेक्निक सोसायटीज	3,86,781.70
53	ग्रंथ अकादमी	1,437.89
54	गुरुग्राम टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	26,930.81
55	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार	2,64,515.56
56	गुरुद्वारा चुनाव	691.20
57	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण	2,57,600.57
58	गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम	50,324.53
59	हारद्वान	8,828.86
60	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	1,14,295.78
61	हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	1,39,697.20
62	हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड	9,21,429.53
63	हरियाणा वित्तीय निगम लिमिटेड	17,000.62
64	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	26,301.29
65	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	22,210.87
66	हरियाणा प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	87.62
67	हरियाणा कौशल रोजगार निगम	6,164.39
68	हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड	1,988.47
69	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (एचकेवीआईबी)	3,424.85
70	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	14,395.17
71	हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास	1,235.50
72	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2,77,029.97
73	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1,36,649.85
74	हरियाणा लोक सेवा आयोग	21,609.72
75	हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी	6,393.52
76	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4,167.83
77	हरियाणा राजभवन	39,473.09
78	हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा)	16,126.77
79	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड	7,311.45
80	हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड (एचआरडीएफए)	1,119.35
81	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	44,370.70
82	हरियाणा बीज प्रमाणन एजेंसी (एचएससीए)	21,964.34
83	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	89,359.99
84	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	12,06,414.35
85	हरियाणा कौशल विकास मिशन	10,709.89
86	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग	13,537.76
87	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	10,70,229.07
88	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	765.81
89	हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड	13,444.15
90	हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई), पंचकुला	32,387.32
91	हरियाणा राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	4,808.88
92	हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग	6,795.86
93	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	4,478.78
94	हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लिमिटेड	7,099.25
95	हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड	627.81

क्र.सं.	मांगकर्ता संगठनों/विभागों का नाम	जुमाने की राशि (₹ में)
96	हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण संघ लिमिटेड	3,405.31
97	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड)	20,16,750.75
98	हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद	1,403.73
99	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	8,417.60
100	हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड (कॉन्फेड)	38,120.12
101	हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड	374.88
102	हरियाणा राज्य विधि आयोग	907.49
103	हरियाणा राज्य चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	31,146.51
104	हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	18,558.40
105	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	19,897.19
106	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	6,93,482.84
107	हरियाणा उर्दू अकादमी	2,148.45
108	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	4,65,301.08
109	हरियाणा विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड	8,682.44
110	हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण	9,406.05
111	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	32,722.54
112	हरियाणा योग आयोग पंचकुला	2,989.16
113	स्वास्थ्य	1,02,49,988.41
114	बागवानी	6,22,029.57
115	आतिथ्य संगठन	2,21,331.33
116	आवास	8,136.19
117	आवास बोर्ड हरियाणा	29,876.67
118	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	7,98,747.57
119	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा	14,863.05
120	उद्योग	97,362.32
121	सूचना प्रौद्योगिकी	11,41,303.86
122	होटल प्रबंधन संस्थान कुरुक्षेत्र हरियाणा	22.04
123	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	310.42
124	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	57,58,074.93
125	कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड	53,462.44
126	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	15,29,585.24
127	श्रम	2,95,267.42
128	लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय (एलयूवीएएस), हिसार	1,204.78
129	भूमि अभिलेख	5,219.04
130	विधि एवं विधायी	4,415.02
131	विधिक सेवा प्राधिकरण	72,743.36
132	पशुधन विकास बोर्ड	93,093.18
133	स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग	14,312.56
134	लोकयुक्त हरियाणा	17,971.19
135	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल	77,360.55
136	महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल	45,045.10
137	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	95,648.76
138	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	21,96,628.41
139	मेवात विकास एजेंसी	6,052.28
140	खान एवं भूविज्ञान	61,899.83
141	विविध	1,50,758.77
142	मदर टेरेसा हरियाणा साकेत परिषद	12,078.07
143	नगर निगम/शहरी स्थानीय निकाय	26,83,609.45
144	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	16,32,258.58
145	नर्स पंजीकरण परिषद	6,399.87
146	पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक	75,033.30

क्र.सं.	मांगकर्ता संगठनों/विभागों का नाम	जुमाने की राशि (₹ में)
147	पुलिस	18,52,252.45
148	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	56,568.19
149	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	11,680.93
150	कारागार	64,792.95
151	अभियोजन	1,11,744.66
152	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,52,33,010.87
153	जनसंपर्क	2,17,561.22
154	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	14,42,888.83
155	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरियाणा	1,19,753.71
156	राजस्व	60,979.57
157	सेवा का अधिकार आयोग, हरियाणा	13,295.27
158	ग्रामीण विकास	85,791.66
159	सहकारिता संघ, पंचकुला	8,037.00
160	सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग	8,678.37
161	सरस्वती विरासत विकास बोर्ड	4,353.18
162	शिवालिक देव बोर्ड	251.06
163	श्री कपाल मोचन श्री बट्टी नारायण श्री मंत्र देवी एवं श्री केदार नाथ श्राइन बोर्ड, बिलासपुर (यमुना नगर)	1,628.02
164	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	1,68,233.11
165	श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड	44,229.60
166	श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय	23,694.79
167	लघु बचत एवं लॉटरी	5,596.34
168	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1,14,934.64
169	सोसायटी फॉर आईटी इनिशिएटिव	20,611.95
170	मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय राई का विशेष बोर्ड	4,42,826.81
171	खेल एवं युवा कल्याण	74,422.75
172	हरियाणा राज्य चुनाव आयोग	67,645.40
173	हरियाणा राज्य सूचना आयोग	10,090.08
174	राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान	28,374.28
175	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण	50.13
176	राज्य तकनीकी शिक्षा समिति	23,043.69
177	राज्य सतर्कता ब्यूरो	1,92,103.73
178	आपूर्ति एवं निपटान	5,815.02
179	स्वर्ण जयंती राजकोषीय प्रबंधन संस्थान	6,461.14
180	तकनीकी शिक्षा	6,60,320.61
181	फरीदाबाद केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड	215.00
182	पर्यटन	8,192.75
183	नगर एवं ग्राम नियोजन	83,150.72
184	परिवहन	14,26,237.16
185	कोषागार एवं लेखा	17,163.24
186	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	12,16,605.91
187	सतर्कता	1,975.49
188	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,29,584.76
189	वन्यजीव संरक्षण	7,364.92
190	महिलाएं एवं बाल विकास	4,91,890.05
191	वाईएमसीए तकनीकी विश्वविद्यालय	85,564.95
	कुल	8,29,27,244.66

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.7.4; पृष्ठ 38)

31 मार्च 2025 तक राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए
लोक लेखा समिति की रिपोर्ट/बकाया अनुच्छेदों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31 मार्च 2025 को लोक लेखा समिति की लंबित सिफारिशें
1.	22 ^{वीं}	1979-80	1
2.	23 ^{वीं}	1980-81	3
3.	25 ^{वीं}	1981-82	1
4.	28 ^{वीं}	1983-84	1
5.	29 ^{वीं}	1984-85	5
6.	32 ^{वीं}	1985-86	2
7.	34 ^{वीं}	1986-87	5
8.	36 ^{वीं}	1987-88	1
9.	38 ^{वीं}	1988-89	7
10.	40 ^{वीं}	1989-90	13
11.	42 ^{वीं}	1990-91, 1991-92, 1992-93	20
12.	44 ^{वीं}	1990-91, 1991-92, 1992-93	32
13.	46 ^{वीं}	1993-94	7
14.	48 ^{वीं}	1993-94, 1994-95	8
15.	50 ^{वीं}	1993-94, 1994-95, 1995-96	22
16.	52 ^{वीं}	1996-97	26
17.	54 ^{वीं}	1997-98	33
18.	58 ^{वीं}	1998-99 एवं 1999-2000	55
19.	60 ^{वीं}	2000-01	29
20.	62 ^{वीं}	2001-02	38
21.	63 ^{वीं}	2002-03	30
22.	64 ^{वीं}	2003-04	42
23.	65 ^{वीं}	2004-05	34
24.	67 ^{वीं}	2005-06	44
25.	68 ^{वीं}	2006-07 एवं 2007-08	82
26.	70 ^{वीं}	2008-09	46
27.	71 ^{वीं}	2009-10	42
28.	72 ^{वीं}	2010-11	20
29.	73 ^{वीं}	2011-12	19
30.	74 ^{वीं}	2013-14	39
31.	75 ^{वीं}	2012-13	33
32.	78 ^{वीं}	2014-15	46
33.	82 ^{वीं}	2015-16	39
34.	84 ^{वीं}	2016-17	39
35.	85 ^{वीं}	2017-18	54
36.	86 ^{वीं}	2018-19	33
37.	87 ^{वीं}	2019-20	20
38.	90 ^{वीं}	2020-21	33
		योग	1,004

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.7.4; पृष्ठ 38)

31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल बकाया सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	577
2	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	227
3	खनन एवं भू-विज्ञान	70
4	कृषि	39
5	सिंचाई	2
6	विद्युत (मुख्य विद्युत निरीक्षक)	4
7	जन स्वास्थ्य	1
8	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	1
9	परिवहन	40
10	वित्त (लॉटरी)	4
11	सहकारी	21
12	वन	4
13	गृह	6
14	उद्योग	3
15	सामान्य	1
16	नगर एवं ग्राम आयोजना	4
	योग	1,004

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.8.1; पृष्ठ 38)

आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य
2013-14	307	1,672	1,691.97	33	529	1,346.42	89	510	146.07	251	1,691	2,892.33
2014-15	251	1,691	2,892.33	27	584	1,281.44	2	364	972.99	276	1,911	3,200.77
2015-16	276	1,911	3,200.77	32	552	3,317.08	9	402	1,272.15	299	2,061	5,245.70
2016-17	299	2,061	5,245.70	29	560	1,921.52	5	283	1,422.16	323	2,338	5,745.06
2017-18	323	2,338	5,745.06	19	442	293.61	13	50	762.95	329	2,730	5,275.72
2018-19	329	2,730	5,275.72	27	720	1,110.88	5	296	584.73	351	3,154	5,801.87
2019-20	351	3,154	5,801.87	39	731	2463.00	1	149	113.88	389	3,736	8,151.00
2020-21	389	3,736	8151.00	25	427	578.18	-	41	27.68	414	4,122	8,701.50
2021-22	414	4,122	8,701.50	6	137	165.52	-	116	417.41	420	4,143	8,449.60
2022-23	420	4,143	8,449.60	12	180	291.02	-	97	786.75	432	4,226	7,953.86

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.8.2; पृष्ठ 39)

स्वीकृत मामलों की वसूली

संदर्भ मामले आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट)

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	अनुच्छेदों का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	प्रतिवेदन के वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	अब तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2012-13	3 (1)	554.19 (0.45)	3 (1)	547.42 (0.45)	- -	5.24 -
2013-14	9	266.69	9	63.27	0.13	7.94
2014-15	10 (1)	17.46 (310.48)	10 (1)	17.46 (290.54)	-	10.59 -
2015-16	10	604.67	10	209.94	-	20.61
2016-17	11 (1)	122.23 (518.66)	11 (1)	95.80 (417.66)	शून्य	21.17
2017-18	13	138.60	13	57.29	0.20	28.64
2018-19	12	331.13	12	331.13	-	29.99
2019-20	8	96.01	8	96.01	0.75	38.03
2020-21	9	478.04	9	478.04	5.66	92.24
2021-22	7	691.00	7	595.88	0.14	0.14
योग	92 (तीन निष्पादन लेखापरीक्षा)	3,300.02 (829.59)	92 (तीन निष्पादन लेखापरीक्षा)	2,491.84 (708.65)	6.88	254.59
कुल योग	95 (तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित)	4,129.61	95	3,200.49	6.88	254.59

7.95 प्रतिशत = 254.59/3,200.49X100

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.1.3; पृष्ठ 62)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	टिप्पणी
विद्युत क्षेत्र		
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	क्रियाशील
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	क्रियाशील
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	क्रियाशील
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	क्रियाशील
वित्त क्षेत्र		
5	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	क्रियाशील
6	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	क्रियाशील
7	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	क्रियाशील
8	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
9	हरियाणा वित्तीय निगम	क्रियाशील
सेवा क्षेत्र		
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
11	हारटॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	क्रियाशील
12	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	क्रियाशील
13	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	क्रियाशील
14	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	क्रियाशील
15	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	क्रियाशील
16	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	क्रियाशील
17	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	क्रियाशील
18	ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड	क्रियाशील
19	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	क्रियाशील
20	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड	क्रियाशील
अवसंरचना क्षेत्र		
21	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
22	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	क्रियाशील
23	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	क्रियाशील
24	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
25	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
26	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	क्रियाशील
27	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
28	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	क्रियाशील
अन्य क्षेत्र		
29	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
30	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
31	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	क्रियाशील
32	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	क्रियाशील
33	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	क्रियाशील
34	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	क्रियाशील
35	हरियाणा खनिज लिमिटेड	निष्क्रिय
36	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
37	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	निष्क्रिय

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.1.3; पृष्ठ 62)

30 सितंबर 2023 तक सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखों की अवधि	दीर्घकालिक ऋण	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि	नियोजित पूंजी
विद्युत क्षेत्र									
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2022-23	167.25	699.18	96.61	8,566.5	3,188.29	2,508.76	(-) 679.53	2,676.01
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2022-23	3,640.10	944.45	396.02	2,426.08	3,990.15	4,969.16	979.01	8,609.26
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	3,398.72	697.10	111.26	17,955.14	15,706.02	2,090.45	(-) 13,615.57	5,489.17
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	3,775.97	1,162.10	127.18	24,778.65	13,896.79	702.46	(-) 13,194.33	4,478.43
कुल क		10,982.04	3,502.83	731.07	53,726.37	36,781.25	10,270.83	(-) 26,510.42	21,252.87
वित्त क्षेत्र									
हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	2020-21	0.00	14.93	1.33	10.5	2.00	3.25	1.25	3.25
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	5.46	5.46	5.22	0.69	50.07	66.31	16.24	71.77
हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	79.27	3.42	0.66	8.64	45.25	63.75	18.5	143.02
हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2018-19	0.00	(-) 0.01	(-) 0.01	5.56	16.61	16.47	(-) 0.14	16.47
हरियाणा वित्तीय निगम (सांविधिक निगम)	2021-22	0.00	25.72	21.72	30.94	207.66	121.62	(-) 86.04	121.62
कुल ख		84.73	49.52	28.92	56.33	321.59	271.4	(-) 50.19	356.13
सेवा क्षेत्र									
हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2020-21	0.00	23.79	17.41	42.46	9.90	139.48	129.58	139.48
हारद्वीप इंफोमेटिक्स लिमिटेड	2020-21	0.00	0	0	0	0.5	5.50	5.00	5.50
गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	2022-23	0.00	4.55	3.51	2.60	14.72	61.49	45.72	61.49
पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	2022-23	0.00	0	0	0	0.10	0.09	(-) 0.01	0.09
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	2021-22	0.00	(-) 3.06	(-) 2.64	35.18	50.00	(-) 7.47	(-) 57.47	(-) 7.47

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखों की अवधि	दीर्घकालिक ऋण	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि	नियोजित पूंजी
हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन	2021-22	0.00	(-) 6.41	(-) 5.82	12.35	6.80	(-) 2.17	(-) 8.97	(-)2.17
हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20	0.00	16.17	11.7	10.48	5.00	27.43	22.43	27.43
हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड	2019-20	0.00	(-) 28.12	(-) 12.71	313.57	37.76	29.91	(-) 7.85	29.91
ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड	2021-22	0.00	(-) 0.42	(-) 0.26	0.00	10.00	9.74	(-) 0.26	9.74
कुल ग		0.00	6.50	11.19	416.64	134.78	264	128.17	264
अवसंरचना क्षेत्र									
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	4,327.38	1,000.87	171.03	1758.35	48.87	2,794.99	2,646.69	7,122.37
फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	98.77	1.80	(-) 5.65	0.84	31.91	22.51	(-) 9.40	121.28
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2020-21	0.00	16.23	23.41	1.42	122.04	295.21	168.89	295.21
हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2022-23	236.74	19.63	14.63	34.11	600.00	618.1	18.10	854.84
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	106.18	1.43	2.15	0.00	1,000.00	998.03	(-) 1.97	1,104.21
हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	305.5	33.96	(-) 0.28	567.87	25.00	20.71	(-) 4.29	326.21
कुल घ		5,074.57	1,073.92	205.29	2,362.59	1,827.92	4,749.65	2,818.02	9,824.22
अन्य क्षेत्र									
हरियाणा बोज विकास निगम लिमिटेड	2019-20	0.00	6.23	3.98	146.06	5.00	13.05	8.05	13.05
हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2021-22	0.00	0.98	0.89	72.02	1.56	11.16	9.60	11.16
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22	19.62	5.69	(-) 22.99	107.73	4.14	(-) 204.39	(-) 208.53	(-) 184.77
हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	2022-23	4.00	(-) 0.69	(-) 0.69	0.00	1.00	-0.78	(-) 1.78	3.22
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2021-22	0.00	12.78	9.05	96.05	0.20	69.80	69.60	69.80
हरियाणा भंडारण निगम (सांविधिक निगम)	2021-22	88.26	34.43	31.44	238.00	5.84	25.24	19.40	113.50
कुल ड.		111.88	59.41	21.68	659.86	17.74	(-) 85.92	(-) 103.66	25.96
कुल क+ख+ग+घ+ड.		16,253.22	4,692.18	998.15	57,221.79	39,083.28	15,469.96	(-) 23,718.08	31,723.18

परिशिष्ट 6.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.5.2; पृष्ठ 72)

नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संक्षिप्त संचित हानि जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया

		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वह वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	प्रदत्त पूंजी	फ्री रिजर्व	संचित लाभ/हानि	निवल मूल्य
क	कार्यरत सरकारी कंपनियाँ								
	विद्युत क्षेत्र								
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		2022-23	2023-24	96.61	3,188.29	0.00	(-) 679.53	2,508.76
2	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		2022-23	2023-24	111.26	15,706.02	0.00	(-) 13,615.57	2,090.45
3	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		2022-23	2023-24	127.18	13,896.79	0.00	(-) 13,194.33	702.46
	वित्त क्षेत्र								
4	हरियाणा महिला विकास निगम		2018-19		(-) 0.01	16.61	0.00	(-) 0.14	16.47
	सेवा क्षेत्र								
5	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड		2022-23	2023-24	0.00	0.10	0.00	(-) 0.01	0.09
6	गुफ्याम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड		2021-22	2022-23	(-) 2.64	50.00	0.00	(-) 57.47	(-) 7.47
7	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड		2021-22	2022-23	(-) 5.82	6.80	0.00	(-) 8.97	(-) 2.17
8	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड		2019-20	2022-23	(-) 12.71	37.76	0.00	(-) 7.85	29.91
9	ड्रॉन इमोजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड		2021-22	2022-23	(-) 0.26	10.00	0.00	(-) 0.26	9.74
	अवसंरचना क्षेत्र								
10	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		2021-22	2023-24	(-) 5.65	31.91	0.00	(-) 9.40	22.51
11	हरियाणा ऑबिटेल् रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड		2022-23	2023-24	2.15	1,000	0.00	(-) 1.97	998.03
12	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड		2018-19	2023-24	(-) 0.28	25.00	0.00	(-) 4.29	20.71
	अन्य क्षेत्र								
13	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		2021-22	2023-24	(-) 22.99	4.14	0.00	(-) 208.53	(-) 204.39
14	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड		2022-23	2023-24	(-) 0.69	1.00	0.00	(-) 1.78	(-) 0.78
ख	कुल क						0.00	(-) 27,790.10	
	सांविधिक निगम								
15	हरियाणा वित्तीय निगम (सांविधिक निगम)		2021-22	2022-23	21.72	207.66	0.00	(-) 86.04	121.62
	कुल ख							(-) 86.04	
	कुल क+ख							(-) 27,876.14	

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट 7.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 7.2.2; पृष्ठ 78)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया लेखों के संबंध में जानकारी

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वह वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वह वर्ष जिसके लेखे बकाया हैं	लेखों की संख्या	कंपनी की स्थिति
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	2020-21 से 2022-23	3	क्रियाशील
2.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2022-23	2021-22 से 2022-23	2	क्रियाशील
3.	हारट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	2020-21	2022-23	2021-22 से 2022-23	2	क्रियाशील
4.	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	2021-22 से 2022-23	2	क्रियाशील
5.	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	2021-22	2022-23	2022-23	1	क्रियाशील
6.	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	2022-23	1	क्रियाशील
7.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	2018-19 से 2022-23	5	क्रियाशील
8.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	2022-23	1	क्रियाशील
9.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2018-19		2019-20 से 2022-23	4	क्रियाशील
10.	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20	2022-23	2020-21 से 2022-23	3	क्रियाशील
11.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	2022-23	1	क्रियाशील
12.	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	2020-21	2022-23	2021-22 से 2022-23	2	क्रियाशील
13.	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम	2021-22	2022-23	2022-23	1	क्रियाशील
14.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	2023-24	2019-20 से 2022-23	4	क्रियाशील
15.	हरियाणा पर्यटन लिमिटेड	2019-20	2022-23	2020-21 से 2022-23	3	क्रियाशील
16.	इन इमोजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड	2021-22	2022-23	2022-23	1	क्रियाशील
17.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	2022-23	1	क्रियाशील
18.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	2020-21 से 2022-23	3	क्रियाशील
19.	हरियाणा भूमि पुनर्ग्रहण एवं विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	2022-23	1	क्रियाशील
20.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2022-23	2021-22 से 2022-23	2	क्रियाशील
21.	हरियाणा खनिज लिमिटेड (निष्क्रिय)	2019-20	2021-22	2020-21 से 2022-23	3	निष्क्रिय
22.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (निष्क्रिय)	2020-21	2022-23	2021-22 से 2022-23	2	निष्क्रिय
23.	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड			2017-18 से 2022-23	6	क्रियाशील
24.	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड			2019-20 से 2022-23	4	क्रियाशील
25.	हरियाणा कोशल रोजगार लिमिटेड.			2021-22 से 2022-23	2	क्रियाशील
				कुल	60	

परिशिष्ट 8.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 8.1.4; पृष्ठ 84)

वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु शामिल राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	सार्वजनिक या प्राइवेट लिमिटेड
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
6.	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक
7.	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
8.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	प्राइवेट
9.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
10.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
11.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
12.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
13.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	प्राइवेट
14.	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	सार्वजनिक
15.	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	सार्वजनिक
16.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	प्राइवेट
17.	ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड	सार्वजनिक
18.	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक
19.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
20.	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड	सार्वजनिक
21.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	प्राइवेट
22.	हारट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	सार्वजनिक
23.	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	सार्वजनिक
24.	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	प्राइवेट
25.	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
26.	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सार्वजनिक
27.	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	सार्वजनिक
28.	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
29.	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सार्वजनिक
30.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
31.	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	सार्वजनिक
32.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	प्राइवेट

परिशिष्ट 8.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 8.1.4; पृष्ठ 84)

वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत शामिल न किए गए
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	बहिष्कार के कारण
1.	हरियाणा वित्तीय निगम	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी नहीं है, यद्यपि निगम के इक्विटी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों का अनुपालन लागू नहीं माना गया क्योंकि निगम ने 2010 से नया कारोबार बंद कर दिया है।
2.	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी नहीं है।
3.	हरियाणा खनिज लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
4.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी
5.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	निष्क्रिय कंपनी

परिशिष्ट 8.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 8.2.2; पृष्ठ 85)

अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति रखने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

(सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक हो या टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक हो या कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि ₹ 50 करोड़ से अधिक हो)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखों की अवधि	प्रदत्त पूंजी	टर्नओवर	कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2022-23	3,188.29	8,566.50	167.25
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2022-23	3,990.15	2,426.08	3,640.10
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	15,706.02	17,955.14	3,398.72
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	13,896.79	24,778.65	3,775.97
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	48.87	1,758.35	4,327.38
6	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	31.91	0.84	98.77
7	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2022-23	600.00	34.11	236.74
8	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	50.07	0.69	5.46
9	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2018-19	16.61	5.56	0.00
10	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22	4.14	107.73	19.62
11	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2019-20	5.00	146.06	0.00
12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2020-21	122.04	1.42	0.00
13	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	2022-23	14.72	2.60	0.00
14	गुरुग्राम मेट्रोपोलिटन सिटी बस लिमिटेड	2021-22	50.00	35.18	0.00
15	ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड	2021-22	10.00	0.00	0.00
16	हरियाणा ऑर्बिटल रेल निगम लिमिटेड	2022-23	1,000.00	0.00	106.18
17	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	25.00	567.87	305.50

परिशिष्ट 8.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 8.2.3; पृष्ठ 86)

अपने बोर्ड में महिला निदेशकों को रखने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

(सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक हो या टर्नओवर ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक हो)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	प्रदत्त पूंजी	टर्नओवर
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3,188.29	8,566.50
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3,990.15	2,426.08
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	15,706.02	17,955.14
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	13,896.79	24,778.65
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	48.87	1,758.35
6	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	600.00	34.11
7	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	122.04	1.42
8	हरियाणा ऑर्बिटल रेल निगम लिमिटेड	1,000.00	0.00
9	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	25.00	567.87

परिशिष्ट 9.1
(संदर्भ: अनुच्छेद 9.3; पृष्ठ 96)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मानदंड की प्रयोज्यता दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखों की अवधि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	निवल मूल्य
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	-395.08	3,969.26	2,431.39
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2021-22	-31.41	2,017.15	4,587.91
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	77.78	13,738.28	1,890.92
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	185.26	17,932.31	575.27
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22*	249.11	3,114.74	3,201.96
6	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2021-22*	22.3	21.31	51.35
7	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	2021-22	9.52	2.32	57.97
8	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2021-22	9.05	96.05	69.80
9	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	2021-22*	7.37	20.11	9.14
10	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2021-22	5.14	5.06	154.85
11	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2021-22*	3.38	62.64	142.00
12	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	2021-22	0.00	0.00	0.09
13	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22*	0.00	0.00	0.10
14	गुडग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	2021-22	-2.64	35.18	-7.47
15	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	-5.65	0.84	22.51
16	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2021-22*	2.26	0.85	81.27
17	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	0.66	8.64	63.75
18	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2021-22*	0.25	8.24	16.79
19	हारट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	2021-22	0.10	0.00	5.60
20	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन	2021-22	-5.82	12.35	-2.17
21	हरियाणा पुलिस आवास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22*	0.01	369.14	20.40
22	हरियाणा पर्यटन लिमिटेड	2021-22*	-5.77	271.21	40.13
23	हरियाणा कृषि उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	-22.99	107.73	-204.39
24	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	-4.06	0	195.89
25	हरियाणा बीज विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1.63	92.68	15.85
26	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2021-22	0.89	72.02	11.16
27	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	2021-22	-0.70	0.00	-0.10
28	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2.6	0.98	103.47
29	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22*	0	0	0.10
30	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड	2021-22*	-0.04	0	199.96
31	ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड	2021-22	-0.26	0.00	9.74
32	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2021-22**	--	--	--

नोट: क्रम संख्या 1 से 10 तक के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व मानदंडों को पूरा करते हैं।

* अनंतिम लेखे

** लेखे उपलब्ध नहीं हैं

परिशिष्ट 9.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 9.7.1 एवं 9.7.2; पृष्ठ 99)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का पिछले वर्ष के शेष सहित आबंटन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	कॉलम 3 का दो प्रतिशत सीएसआर पर खर्च किया जाएगा	पिछले वर्ष से कैरी-ओवर	खर्च की जाने वाली कुल राशि	वास्तविक खर्च	अंतर	कैरी-फॉरवर्ड की गई अव्ययित राशि	सीएसआर बजट के अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8=6-7	9	10
1	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	-41.08	0.00	3.74	3.74	1.12	2.62	2.62	18 अक्टूबर 2022
2	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-42.84	0.00	2.34	2.34	1.80	0.54	0.61	04 फरवरी 2022
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	279.42	5.59	8.12	13.71	2.19	11.52	11.59	27 अगस्त 2022
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	177.25	3.55	0.85	4.40	0.19	4.21	4.21	27 सितंबर 2022
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	233.58	4.67	18.77	23.44	1.01	22.43	22.43	02 सितंबर 2022
6	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	15.50	0.31	0.44	0.75	0.65	0.10	0.10	05 सितंबर 2022
7	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	16.14	0.32	-0.07	0.25	0.25	0.00	0.00	16 दिसंबर 2022
8	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	8.92	0.18	0.00	0.18	0.16	0.02	0.02	30 दिसंबर 2022
9	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	7.52	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	15 दिसंबर 2022
	कुल	654.41	14.77	34.19	48.96	7.52	41.44	41.58	

परिशिष्ट 9.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 9.7.1; पृष्ठ 99)


कर-पूर्व लाभ की गणना दर्शाने वाली विवरणी

अवधि	धारा 198 के अंतर्गत कर से पहले निवल लाभ	
	वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा गणना के अनुसार (₹ करोड़ में)
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
2019-20	274.22	462.38
2020-21	114.20	(195.82)
2021-22	6.99	(395.08)
तीन वर्षों का कुल लाभ	395.41	(128.52)
पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	131.80	(42.84)
औसत लाभ का दो प्रतिशत	2.64	शून्य
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
2019-20	220.57	66.13
2020-21	26.92	(159.86)
2021-22	343.34	(29.52)
तीन वर्षों का कुल लाभ	590.83	(123.25)
पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	196.94	(41.08)
औसत लाभ का दो प्रतिशत	3.94	शून्य
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
2019-20	217.71	300.61
2020-21	397.07	459.52
2021-22	670.04	78.13
तीन वर्षों का कुल लाभ	1,284.82	838.26
पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	428.27	279.42
औसत लाभ का दो प्रतिशत	8.56	5.59
गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड		
2019-20	9.27	7.06
2020-21	7.21	5.96
2021-22	12.34	9.52
तीन वर्षों का कुल लाभ	28.82	22.54
पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	9.61	7.51
औसत लाभ का दो प्रतिशत	0.19	0.15
कुल औसत निवल लाभ	766.62	286.93
कुल सीएसआर प्रावधान	15.33	5.74

परिशिष्ट 10.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 10.3; पृष्ठ 107)

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट



स्रोत: फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अभिलेखा।

परिशिष्ट 10.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 10.9.1; पृष्ठ 113)

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1	नगर निगम सीमा के भीतर विभिन्न सड़कों पर बिटुमिनस कंक्रीट की परत	28 जून 2021	15 जुलाई 2021	17
2	नेकी की दीवार का निर्माण	26 मार्च 2020	16 मार्च 2021	355
3	गप्पूवाला पार्क का विकास एवं रखरखाव	24 मई 2021	14 सितंबर 2021	113
4(i)	अटल पार्क का पुनरुद्धार	04 अगस्त 2021	10 नवंबर 2021	98
(ii)	अटल पार्क चरण 2 - रंगमंच का निर्माण	28 फरवरी 2022	20 अप्रैल 2022	51
5	मौजूदा कच्ची सड़क के साथ नई बिटुमिनस सड़क का निर्माण	21 नवंबर 2021	04 फरवरी 2022	75
6	विभिन्न पार्कों में एमएस स्टील बेंचों की आपूर्ति एवं स्थापना	18 अक्टूबर 2021	25 फरवरी 2022	130
7	गांधी स्मारक हॉल का सौंदर्यीकरण एवं अग्रभाग विकास	28 अप्रैल 2022	15 जून 2022	48
8	सेक्टर 12 में आईसीसी भवन का निर्माण	01 फरवरी 2022	27 मई 2022	115
9	करनाल के सौंदर्यीकरण हेतु प्रवेश द्वारों का निर्माण	16 जून 2020	30 जुलाई 2020	44
10	नए विकसित हो रहे सांस्कृतिक गलियारे में पैदल मार्ग	18 फरवरी 2021	29 जून 2021	131
11	स्कूलों के लिए नवीनतम आई.ओ.टी. हेतु शिक्षा प्रणाली में सुधार	21 अक्टूबर 2019	08 दिसंबर 2020	414
12	प्लाज़ा का विकास	02 मई 2021	08 फरवरी 2022	282
13	कर्ण पार्क में लाईट एंड साउंड शो	01 नवंबर 2017	01 अक्टूबर 2018	334
14	कर्ण ताल में म्यूजिकल फाउंटेन	अक्टूबर 17	01 नवंबर 2017	31
15	पुराने जीटी रोड का सड़क निकास	21 मई 2021	03 मार्च 2022	286
		15 मई 2021	17 फरवरी 2022	
		02 मई 2021	05 जनवरी 2022	
16	ओपन एयर जिम लगाकर वेलनेस ट्रेल	16 अगस्त 2021	28 अगस्त 2022	377
17	स्मार्ट सीवरेज प्रबंधन	20 नवंबर 2020	19 जनवरी 2021	60
18	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	30 सितंबर 2020	31 अक्टूबर 2020	31
19(i)	फूसगढ़ गांव में दो भवनों का निर्माण	20 अप्रैल 2023	27 नवंबर 2023	221
(ii)	फूसगढ़ में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	31 मई 2023	31 मई 2023	-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
(iii)	स्मार्ट गांव-सड़कें और नाले (फूसगढ़ रोड)	30 दिसंबर 2022	20 फरवरी 2023	52
20	सेक्टर 7 में ग्रीन बेल्ट पार्क का सौंदर्यीकरण	11 जनवरी 2022	18 जुलाई 2022	188
21	सेक्टर 13-14 में ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण	06 मार्च 2022	09 जुलाई 2022	125
22	डब्ल्यूजेसी नहर के किनारे विकास - चरण III	30 सितंबर 2022	25 मार्च 2023	176
23	गांधी चौक पर क्रिएशन पार्क का विकास	28 फरवरी 2022	12 जुलाई 2022	134
24	कॅटोनमेंट चर्च टावर परिसर का सौंदर्यीकरण	08 जून 2022	30 अक्टूबर 2022	144
25	मधुबन, मीनार रोड और सेक्टर 4 में कोस मीनार का सौंदर्यीकरण	08 मई 2022	06 नवंबर 2022	182
26	सेक्टर 6 के सामुदायिक केंद्र में खेल सुविधाएं	30 जून 2022	06 अगस्त 2022	37
27	सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम में सामुदायिक भवन, चारदीवारी, गेट और बागवानी कार्य का निर्माण	31 दिसंबर 2022	13 जुलाई 2023	194
28	हांसी चौक से नमस्ते चौक तक सड़क का निर्माण (सुदृढीकरण)	30 नवंबर 2022	12 जनवरी 2023	43
29	सेक्टर 32 और 33 में पार्कों का विकास	09 नवंबर 2022	30 अप्रैल 2023	172
30	सेक्टर 12 और ग्रीन बेल्ट में किनारे पर भूनिर्माण	05 अक्टूबर 2022	07 दिसंबर 2022	63
31	एनडीआरआई से आईटीआई चौक और गांधी चौक तक सार्वजनिक स्थानों पर किनारे का भूनिर्माण	03 नवंबर 2022	06 अप्रैल 2023	154
32	कैलाश में हॉकी स्टेडियम का निर्माण	31 दिसंबर 2022	30 सितंबर 2023	273
33	उत्तम नगर में पार्क का विकास	04 जुलाई 2022	25 अगस्त 2023	417
34	दो पुलिस थानों (सदर और सिविल लाइंस) का नवीनीकरण	03 अप्रैल 2023	30 मई 2024	423
35	रिफॉर्ड रुम का निर्माण	04 अगस्त 2023	30 मई 2024	300
36	सेक्टर 5 में ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण	30 जून 2023	15 जुलाई 2023	15
37	एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी)	24 जून 2021	01 फरवरी 2023	587
38	सिटी सर्विलांस			
39	यातायात उल्लंघन पहचान प्रणाली			
	फरीदाबाद			
40	सार्वजनिक भवनों के लिए वर्षा जल संचयन	16 नवंबर 2018	31 मार्च 2021	866
41	एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र	27 जून 2019	20 फरवरी 2020	238
42	क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली			
43	मध्य बिंदु प्रवाह प्रबंधन			
44	ओपन एयर स्मार्ट जिम	30 नवंबर 2017	28 फरवरी 2018	90
45	स्मार्ट ई-शौचालय	21 दिसंबर 2017	28 फरवरी 2018	69
46	व्यापक गतिशीलता योजना	15 मार्च 2019	22 मार्च 2021	738

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
47	पुरानी सब्जी मंडी में अंबेडकर मार्ग पर बहु-स्तरीय कार पार्किंग	30 जून 2023	30 नवंबर 2023	153
48	स्मार्ट शहरी गांव - फतेहपुर	04 फरवरी 2020	30 सितंबर 2022	969
49	राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के 05 चौराहों का सौंदर्यीकरण	02 अक्टूबर 2019	16 फरवरी 2023	1,233
50	स्मार्ट पार्क	16 अगस्त 2018	30 सितंबर 2022	1,506
51	पैन-सिटी फरीदाबाद में ट्रांसमिशन जल लाइन के लिए वाटर स्काडा (एससीएडीए)	27 जनवरी 2022	30 अप्रैल 2023	458
52	मेट्रो पिलर्स आर्टवर्क	26 अक्टूबर 2021	12 अक्टूबर 2022	351
53	चिह्नित क्रॉस सेक्शन पर मूर्तियों की स्थापना	30 सितंबर 2022	30 नवंबर 2022	61
54	ट्राई कलर एलईडी की आपूर्ति स्थापना और कमीशनिंग	31 जनवरी 2022	30 नवंबर 2022	303
55	वाल-आर्ट पेंटिंग	07 दिसंबर 2022	15 फरवरी 2023	70
56	आवारा कुत्तों के आश्रयों का निर्माण	02 दिसंबर 2022	09 जनवरी 2023	38
57	बड़खल स्मार्ट रोड के बाईं ओर 1000x1000 मिलीमीटर मैनहोल का निर्माण	02 दिसंबर 2022	09 जनवरी 2023	38
58	पृथक साइकिल ट्रैक	27 मार्च 2021	28 फरवरी 2023	703
59	फुटपाथ विकास			
60	पृथक न किर ग एनएमटी मार्गों का विकास			
61	इटरसेक्शन जियोमेट्री में सुधार			
62	रेज्ड पेडीस्ट्रियन क्रॉसिंग			
63	साइनिंग एंड मार्किंग			
64	भूनिर्माण			
65	आंतरिक सड़कों का सुधार और भूनिर्माण			
66	स्टार्म वाटर नेटवर्क का सुधार			
67	भूमिगत केबलिंग			
	दिनों में विलंब की सीमा			03 से 1,506 दिन

स्रोत: करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

नोट: क्रम संख्या 58 से 67 तक की परियोजनाओं को सड़क परियोजनाओं के साथ मिला दिया गया है और उन्हें आबटित कर दिया गया है।

परिशिष्ट 10.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 10.9.3; पृष्ठ 119)

परियोजनाओं के निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को अंतरित स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/विभाग का नाम	प्रदान की गई लागत	अंतरित राशि	अंतरण की तिथि
क	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड			
	नगर निगम, करनाल			
1	सेक्टर 12 में आईसीसी भवन का निर्माण	14.03	10.00	24 अगस्त 2020
			4.03	14 जनवरी 2022
2	करनाल के सौंदर्यीकरण हेतु प्रवेश द्वारों का निर्माण	2.00	2.00	30 सितंबर 2020
3	पुपाने नगर निगम करनाल भवन में व्यावसायिक स्थल का निर्माण	13.68	13.68	12 जुलाई 2022
4	एकीकृत जल उपयोगिता प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन, कमीशनिंग, एकीकरण और संचालन एवं रखरखाव के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) का चयन	35.48	35.48	17 फरवरी 2023
5	स्काडा (एससीएडीए) आधारित स्वचालन तकनीक पर वर्षा जल निपटान का पुनर्निर्माण और संशोधन	22.82	15.00	10 अक्टूबर 2023
6	पुपानी अनाज मंडी में ईपीसी मोड पर वाणिज्यिक स्थल का निर्माण	30.80	30.80	06 दिसंबर 2022
7	नगर निगम करनाल द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण	7.59	7.59	11 अक्टूबर 2023
8	करनाल में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण	11.34 ¹	19.93	18 अक्टूबर 2023
9	अस्पताल चौक से नूरमहल चौक और नूरमहल चौक से निर्मल कुटिया चौक तक स्मार्ट रोड का निर्माण	25.00	--	--
	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण			
10	सेक्टर-32 में वृद्धाश्रम का निर्माण	9.30	9.30	26 दिसंबर 2022
11	सामुदायिक भवन, पुस्तकालय भवन, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, चारदीवारी, गेट का निर्माण और बागवानी कार्य	11.19	11.19	26 दिसंबर 2022
12	सेक्टर-5 यूई करनाल में ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण	0.60	0.60	26 दिसंबर 2022
13	रेलवे रोड और बस स्टैंड रोड के साथ ईपीसी मोड पर एलिवेटेड रोड का निर्माण	127.67	25.00	31 जनवरी 2024
			63.00	15 अप्रैल 2024
			10.00	06 मई 2024

¹ प्रारंभ में कार्य की लागत ₹ 19.93 करोड़ अनुमानित थी, जिसे घटाकर ₹ 11.34 करोड़ कर दिया गया। तथापि, ₹ 19.93 करोड़ की निधियां नगर निगम, करनाल के पास पड़ी हैं।

क्र. सं.	परियोजना/विभाग का नाम	प्रदान की गई लागत	अंतरित राशि	अंतरण की तिथि
14	सेक्टर 32 में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	9.50	--	--
	भारतीय रेलवे			
15	करनाल में भारी वाहनों के प्रवेश को परिवर्तित करने के लिए 1.61 ब्लॉक रैक साइडिंग से दिल्ली की ओर शिव कॉलोनी तक, एलएचएस - 191ए के पास, माल ढुलाई के लिए सर्विस लैंड के विस्तार हेतु वे-लीव सुविधा।	2.35	1.57 0.78	06 फरवरी 2023 06 फरवरी 2024
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)			
16	करनाल में पश्चिमी यमुना नहर किमी 0 से 6.300 तक उचाना से करनाल-कैथल रोड तक पश्चिमी बाईपास पर 50 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी के साथ सुदृढीकरण।	6.70	6.70	20 जुलाई 22
17	करनाल जिले में पुराने जीटी रोड (शहरी भाग करनाल) (एनडीआरआई चौक से बलदी बाईपास चौक) (रोड आईडी 7365) आरडी 3730 से 5580 पर 50 मिलीमीटर डीबीएम और 30 मिलीमीटर बीसी के साथ सुदृढीकरण।	4.88	4.88	12 जुलाई 22
18	पुराने कचहरी चौक से सिविल अस्पताल चौक तक सड़क का 40 मिलीमीटर बीसी और 80 मिलीमीटर आईपीबी से सुदृढीकरण	1.06	1.06	07 जुलाई 22
19	करनाल में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण	5.05	5.05	18 अक्टूबर 2023
20	करनाल मुनिक रोड, गोधरीपुर फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास	0.77	0.77	31 जनवरी 2024
21	करनाल मेरठ रोड से रांवर गांव तक (रोड आईडी 7355) 50 मिलीमीटर डीबीएम + 30 मिलीमीटर बीसी, सीसीबी और 80 मिलीमीटर आईपीबी से सुदृढीकरण	2.18	2.18	31 जनवरी 2024
22	करनाल के घाँडा विधानसभा क्षेत्र में जीटी रोड एनएच-1 से मदनपुर पहुंच मार्ग (रोड आईडी 7356) (ओडीआर) पर आरडी 0 से 680 पर 40 मिलीमीटर बीसी के साथ सुदृढीकरण	0.19	0.19	31 जनवरी 2024
23	करनाल के घाँडा विधानसभा क्षेत्र में दाहा बजीदा से सिरसी संपर्क मार्ग (रोड आईडी 7364) (ओडीआर) पर आरडी 50 से 1350 और 1600 से 2120 तक 40 मिलीमीटर बीसी के साथ सुदृढीकरण और आरडी 0 से 50, 1350 से 1600 और 2120 से 2420 तक सीसीबी बिछाने का कार्य	0.81	0.81	31 जनवरी 2024
24	करनाल के घाँडा विधानसभा क्षेत्र में जीटी रोड से बजीदा जट्टां रोड (रोड आईडी 7357) (ओडीआर) पर आरएस 0 से 500 और 1000 से 1200 पर 40 मिलीमीटर बीसी के साथ सुदृढीकरण और आरडी 500 से 1000 पर सीसीबी की रिलेइंग	0.36	0.36	31 जनवरी 2024
25	करनाल इंद्री रोड से कर्ण लेक उचाना (रोड आईडी 11117)	1.32	1.33	31 जनवरी 2024
26	पश्चिमी बाईपास चरण-1 के अंडरपास पर सीसी फुटपाथ का निर्माण	1.00	1.00	31 जनवरी 2024
	सिंचाई एवं जल सेवाएं विभाग			
27	मुख्य नाला संख्या 1 का आरडी 00 से 12000 तक पुनर्वास	19.95	9.51 10.44	07 जुलाई 2022 31 जनवरी 2024

क्र. सं.	परियोजना/विभाग का नाम	प्रदान की गई लागत	अंतरित राशि	अंतरण की तिथि
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग			
28	जलापूर्ति के लिए डीआई पाइप बिछाना/बदलना, 14 सबमर्सिबल पंपिंग सेट 150 मिलीमीटर राइजिंग मेन की स्थापना, पंप चैंबर (3.00 x 3.66) मीटर का निर्माण और एफएचटीसी।	9.27	9.27	21 जून 2023
29	करनाल शहर के शेष क्षेत्र में सीवरेज सुविधा प्रदान करना।	8.51	8.51	23 जून 2023
	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			
30	मौजूदा ओवरहेड 11 केवी और एलटी विद्युत लाइनों को टूंचलेस भूमिगत 11 केवी और एलटी केबल सिस्टम में परिवर्तित करना और कॉम्पैक्ट सब-स्टेशन (सीएसएस), रिंग मेन यूनिट (आरएमयू), फीडर और एससीएडीए के साथ संगत सर्विस पिलर आदि की स्थापना, ओपी सर्कल करनाल के अंतर्गत मेरठ चौक से मीरा घाटी चौक और सिविल अस्पताल चौक से महात्मा गांधी चौक तक टर्नकी आधार पर	26.74	20.68 6.06	24 अगस्त 2020 16 फरवरी 2023
(ख)	नमस्ते चौक से मीरा घाटी तक उपयोगिताओं का विकास (पैकेज -1 और 3)	1.61	1.51 0.10	08 फरवरी 2022 12 जुलाई 2022
31	सेक्टर 9 रोड पर वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण	1.22	-	-
कुल			350.36	
ख	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड			
32	लाल, सफेद और हरे रंग की तीन नंबर वाली मूविंग हेड बीम लाइट लेजर की आपूर्ति और स्थापना	0.17	-	-
33	संत नगर का पुनर्विकास	2.08	चूंकि परियोजनाएं आंबटित नहीं की गई हैं, केवल अनुमानित लागत ही दर्शाई गई है।	
34	पैन-सिटी में आईसीटी परियोजना का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, जिसमें कई सड़कों और पार्कों में सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य शामिल हैं	23.00		
35	दो कोलेटरल सड़कों, शनि मंदिर और सेक्टर 28 रोड का विकास	13.00		
36	बगही तालाब पर प्री-पैकेज्ड एसटीपी	3.26		
37	मुल्ला होटल से पटेल चौक रोड का विकास	12.00		
38	बड़खल झील पर लेजर फाउंटेन शो	30.00		
39	सेक्टर 17 में भूमिगत विद्युत कार्य			
40	सेक्टर 12 के खेल परिसर में स्पोर्ट्स लाइटिंग			
41	ट्रैवलेटर के साथ एफओबी			

स्रोत: करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

परिशिष्ट 10.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 10.9.4; पृष्ठ 120)

30 जून 2024 तक करनाल में क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर निष्पादित/निष्पादनाधीन परियोजनाओं और पैन-सिटी में गैर-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (नॉन-आईसीटी) परियोजना को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थल	कार्य की लागत	30 जून 2024 तक भुगतान
	क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर			(₹ करोड़ में)
1(i)	दो भवनों का निर्माण	फूसगढ़ गांव	0.88	0.90
1(ii)	बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	फूसगढ़ गांव	2.17	2.03
1(iii)	स्मार्ट गांव- सड़कें और ड्रेन	फूसगढ़ गांव	2.28	2.28
2	सौंदर्यीकरण एवं विकास	नॉवेल्टी रोड	0.30	0.30
3	नगरपालिका सीमा के भीतर विभिन्न सड़कों पर बिटुमिनस कंक्रीट ओवरले	कर्ण विहार, फूसगढ़	2.77	2.77
4	नेकी की दीवार का निर्माण	रेलवे रोड	0.06	0.06
5	गण्डवाला पार्क का विकास एवं रखरखाव	उपका कॉलोनी, वार्ड - 16	0.97	0.97
6(i)	अटल पार्क का पुनरुद्धार	सेक्टर - 8	0.90	0.90
(ii)	अटल पार्क चरण 2- थिएटर का निर्माण	सेक्टर - 8	0.21	0.21
7	भवनों और सार्वजनिक स्थानों में लिविंग ग्रीन बेल्ट की स्थापना एवं रखरखाव	सेक्टर - 12	0.08	0.08
8	पुरानी सब्जी मंडी के सामने रेलवे रोड पर मीडियन का पुनर्विकास	पुरानी सब्जी मंडी के सामने रेलवे रोड	0.02	0.02
9	सांस्कृतिक गलियारे के साथ दीवार की सतह पर थीम पेंटिंग	मीनार रोड, न्यायपुरी	0.01	0.01
10	जरनेली कोठी में आईपीबी प्रदान करना और लगाना तथा अन्य कार्य	जरनेली कोठी, दयाल सिंह कॉलेज रोड	0.10	0.10
11	बल्दी बाईपास के साथ 66*5 फीट आकार की चार दीवारों पर थीम पेंटिंग	बल्दी बाईपास	0.02	0.02
12	स्मार्ट सिटी करनाल के तहत पश्चिमी यमुना नहर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए मौजूदा घाट पर आरसीसी स्लैब का निर्माण	पश्चिमी यमुना नहर	0.14	0.14
13	ए-1 स्वीट्स से ओल्ड एमसी करनाल तक सड़क पर फर्श पेंटिंग (रंगोली)	ए-1 स्वीट्स (कर्ण मार्केट) से पुरानी नगर पालिका करनाल (शक्ति कॉलोनी)	0.02	0.02
14	मौजूदा कच्ची सड़क के साथ नई बिटुमिनस सड़क का निर्माण	कुंजपुरा रोड और बांसो गेट के पास गोशावा रोड और हांसी रोड	2.47	2.47
15	आपूर्ति और विभिन्न पार्कों में एमएस स्टील बैचों की स्थापना	सेक्टर 06, 14 और 34	0.22	0.22
16	गांधी चौक से करनाल क्लब तक सड़क का चौड़ीकरण	जीटी रोड/पेहोवा-करनाल रोड	0.32	0.32

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थल	कार्य की लागत	30 जून 2024 तक भुगतान
17	3*2 फीट आकार के लेखन विषय सहित सूचना बोर्ड लगाना	फूसगढ़ गांव	0.01	0.01
18	अशोक स्तंभ का निर्माण	लघु सचिवालय, सेक्टर-12	0.19	0.19
19	ग्रीन बेल्ट पार्क का सौंदर्यीकरण	सेक्टर-7	1.07	0.71
20	मॉड्यूलर शौचालयों की आपूर्ति और स्थापना	नमस्ते चौक, बलड़ी बाईपास, सेक्टर-6	0.60	0.60
21	फ्लाइओवर सौंदर्यीकरण (पैकेज 4) के अंतर्गत	बाल्दी बाईपास	0.85	0.85
22	बाजार का पुनर्विकास	सेक्टर-6 व 14	0.89	0.89
23	कर्ण लेक का पुनर्विकास	कर्ण झील	3.73	3.73
24	ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण	सेक्टर-13 व 14	1.38	1.38
25	गणितीय उपकरणों की स्थापना	मीरा घाटी चौक	0.14	0.14
26	ग्रीन बेल्ट पार्क का सौंदर्यीकरण	सेक्टर-6	0.98	0.98
27(i)	नहर तट विकास - चरण II	पश्चिमी जमुना नहर	1.10	1.10
(ii)	नहर तट विकास - चरण III	पश्चिमी जमुना नहर	2.20	2.20
28	गांधी चौक पर एफआरपी दांडी मार्च प्रतिमा के साथ क्रिएशन पार्क का विकास	सदर बाजार	0.06	0.06
29	भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर लिविंग ग्रीन बेल्ट की स्थापना और रखरखाव	लघु सचिवालय, सेक्टर-12	0.09	0.09
30	ध्वज के साथ 100 फीट ऊंचे ध्वजस्तंभ की आपूर्ति और स्थापना	मीरा घाटी चौक	0.11	0.11
31	मीरा घाटी चौक की मरम्मत, पेंटिंग, सफाई और अन्य कार्य आदि	मीरा घाटी चौक	0.01	0.01
32	स्कूल में खेल सुविधाओं का विकास	बस स्टैंड के पीछे	1.06	0.67
33	कैटोनमेंट चर्च टावर परिसर का सौंदर्यीकरण	छावनी चर्च टॉवर	0.72	0.72
34	कोस का सौंदर्यीकरण मीनार	मधुबन, मीनार रोड और सेक्टर-4	0.19	0.19
35	सौंदर्यीकरण और अग्रभाग विकास	गांधी मेमोरियल हॉल	0.19	0.19
36	सामुदायिक केंद्र में खेल सुविधाएं	सेक्टर-06	0.22	0.22
37	सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम में सामुदायिक भवन, चारदीवारी, द्वार और बागवानी कार्य का निर्माण	उपका कॉलोनी	4.04	4.04
38	सड़क निर्माण (सुदुड़ीकरण)	हांसी चौक से नमस्ते चौक	4.83	4.83
39	पार्को का विकास	सेक्टर 32 और 33	3.35	3.35
40	एज लैंडस्केपिंग	सेक्टर 12	0.15	0.15
41	एनडीआरआई से आईटीआई चौक और गांधी चौक तक सार्वजनिक स्थानों पर एज लैंडस्केपिंग	कुंजपुरा रोड	0.19	0.19
42	ताऊ देवी लाल चौक से महाराणा प्रताप चौक तक सड़क (सुदुड़ीकरण) का निर्माण	मेरठ रोड	1.80	1.80
43	चारदीवारी का निर्माण और कार्य	पुरानी सब्जी मंडी	0.07	0.07

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थल	कार्य की लागत	30 जून 2024 तक भुगतान
44	एलिवेटेड रोड का निर्माण	रेलवे और बस स्टैंड रोड	0.03	0.03
45	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कैलाश में हॉकी स्टेडियम का निर्माण	कैलाश	14.04	10.93
46	पार्क का विकास	उत्तम नगर सेक्टर 34	1.78	1.78
47	कैलाश में हॉकी स्टेडियम का निर्माण (चरण-II)	कैलाश	4.23	3.14
48	मिल्खा सिंह सामुदायिक केंद्र में सड़क, चारदीवारी और गेट का निर्माण	सेक्टर - 6	0.52	0.00
49	दो पुलिस थानों (सदर और सिविल लाइंस) का नवीनीकरण	ओल्ड जीटी रोड, न्यायपुरी	4.46	3.76
50	रिकॉर्ड रूम का निर्माण	लघु सचिवालय, सेक्टर -12	4.63	3.48
51(क)	इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण (चरण-I)	सेक्टर 32	39.39	31.34
(ख)	इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 32 में अतिरिक्त कार्य/मद का एसआईटीसी (चरण 2)	सेक्टर 32	1.42	0.50
(ग)	इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न उपकरणों/सुविधाओं का एसआईटीसी (चरण 3)	सेक्टर 32	1.77	1.03
52(क)	कर्ण स्टेडियम में खेल सुविधाओं का पुनर्विकास- चरण I	न्यायपुरी	24.85	18.97
52(ख)	कर्ण स्टेडियम में खेल सुविधाओं का पुनर्विकास- चरण-II	न्यायपुरी	12.20	7.38
53	कर्ण स्टेडियम का पुनर्विकास झील - चरण II	कर्ण लेक	3.23	11.82
54	क्रिकेट खेल के मैदान के विकास हेतु चारदीवारी और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण	सेक्टर 9	2.05	0.93
55	करनाल के सौंदर्यकरण हेतु प्रवेश द्वारों का निर्माण	अन्य विभाग कार्य	2.00	2.00
56	नगर निगम करनाल द्वारा करनाल में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण	अन्य विभाग कार्य	7.59	7.59
57	करनाल द्वारा करनाल में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण	अन्य विभाग कार्य	22.59	19.93
58	सेक्टर-32 में वृद्धाश्रम का निर्माण	अन्य विभाग कार्य	10.11	9.30
59	सामुदायिक भवन, पुस्तकालय भवन, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, चारदीवारी, गेट और बागवानी कार्य का निर्माण	अन्य विभाग कार्य	13.15	11.19
60	सेक्टर-5 यूई में ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यकरण	अन्य विभाग कार्य	0.60	0.59
61	रेलवे रोड और बस स्टैंड रोड के साथ ईपीसी मोड पर एलिवेटेड रोड का निर्माण	अन्य विभाग कार्य	128.77	98.00
62	मालवाहक वाहनों के लिए सर्विस लैंड के विस्तार हेतु वे लीव सुविधा	अन्य विभाग कार्य	2.35	2.35
63	उचाना से करनाल-कैथल रोड तक पश्चिमी बाईपास पर 50 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी से सुदृढीकरण	अन्य विभाग कार्य	6.70	6.70
64	पुराने जीटी रोड (शहरी भाग करनाल) (एनडीआरआई चौक से बलदी बाईपास तक) पर 50 मिलीमीटर डीबीएम और 30 मिलीमीटर बीसी से सुदृढीकरण चौक)	अन्य विभाग कार्य	4.88	4.88
65	पुराने कचहरी चौक से सिविल अस्पताल चौक तक 40 मिलीमीटर बीसी और 80 मिलीमीटर आईपीबी के साथ सड़क का सुदृढीकरण	अन्य विभाग कार्य	1.06	1.06
66	(i) स्टेज पर विभिन्न सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण। बजौदा जट्टा से ऋषि नगर तक, पीएसडी-4, करनाल (ii) मुख्य टिकरी कलाश रोड पर आईपीबी प्रदान करना	अन्य विभाग कार्य	5	5.05

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थल	कार्य की लागत	30 जून 2024 तक भुगतान
67	करनाल मुनक रोड, गोधरीपुर फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास	अन्य विभाग कार्य	0.77	0.76
68	करनाल मेरठ रोड से रांवर गांव तक (रोड आईडी 7355) 50 मिलीमीटर डीबीएम + 30 मिलीमीटर बीसी, सीसीबी और 80 मिलीमीटर आईपीबी के साथ सुदृढीकरण	अन्य विभाग कार्य	2.18	2.18
69	जीटी रोड एनएच-1 से मदनपुर एप्रोच रोड पर रोड 0 से 680 पर 40 मिलीमीटर बीसी के साथ सुदृढीकरण	अन्य विभाग कार्य	0.19	0.19
70	आरडी 50 से 1350 और 1600 से 2120 पर 40 मिलीमीटर बीसी के साथ सुदृढीकरण और दाहा बजीदा से सिरसी एप्रोच रोड पर रोड 0 से 50, 1350 से 1600 और 2120 पर सीसीबी बिछाना	अन्य विभाग कार्य	0.81	0.81
71	आरएस 0 से 500 और 1000 से 1000 पर 40 मिलीमीटर बीसी के साथ सुदृढीकरण 1200 और जीटी रोड से बजीदा जट्टान रोड पर आरडी 500 से 1000 पर सीसीबी की री-लेइंग	अन्य विभाग कार्य	0.36	0.36
72	करनाल इंद्रो रोड से करण लेक उचाना	अन्य विभाग कार्य	1.33	1.32
73	पश्चिमी बाईपास चरण-I के अंडरपास में सीसी फुटपाथ का निर्माण	अन्य विभाग कार्य	1.00	1.00
74	आरडी 00 से 12000 तक मुख्य नाला संख्या 1 का पुनर्वास	अन्य विभाग कार्य	0	0
क	आरडी 3200 से 12000 तक मुख्य नाला संख्या 1 का पुनर्वास	अन्य विभाग कार्य	7.32	7.32
ख	आरडी 0 - 3200 तक मुख्य नाला संख्या 1 का पुनर्वास	अन्य विभाग कार्य	12.63	12.63
75	जलापूर्ति के लिए डीआई पाइप बिछाना/बदलना, 150 मिलीमीटर राइजिंग मेन के 14 सबमर्सिबल पंपिंग सेट की स्थापना, पंप चैंबर (3.00 x 3.66) मीटर और एफएचटीसी का निर्माण	अन्य विभाग कार्य	9.27	9.26
76	करनाल शहर के शेष क्षेत्र में सीवरेज सुविधा प्रदान करना	अन्य विभाग कार्य	8.51	8.51
	कुल		407.99	351.36
	पैन-सिटी में नॉन-आईसीटी परियोजना			
77	ओपन एयर जिम की स्थापना	पैन-सिटी	5.51	5.51
	कुल योग		413.50	356.87

स्रोत: करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/haryana/hi>

